ASPECTS OF ECONOMIC HISTORY
OF
EASTERN UTTAR PRADESH
IN
EIGHTEENTH CENTURY

THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN HISTORY

THESIS SUBMITTED BY

Smt. Anno Srivastava

SUPERVISOR

Prof. C. P. Jha

DEPARTMENT OF HISTORY
(Medieval & Modern)
University of Allahabad.

University of Allahabad.

1997

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत का सास्कृतिक इतिहास अपनी विभिन्न विशिष्टताओ को सजोये हुये समन्वयवादिता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विदेशी ग्रहणीय तत्वो को आत्मसात करने की इसमे विलक्षण क्षमता अनादि काल से विद्यमान रही है। अपनी इस विशिष्टता के कारण अत्यन्त प्राचीन होते हुये भी इसके विकास की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही है। सार्वजनीयता, सहिष्णुता, और बौद्धिकता इसकी मुख्य विशेषता रही है। इन गुणो से सुसज्जित यह सस्कृति विश्व मे बेजोड रही है।

भारत का पूर्वी उत्तर प्रदेशअपनी वैभवशाली सास्कृतिक परम्पराओ के लिए सदैव से विशिष्ट रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश कौतुकपूर्ण रहा है। इतिहास के विद्यार्थी का इसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। धर्म आस्था, परम्परा और ऐतिहासिक गौरव के इस प्रदेश का सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भाग बनारस मण्डल अद्वितीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र सास्कृतिक विशिष्टताओ के साथ ही साथ व्यापार और उद्योग धधो का विशिष्ट केन्द्र भी रहा है। ऐसे ही स्थल पर अपने शोध कार्य को केन्द्रित करने का उद्देश्य कम से कम क्षेत्र का अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर और शोध प्रबध के रूप मे प्रस्तुत करना सेवा का एक लघु प्रयास है।

अट्ठारहवी शताब्दी का पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस मडल, गोरखपुर मडल और फैजाबाद मंडल के दो जिलों से मिल कर बनता है। किन्तु मैने इस विस्तृत क्षेत्र को अपने शोध मे सम्मिलित न करके मात्र बनारस

मडल को ही लिया है। मेरे शोध निदेशक महोदय ने मुझे परामर्श दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन्ही भू–भाग को शोध कार्य के लिए सम्मिलित किया जाय जो ठीक १७०० से १८०० के मध्य मडल की स्थिति मे थे। नि सन्देह यह परामर्श विषय के प्रति मेरे रूझान और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की ललक के अनुकूल था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल पर अनेक शोध कार्य हो चुके है। इससे सम्बन्धित शोध ग्रन्थो और शोध पत्रो की एक लम्बी श्रृखला है। किन्तु उद्योग धधो से सुसज्जित इस व्यापारिक स्थली पर ऐसा कोई कार्य अलग से नही हुआ है जिससे इसके आर्थिक पहलू का स्पष्ट और उचित मूल्याकन किया जा सके। इसी अभाव को पूर्ण करने का मेरा यह प्रयास है।

हमारा शोध कार्य १८वी शताब्दी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल पर केन्द्रित है। मुख्य विषय तत्कालीन आर्थिक पहलू की गवेषणा है किन्तु इसी के साथ तत्कालीन बैकिग प्रणाली, कम्पनी शासन द्वारा की गई चुंगी, कर और राजस्व व्यवस्था का अध्ययन इस शोध प्रबध को महत्वपूर्ण अग है। मैने इस शोध प्रबध को छ अध्याय मे विभक्त किया है जो इस प्रकार है –

प्रथम अध्याय– भूमिका, द्वितीय अध्याय–उद्योग एव व्यवसाय, तृतीय अध्याय–कर, चुगी तथा बैकिंग प्रणाली, चतुर्थ अध्याय–भू–राजस्व व्यवस्था भाग (१), पचम अध्याय–भू– राजस्व व्यवस्था भाग (२), षष्टम् अध्याय–उपसहार,

उक्त अध्यायो के अन्तर्गत मैने क्रमश बनारस मडल का सक्षिप्त इतिहास, सम्पूर्ण मण्डल मे होने वाले उद्योग और व्यवसाय तथा उनके

प्रति ब्रिटिश नीति, कर राजस्व की व्यवस्था हेतु ब्रिटिश शासन के प्रयास और व्यवस्था, कम्पनी शासन द्वारा, पूर्वी उत्तर प्रदेशके बनारस मडल मे गुगलकालीन भू–राजस्व व्यवस्थाके परिप्रेक्ष्य मे किये गये परिवर्तन, सुधार कार्य एव विस्तृत अध्ययन के आधार पर तथ्यो का मूल्याकन और उपसहार प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध कार्य मे विषय सम्बन्धी मूल अभिलेख, राजकीय रिपोर्ट, ट्रैवेलर्स एकाउन्ट, परिशियन स्रोत, उर्दू स्रोत, सस्कृत स्रोत, हिन्दी स्रोत, पत्र पत्रिकाये, समाचार पत्र एव आवश्यकतानुसार विशिष्ट ग्रन्थो के तथ्यो को आधार बनाकर कार्य किया गया है।

अपने शोध कार्य के सन्दर्भ मे मैने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, स्टेट लाइब्रेरी इलाहाबाद, पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेकार्ड रूम लखनऊ, इलाहाबाद म्युजियम, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, काशी राज विद्या मदिर ट्रस्ट वाराणसी, कारमाइकल लाइब्रेरी वाराणसी, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, राजकीय अभिलेखागार लखनऊ, क्षेत्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद, सम्बन्धित जनपदो के कलेक्ट्रेट रेकार्ड आदि से प्राप्त सामग्री का अवलोकन और अध्ययन किया है तथा प्राप्त तथ्यो के आधार पर शोध ग्रन्थ की रचना किया है। अध्ययन स्थलो के सम्बन्धित अधिकारियो और कर्मचारियो द्वारा प्रदत्त सहयोग हेतु उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

इस शोध कार्य मे मुझे मेरे शिक्षको, सहयोगियो, मित्रो, परिवारजनो ने जो परामर्श और सहायता दिया है उससे मै निश्चित रूप से लाभान्वित हुई हूँ। स्व०डा० राधेश्याम जी के निर्देशन मे शोध कार्य के लिए मेरा

नामाकन हुआ। यद्यपि उनकी अस्वस्थता के कारण उनके निर्देशन मे मेरा कार्य पूर्ण नही हो पाया किन्तु नि सन्देह उन्हीं के विशेष आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मै यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने मे समर्थ हो सकी हूँ। पूज्य स्व० राधेश्याम जी के प्रति यह मेरी श्रद्धाजलि है।

मै विशेषरूप से अपने वर्तमान निर्देशक प्रोफेसर श्री सी०पी० झा साहब जो स्नाकोत्तर स्तर पर मेरे गुरू भी रहे है के प्रति ऋणी और कृतज्ञ हूँ जिन्होने मुझे अपना निर्देशन प्रदान करने की सहमति देकर मुझ पर महान कृपा की है। इतना ही नही इस शोध प्रबध को पूर्ण करने मे मेरा मार्गदर्शन बडी ही सहृदयता से किया है। उनके द्वारा कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण, सुझाव और सशोधन का प्रतिफल है मेरा यह शोध प्रबध। मै पूर्ण विनम्रता के साथ बारम्बार उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। विभागध्यक्ष डा० श्रीमती रेखा जोशी के प्रति मै ससम्मान आभार प्रकट करती हूँ जिन्होने कार्य के मध्य आये अनेक व्यवधानो को दूर करने मे मेरी सहायता किया।

रीडर श्री विनय चन्द्र पाण्डेय जी, जो स्नाकोत्तर स्तर पर मेरे सहपाठी भी रहे हैं के द्वारा उदारतापूर्णक दिये गये बहुमूल्य परामर्श का स्मरण मेरा सुखद कर्त्तव्य है। प्रो० श्री एन० आर० फारुकी एव रीडर श्री पी० एल० विश्वकर्मा के सहयोगात्मक भाव के लिए मै अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

कम्प्यूटर कम्पोजिग के निमित्त सलग्न श्री विनय शुक्ला, स्वामी लक्ष्मी कम्प्यूटर सेटर ४६/५ बी०१ मालवीय रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद

दूरभाष – ६०६१५३, जो कि मेरे पुत्र समान है; उन्हे विशिष्ट रुप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूॅ एव आर्शीवाद प्रदान करती हूॅ।

अन्त मे मै पुन अपने समस्त गुरुजनो, सहयोगियो और मित्रो के प्रति सादर धन्यवाद एव आभार प्रकट करती हूॅ।

22/12/97

(श्रीमती अन्नो श्रीवास्तवा)

दिसम्बर १९९७

भूमिका

भूमिका

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले अपने प्राचीन गौरव एव गरिमा के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ एक ओर बनारस जनपद अपनी सभ्यता और सस्कृति का एक मुक्त क्षेत्र है[1] वही जौनपुर भी अपनी प्राचीनता के लिए यमदग्नि ऋषि की पावन तपोभूमि के रूप मे सर्वविदित है।[2] गाजीपुर जनपद गाध नायक की सजीव कथाओ से परिपूर्ण है तथा मौर्य वश के शासको के कारण अपना विशेष अस्तित्व रखता है।[3] मिर्जापुर विन्ध्यवासिनी देवी के पूजन और आस्था के लिए प्रसिद्ध है।[4] पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद एक समृद्ध और वैभवशाली सभ्यता एव सस्कृति अपने मे सजोये हुये है। गगा के किनारे पर स्थित भारत का प्रमुख धार्मिक नगर बनारस है जहाँ के असख्य मन्दिर और मस्जिद अपनी गौरवपूर्ण इतिहास के उदाहरण है।[5] इस पवित्र नगरी का सृजन ईश्वर ने स्वय ही वरूणा और अस्सी नदियो के निकट किया था। यह पवित्र स्थली समस्त दरिद्रताओ से मुक्त है।[6] यह भारत मे नदियो के किनारे बसे नगरो मे सर्वाधिक सुन्दर है। पवित्र गगा के किनारे स्थित प्राचीन नगर बनारस ऐतिहासिक वैभव से युक्त है। बनारस निश्चय ही भागीरथी के शीतल तथा पवित्र जल के तट पर बसे

---

1 बलदेव उपाध्याय – काशी मे पाण्डित्य परम्परा – पृष्ठ – १

2 भारत' समाचार पत्र, १३ सितम्बर १९८६

3 इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया, जिल्द – १२ पृष्ठ २२४

4 'कल्याण' पत्रिका विशेष सस्करण–पृष्ठ–१३८

5 ई० वुड– दि रिवोल्ट इन हिन्दुस्तान' - पृष्ठ--३२

6 स्कद पुराण–काशी–खण्ड–३०–पृष्ठ २०–२१

नगरो मे अद्वितीय है जो पडितो, पुजारियो तथा धर्म के प्रति आस्थावान जन सामान्य का आश्रय स्थल है। यह नगर न केवल धर्मस्थल है बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वविदित व्यापारिक स्थल भी है। बनारस नगर जहॉ विष्णु, शिव व शिवलिग पूजा के लिए अपना विशेष महत्व रखता है वही इसी नगर का सम्भाग मिर्जापुर विन्ध्वासिनी देवी के पूजन अर्चन और आस्था के लिए प्रसिद्ध है।[7]

मुगल शासक औरगजेब ने अपने सकल्प के अनूरूप वनारस के तमाम मन्दिरो को ध्वस्त एव धराशायी कर दिया। उसने नगर की मौलिकता को नष्ट करने के प्रयास मे इसका नाम परिवर्तित करके ' मुसलमानो का नगर' कर दिया किन्तु यह नया नाम मात्र उसके उत्तराधिकारियो द्वारा चलाये गये सिक्को तक ही सीमित रह गया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि ईस्टइण्डिया कम्पनी द्वारा बनारस का अवध के नवाब से अधिग्रहण नही हो गया।[8]

१७१६ मे फर्रुखशियर का कत्ल कर दिया गया और सितम्वर माह मे मुहम्मद शाह को बनारस का दायित्व सौपा गया। किन्तु यह व्यवस्था वहुत दिन तक नही चल सकी। मुर्तजा खॉ जो एक दरबारी था, के हाथ मे बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और चुनारगढ की जागीर दे दी गयी।[9] मुगल

---

7 डब्ल्यू ० क्रुक–दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, देयर हिस्ट्री इथनोलाजी एण्ड ऐडिमिनिस्ट्रेशन–पृष्ठ २४६–२४८

८ प्रयाग दयाल– कैटेलाग ऑफ क्वायन्स ऑफ किग्स ऑफ अवध पृष्ठ–२ (परिचय)

९ ए० एल० श्रीवास्तव–'दि फर्स्ट टू नवाब ऑफ अवध पृष्ठ ४२ एव डगलस डेवर–ए हेन्डबुक टू दि इग्लिश प्रीम्पूटनी रेकार्ड पृष्ठ–२५८ एव, ए० एन० सिह गाजीपुर जनपद इतिहास पृष्ठ २८

शासन के अन्तिम चरण मे बनारस प्रान्त एक राजा के अधीन था जिसे सम्राट के शासनादेश से उपाधि मिली थी।। औरगजेब की मृत्यु के तत्काल बाद मुगल राज्य की शक्ति और वैभव का क्षय प्रारम्भ हो गया। केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन होती गई और प्रान्तीय अधिपति व्यावहारिक रूप से स्वतत्र होने लगे। मुर्तजा खा ने इन जिलो को अवध के नवाब के वजीर सआदत खॉ को सात लाख रुपया के पट्‌टे पर दे दिया। उपरोक्त पट्‌टे को समाप्त कर के ये जिले मीर रुस्तम अली को आठ लाख रुपये मे दे दिये गये।[10] मीर रूस्तम अली ने सम्पत्ति की व्यवस्था एक भूमिहार ब्राह्मण को सौप दिया जो वर्तमान बनारस के सत्तारूढ परिवार का सस्थापक. था। मनसाराम एक योग्य व्यक्ति था और शीघ्र ही इन जिलो का सस्थापक एव वास्तविक शासक बन बैठा। नबाब के मीर रूस्तम अली से असन्तुष्ट होने पर वह उनका कानूनी पट्‌टेदार हो गया।[11] इसके तुरन्त बाद १७३८ मे मनसाराम की मृत्यु हो गयी और उसके पुत्र बलवन्त सिह ने दिल्ली के सम्राट, महमूद शाह के शासनादेश से राजा की उपाधि प्राप्त की तथा बनारस, जौनपुर और चुनार का क्षेत्र सरकार के पुराने पट्‌टे पर १३ लाख वार्षिक राजस्व देकर प्राप्त किया। बलवन्त सिह महत्वाकाक्षी तथा योग्य शासक था। उसमे स्वतत्रता की भावना तीव्र थी। दस वर्षो तक उसने नये नवाब सफदरजग को नियमित रूप से राजस्व दिया किन्तु जव १७४८ मे अफगानो के उदय से उसकी शक्ति क्षीण हो गयी तो उसने राजस्व देना बन्द कर दिया और नबाव के प्रतिनिधि को भगा दिया।[१२]

---

10 खैर–उद्दीन–मोहम्मद– तोहफा–ए–ताज (बलवतनामा) पृष्ठ–२ (अनुवाद फ्रेडिंक करवेन) एव ' हिस्ट्री आफ बनारस–प्रो० ए० एस० अल्टेकर पृष्ठ–५६

11 वही–पृष्ठ–२, एव गोकुल नाथ बदीजन 'चेत चन्द्रिका' पृष्ठ–३

12 प्रो० ए० एस० अल्टेकर– हिस्ट्री आफ बनारस पृष्ठ–६० एव बलवत नामा–पृष्ट–६

अफगान अहमद शाह बगश की विकसित शक्ति ने बलवत सिह को उससे सधि करने के लिए विवश किया जिसमे उसे गगा के उत्तरी क्षेत्र का त्याग करना पडा। किसी तरह से मराठो से सहायता प्राप्त करके सफदरजग ने अहमद शाह बगश को पराजित किया और इससे उत्साहित होकर बलवत सिह ने बिना गोली चलाये अफगानो द्वारा छीना गया अपना क्षेत्र प्राप्त कर लिया।[13] अब उसे नवाब वजीर का सामना करना था जो उसे दड देने के लिए बनारस आया। बलवत सिह को उसने मिर्जापुर पहाडियो मे स्थित किले मे जाने के लिए विवश किया। लेकिन नवाब उसे पकडने या पराजित करने मे असमर्थ था। वह उसे पहाडियो मे भेजने के लिए विवश नही कर सका क्योकि इसी बीच दिल्ली के सम्राट ने उसे अहमद शाह अब्दाली के प्रकरण का निराकरण करने के लिए आमन्त्रित किया। दिल्ली प्रस्थान करने के पूर्व उसे मार्च १७५२ मे बलवत सिह के साथ सन्धि करनी पडी। सफदरजग के साथ सधि करने के पश्चात बलवत सिह को विश्राम का समय मिला जिसका उपयोग उसने अपनी स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए किया। वजीर के साथ हाल के युद्धो ने उसे किलो के महत्व से अवगत करा दिया था और वह १७५२ मे रामनगर मे एक किले के निर्माण के लिए प्रवृत्त हुआ। १७५४ मे जब सफदर जग की मृत्यु हुई बलवन्त सिह ने एक बार फिर स्वतत्रता की घोषणा की किन्तु वह फिर असफल रहा। १७६५ मे इलाहाबाद मे अग्रेजो और शाह आलम के मध्य हुई सन्धि के अन्तर्गत बनारस अवध के नबाव को इस शर्त पर दिया गया कि बलवत सिह को पूर्ववत शासक बना रहने दिया जाय।[14]

---

13 प्रो० ए० एस० अल्टेकर– हिस्ट्री आफ बनारस पृष्ठ–६०

14 वही– पृष्ठ–६२

इस सन्धि से किसी भी प्रकार से नवाब और बलवत सिह के सम्बन्धो मे सुधार नही हुआ। उसने दो बार नबाव को हटाने का असफल प्रयत्न भी किया। एक प्रयास अग्रेजो के द्वारा भी किया गया। बाद मे नबाव ने बलवत सिह को देय धन मे दस लाख की वृद्धि करने के लिए विवश किया। १७७० मे बलवन्त सिह की मृत्यु हो गयी। उसके बाद उत्तराधिकार के लिए उसकी पुत्री के पुत्र महीपनारायण सिह तथा उसके अवैध पुत्र चेतसिह के मध्य विवाद हुआ। उत्तराधिकारी बालक था और चेतसिह ने स्वय उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए नवाब को तेइस लाख रूपये घूस देने की व्यवस्था की। १७७२ मे बनारस मे वारेन हैस्टिग्स तथा नवाब वजीर शुजाउद्दौला ने आपसी बातचीत मे चेतसिह को राज्य का उत्तराधिकार २२ १/२ लाख रू० वार्षिक राजस्व लेकर देना निश्चित किया। १७७५ मे शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी आसफउद्दौला ने बनारस प्रान्त अग्रेजो को दे दिया। किसी तरह चेतसिह को अग्रेज रेजीडेन्ट के अधीन बनारस का अधिपति बने रहने की स्वीकृति मिल गई।[15] इसके तुरन्त बाद वारेन हैस्टिग्स तथा उसकी परिषद के सदस्यो मे विवाद उत्पन्न हो गया और चेतसिह ने आन्तरिक झगडो को दूर कर के अपनी स्थिति सुदृढ करना चाहा। बनारस का प्रथम रेजीडेन्ट फ्रॉसिस का मित्र था और चेतसिह ने गवर्नर जनरल के विरुद्ध उसका साथ दिया। कर्नल मौनसन की मृत्यु के बाद हैस्टिग्स का पक्ष सबल हो गया और उसने फ्रॉसिस का साथ देने के कारण चेतसिह को दण्डित करने का निश्चय किया। उसने ग्राहम को बनारस का नया रेजीडेन्ट

15 वही–पृष्ठ–६३

नियुक्त किया जिसने विभिन्न तरीको से चेतसिह को परेशान करना प्रारम्भ किया। चेतसिह अपने पिता की भॉति सामजस्य करने वाला नही था। इस लिए वह परिवर्तित स्थिति का सामना नही कर सका।[16] यहॉ तक कि ग्राहम के सहायको ने भी चेतसिह को मूर्ख बनाया और धमकाया। ग्राहम के एक समर्थक अलाउद्दीन ने एक बार चेतसिह से कहा कि रेजीडेन्ट अस्वस्थ है। हकीम ने उसके लिए लाल चीटो के सिर से बनाये गये तेल की औषधि निर्धारित की है और चार मन लाल चीटो की तत्काल आवश्यकता है। लाल चीटे दुलर्भ होने के कारण बनारस मे उपलब्ध नही थे। अत चेतसिह ने सारे जिले से उन्हे एकत्रित करने का आदेश जारी किया लेकिन वह पर्याप्त मात्रा मे एकत्र करने मे सफल न हो सका और रेजीडेन्ट के क्रोध से आतकित हो गया। चतुर एव धूर्त मुशी को औषधि ग्रहण करने का तरीका बदलना था। यह उसने बिना किसी कठिनाई के कर दिया। जबकि वास्तविकता यह थी कि हकीम ने ऐसे किसी भी तेल और औषधि के विषय मे अपनी स्वीकृति नही दी थी।[17] यह घटना चेतसिह की योग्यता और सामान्य बुद्धि की रूप रेखा प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। चेतसिह की वास्तविक कठिनाई १७७८ मे इग्लैण्ड और फ्रान्स के मध्य युद्ध प्रारम्भ होने पर हुई।[18] पॉच लाख की एक असाधारण राशि की माग हैस्टिग्स द्वारा की गई जिसे चेतसिह ने बहुत अनिच्छापूर्वक पूरा किया। १७७६ और १७८० मे मॉग पुन दोहराई गयी। हेस्टिग्स ने किसी भी प्रकार चेतसिह को लूटने का निश्चय कर लिया था और इस उद्देश्य से

---

16 वही– पृष्ठ – ६३

17 वही – पृष्ठ ६४

18 म्यूथिएट– 'स्माइलिग बनारस' पृष्ठ–५२

उसने उस पर एक झगडा आरोपित किया। १७८० के लगभग उसने चेतसिह से २००० घुडसवार सेना की आपूर्ति करने को कहा। चेतसिह ने स्वाभाविक रूप से असीमित मॉगो के विरुद्ध प्रतिवाद किया। यही हैस्टिंग्स चाहता था। मैकाले के शब्दो मे उसकी योजना यह थी कि 'अधिक से अधिक तब तक मॉगा जाय जब तक कि (राजा) उसका विरोध न करे। फिर उसके प्रतिवाद को अपराध मानकर उसकी सारी सम्पत्ति को लेकर उसे दडित किया जाय। अत अब अवसर आ चुका था। इसलिए उसने योजना को पूर्ण करने के लिए बनारस आने का निर्णय लिया। इससे चेतसिह स्वय को शक्तिहीन समझने लगा और वह गर्वनर जनरल के स्वागत के लिए ६० मील दूर गया और व्यक्तिगत घूस के रूप मे २ १/२ लाख रु० तथा कम्पनी को अर्थ दण्ड के रूप मे २२ लाख रुपये देने के लिए कहा किन्तु कुछ परिणाम न निकल सका। हैस्टिंग्स दयाहीन था।[19] उसने ५० लाख की मॉग की। हैस्टिंग्स जुलाई १७८१ मे बनारस आया और उसने कबीर चौरा स्थित माधोबाग को अपना मुख्यालय बनाया तथा चेतसिह से उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मागा। चेतसिह ने स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर लगाये गये आरोपो से बचने की चेष्टा की। हैस्टिंग्स ने चेतसिह के उत्तरो को आधार रहित बताया और चेतसिह को बन्दी बनाने का आदेश दे दिया। चेतसिह शिवाला किले मे रहता था और दो कम्पनियॉ उसे बन्दी बनाने के लिए गई थी। उन्होने बिना किसी प्रतिरोध के अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। किन्तु जब चेतसिह की गिरफ्तारी की सूचना रामनगर मे उसकी सेनाओ को मिली तो

---

19 वही पृष्ठ –५२

उन्होने नदी पार करके अग्रेज टुकडियो को घेर लिया। अग्रेजो को अपने हथियारो की प्रतिष्ठा मे इतना विश्वास था कि उन्होने अपने सैनिको को रसद देने की प्रारम्भिक सावधानी नही बरती।[20] मेजर पोपहम के रसद सहित पहुँचने के पहले ही रामनगर की सेना ने अग्रेज टुकडियो को विजित करने मे सफलता पायी और सभी अग्रेज अधिकारियो को मार डाला गया। प्रारम्भिक सफलता से उत्साहित चेतसिह के सैनिको ने पोपहम को भी पीछे खदेड दिया। किले के बाहर चल रहे सघर्ष की गडबडी मे चेतसिह रक्षको से नजर बचाकर किले की नदी के ओर की खिडकी से पहाडियो की सहायता से नदी मे कूद गये और नाव की सहायता से उन्होंने 'रामनगर' की ओर प्रस्थान कर दिया।[21] वहाँ से वह अपने परिवार और खजाने सहित अपने किले लतीफपुर भाग गया। यह पता चलने पर कि चेतसिह रामनगर से भाग गया है वारेन हैस्टिग्स ने उस किले पर अधिकार करने की चेष्टा की। उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उसने दो अधिकारियो की सरक्षता मे सेना भेजी। चेतसिह की सेना के लिए यही श्रेयस्कर था कि वह अग्रेजो की सेना को पीछे खदेड दे जो उसने किया। अग्रेजो की सेना का प्रधान स्वय कायरता से भाग गया था तथा उसकी सेना को पराजय का मुँह देखना पडा। इस परिस्थिति ने बनारस मे हैस्टिग्स की स्थिति को काफी दुर्बल कर दिया। चेतसिह की सेनाओ के शक्तिशाली पडने के कारण खतरा सन्निकट था। इसलिए उसने अपने विरोधी शहर का त्याग करना उचित समझा और वर्षापूर्ण

---

20 प्रो० ए० एस० आल्टेकर –'हिस्ट्री ऑफ बनारस' पृष्ठ–६४

21 वही– पृष्ठ–६४

रात्रि के अधेरे मे भाग गया।[22] वह और उसके सहयोगी रातभर तीव्र गति से चलने के कारण प्रात काल चुनार पहुँच गये। जब अगले दिन उसके जाने का समाचार फैला तो चेतसिह की सेनाओ ने वारेन हैस्टिंग्स का मुख्यालय लूट लिया और उसके सहयोगी और सहायको को बन्दी बना लिया। किन्तु सेनाओ की विजय से उद्देश्य की पूर्ति नही हो सकी। अग्रेजो का विरोध करने से कुछ नही होगा—यह समझ कर उसने अन्तत अग्रेजो के विरुद्ध शरण प्राप्त करने के लिए महादजी सिधिया के पास जाना निश्चित किया। शीघ्र ही सैनिक रसद मिल जाने से अग्रेजो ने बिना किसी कठिनाई के रामनगर और लतीफपुर के किलो पर अधिकार कर लिया जब कि चेतसिह जा चुका था। हैस्टिंग्स के बनारस निवास काल मे महीप नारायण सिह ने हैस्टिंग्स से गुप्त याचना की थी और तदनुसार हैस्टिंग्स ने ४० लाख रु० वार्षिक राजस्व लेकर उसे चेतसिह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार मागा गया राजस्व १७८२ मे ४० लाख हो गया।[23] गर्वनर जनरल वारेन हैस्टिंग्स का व्यवहार राजा चेतसिह के साथ वास्तव मे निर्दयतापूर्ण एव उत्पीडक था। इस ऐतिहासिक झलक की पृष्ठभूमि से परिचित होने के साथ ही उस सूक्ष्मता से अवगत हर व्यक्ति को यह समझने मे जरा भी देर न लगेगी कि वास्तव मे इस सन्देहास्पद बात की वास्तविकता क्या है।[24] इन्ही तथ्यो को देखते हुए ग्रे का कथन था कि "हैस्टिंग्स द्वारा किसी क्षण प्रकट की गयी राय उस क्षण विशेष के बाद ही महत्वहीन हो जाया करती थी।[25] यह प्रश्न अत्यन्त

---

22 वही – पृष्ठ–६५

23 वही– पृष्ठ –६५

24 ट्रॉटर जे० एल० – वारेन हैस्टिंग्स ए बायोग्राफी'– पृष्ठ–६

25 हिस्ट्री ऑफ ट्रायल आफ वारेन हैस्टिंग्स भाग (१) पृष्ठ ३२०–३२१

विचारणीय है तथा इस बात का प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य बातो का मनन आवश्यक है कि (अ) राजा चेतसिह एक जमीदार की स्थिति रखता था अथवा राजा की। (ब) क्या वह अग्रेजो के विरुद्ध विद्रोही था, (स) हैस्टिग्स द्वारा अत्यधिक कर लगाना क्या न्याय सगत था।[26]

यद्यपि चेतसिह एक जमीदार की हैसियत रखता था किन्तु उसे राजा से कम सम्मान प्राप्त नही था। यह भी सत्य है कि कम्पनी से उसकी मित्रता थी, साथ ही साथ उसे कम्पनी का सरक्षण भी प्राप्त था।[२७] जहॉ तक राजा और जमीदार शब्द के सम्बोधन और उसके पद तथा प्रतिष्ठा की बात है यह बात हैस्टिग्स की बातो से स्पष्ट है कि हैस्टिग्स चेतसिह को राजा के रूप मे ही स्वीकार करता था। एक स्थल पर वारेन हैस्टिग्स ने कहा था कि, " बनारस प्रान्त अवध और बिहार का सीमान्त प्रान्त है, इसलिए बनारस के राजा और कम्पनी के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार अथवा मित्रवत् सम्बन्ध का विशेष महत्व है। ऐसी परिस्थिति मे बनारस के राजा और कम्पनी को स्थिर सम्बन्ध रखना चाहिए।[२८] अग्रेजी शब्द (ally) जो बनारस के राजा और कम्पनी के सम्बन्ध की गहरायी पर प्रकाश डालता है, तथा जो इस सन्दर्भ मे प्रयुक्त हुआ है– यह शब्द विशेष किसी राष्ट्र या किसी जागीरदार जमीदार या साधारण लोगो के लिए नही प्रयुक्त होता है। १७७५ के कौसिल के वक्तव्य मे हैस्टिग्स ने सकेत किया था कि

---

26 करसपान्डेन्स ऑफ दी एजेन्ट टू दी गर्वनर जनरल ऐट बनारस अप्रैल १२, १३, (१८१४) पृष्ठ– १५७ – १५८

27 हिस्ट्री आफ ट्रायल' भाग (१) पृष्ठ – १८

28 होम पब्लिक कन्सलटेशन लेटर फ्राम कोर्ट, २८ अगस्त १७८२ भाग २, पैरा–४७ पृष्ठ–१४६

चेतसिह को स्वतन्त्र रखने की मेरी इच्छा है क्योकि भारत मे पराधीनता के साथ हजारो बुराइयो जुडी हुई है।[29] वारेन हैस्टिंग्स ने यह भी कहा था कि यदि राजा अपने देय के प्रति स्वामिभक्त सिद्ध होगा, अपनी सरकार के प्रति आज्ञापालक सिद्ध होगा, तो उससे अतिरिक्त मॉग नही की जायेगी। उसके साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उसके अधिकारो मे कोई हस्तक्षेप नही किया जायेगा।[30] हैस्टिंग्स ने इस बात पर भी जोर दिया था कि चेतसिह कम्पनी को किराया देता था, प्रतिज्ञाबद्ध धनराशि नही–अत उसकी स्थिति एक जमीदार की है किन्तु कही–कही उसे उसने स्वय राजा की स्थिति मे ~~को~~ स्वीकार किया । दृष्टान्त के रूप मे १७७५ मे हैस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव रखा कि चेतसिह अपना राजस्व कलकत्ता मे देगा, बनारस मे नही क्योकि यह प्रस्ताव राजा की स्वतन्त्र स्थिति पर प्रभावहीन होगा।[31] इससे यह स्पष्ट होता है कि चेतसिह को एक राजा के रूप मे माना जाता था और जमीदार के पद का प्रयोग केवल वैधानिक था। चेतसिह वास्तव मे अग्रेज शासको के विरुद्ध क्रान्तिकारी था– यह प्रश्न भी चेतसिह और वारेन हैस्टिंग्स के बीच उत्पन्न हुए सम्बन्धो की दोषयुक्त व्याख्या है। यद्यपि हैस्टिंग्स ने अपने कलापो के निमित्त राजा को दोषी एव क्रान्तिकारी लक्ष्यो से युक्त माना है। उसका स्पष्ट कथन यह है कि राजा ने अमुक धृष्टता स्वय अपनी इच्छा से की है। उसने क्रान्ति को पूर्व नियोजित भी माना है।[32] समय की गति को प्रतिकूलता प्रदान करने का

---

29 स्पीचेज ऑफ एडवर्ड वर्क ऑन वारेन हैस्टिंग्स जिल्द २, भाग २ पृष्ठ २२२ ४७ पृष्ठ – १४६

30 होम पब्लिक लेटर्स फ्राम कोर्ट, अगस्त २८, १७८२, पैरा ४७ पृष्ठ १४६

31 कॉमन्स कमेटी रिपोर्ट ऑफ ईस्ट इन्डिया कम्पनी जिल्द--५, पृष्ठ–६१८, ६१६

32 वर्क– पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५८, २५६

कार्य कुछ सूचनाओ एव अफवाहो ने किया। जब हैस्टिग्स तक भ्रम युक्त यह सूचना पहुँची कि राजा चेतसिह मराठो से गुप्त वार्तालाप कर रहा है तो उसके विश्वास को और दृढता प्राप्त हुई।[33] कोलब्रुक कोमेक्स ने राजा की निन्दा इस आधार पर की कि उसने शर्त का उल्लघन किया है। उसने यह भी स्प्ष्ट किया कि राजा अपनी सीमा के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही साथ उससे बचनबद्ध धनराशि की आशा की जाती थी। किन्तु वास्तव मे राजा ने यह दोनो कार्य नही सम्पन्न किया था। यह भी कहा गया हे कि बनारस मे होने वाले प्रतिदिन के कत्ल, डकैती तथा खुले अपराधो का एकमात्र कारण स्वय राजा ही है। उसके ही कारण अग्रेजी सरकार पर तरह–तरह के आक्षेप किये जा रहे है। व्यक्तिगत रूप से राजा के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने मैत्री एव स्वामिभक्ति दोनो के विरुद्ध व्यवहार किया है।[34] जब राजा के बन्दी बनाये जाने की सूचना उसके महल रामनगर मे उसकी सेना को मिली तो सेना क्रुद्ध हो गई और एक बडी सख्या मे सेना के जवानो ने शस्त्रो से लैस होकर नदी को पार किया और अचानक ब्रिटिश सेना की टुकडियो पर आक्रमण कर दिया। चूँकि कम्पनी के सैनिक शस्त्रो से लैस नही थे इसलिए कोई प्रतिरोध न कर सके।[35]

जहॉ एक ओर इस प्रकार की घटनाये घटित हुई, वही दूसरी ओर चेतसिह ने हैस्टिग्स के सम्मान को रखने के लिए १२ अगस्त को उसके

---

[33] वारेन हैस्टिग्स–पूर्व उदधृत पृष्ठ–६

[34] सीक्रेट सेलेक्टेड कमेटी रिपोर्ट, सितम्बर ४, १७८१ जिल्द–३ पृष्ठ ७८३

[35] महादजी सिन्डे हैकी केज्ड पैट्रेन न०–१२७ पैरा–२ न०–११५

बक्सर सीमा क्षेत्र मे पहुँचने पर उसका भव्य स्वागत किया और उसकी गोद मे अपनी पगडी तक उतार कर इस आशा से रख दिया कि उसका आक्रोश कुछ कम हो जाय किन्तु राजा का सरल स्वभाव भी हैस्टिग्स को सन्तुष्ट एव प्रसन्न न कर सका।[36]

उपरोक्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ मे वारेन हैस्टिग्स के प्रति चेतसिह बहुत ही स्वामिभक्त, वफादार और सहृदय था, लेकिन हैस्टिग्स के कपटपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसे विद्रोही बनना पडा। लेकिन वह स्वदेशी शासको से समर्थन न प्राप्त कर सका था। अत वह अपने प्रयास मे असफल रहा।

हैस्टिग्स द्वारा राजा पर असीमित कर लगाना न्यायसगत था अथवा नही? इस प्रश्न पर ग्रे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दो बातो को स्पष्ट किया है। प्रथम, हैस्टिग्स द्वारा चेतसिह से की गई माग उस मौलिक सधि के प्रतिकूल थी, जो राजा और कम्पनी के बीच हुई थी। द्वितीय यह द्वेष एव भ्रष्टाचार का प्रभाव था।[37] इन बातो की पुष्टि मैकाले के भी विचारो से होती है। उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस प्रकार का निर्णय मात्र अपमानित करने के उद्देश्य से ही हैस्टिग्स ने लिया था। " चेतसिह को लूटने एव उसे युद्ध मे बॉधने के लिए वह दृढ प्रतिज्ञ था।[38] चेतसिह और वारेन हैस्टिग्स के बीच किसी भी प्रकार का गठबन्धन क्यो था तथा राजा

---

३६ ट्राटर–पूर्व उद्धृत, पृष्ठ–२५६

३७ वर्क–पूर्व उद्धृत, पृष्ठ–२५६

३८ फॉरेस्ट– 'सेलेक्शन फ्राम लेटर्स डिस्पेचेज ऐण्ड अदर स्टेट पेपर्स इन दी फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया। जिल्द I (पृष्ठ–२२०)

चेतसिह पर वारेन हैस्टिग्स ने एक सीमित कृपा क्यो की थी– इसको वारेन हैस्टिग्स ने स्वय ही व्यक्त करते हुए कहा है कि उसका देश हमारी कम्पनी के लिए एक प्रबल आड है तथा उसके लिए हमे कुछ व्यय नही करना पडता, साथ ही साथ मुझे यह विश्वास रहता है कि जव कभी आवश्यकता पडी मुझे सहायता प्राप्त होगी। हैस्टिग्स एक ऐसे सरक्षण एव मध्यस्थता का आकाक्षी था जो उसे चेतसिह के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता था क्योकि अवध के नवाब और राजा मे पैतृक बैर के बीज सदैव से पनपे हुए थे। वारेन हैस्टिग्स यह अच्छी तरह जानता था कि चेतसिह नवाब के लिए अदम्य है।[39]

हैस्टिग्स द्वारा लगाया गया असीमित कर उपरोक्त तथ्यो के आधार पर न्यायसगत प्रतीत नही होता। क्योकि राजस्व एकत्रित करने का कार्य महीपनारायण सिह को सौप देने पर भी अग्रेजो ने बनारस मे न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रखा। महीप नारायण सिह अल्पवयस्क था। यह तर्क देकर कि राजस्व–सग्रह का कार्य सतोषप्रद नही हो रहा है, लार्ड कार्नवालिस की सरकार ने उसे यह कार्य अग्रेजो को सौप देने के लिए विवश कर दिया।[40] महीप नारायण ने इस प्रस्ताव का विरोध करनेका प्रयास किया किन्तु अन्तत उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा। १७६४ मे उसने राजस्व और न्याय प्रशासन अग्रेजो को समर्पित कर दिया और इस प्रकार राजकुमार का स्तर उसने खो दिया। १७६४ जुलाई मे डकन ने सूचना दी की राजा बनारस अग्रेजी प्रशासनिक

---

39 सम्पूर्णानन्द– चेतसिह और काशी का विद्रोह--पृष्ठ–२३

40 प्रो० ए० एस० अल्टेकर–'हिस्ट्री ऑफ बनारस' पृण्ठ -६६

ढग लागू करने के लिए सहमत है, किन्तु शर्त यह है कि उसके पारिवारिक जिले और सम्पत्ति पूर्ववत् व्यवस्था मे रहे। अक्टूबर माह मे स्वीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गये और बगाल, बिहार तथा उडीसा के ढग का नया प्रशासन प्रारम्भ हुआ।[41] इस प्रकार १७७५ मे बनारस राज्य का प्रशासन बगाल की तरह हो गया। एक न्यायाधीश और परीक्षक बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर मे नियुक्त किये गये और एक जिलाधीश पूरे प्रान्त के लिए नियुक्त किया गया। प्रथम जिलाधीश श्री एलेक्जेण्डर डकन थे जिन्होने डकन रेजीडेन्ट के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया। १७६६ तक यही व्यवस्था बनी रही और कार्य होता रहा। सैमुअल डेविस बनारस का प्रथम न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट, कोलब्रुक मिर्जापुर के, जानरैली जौनपुर और जैकब राइटर गाजीपुर के थे। रैली एक कनिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए उन्होने अल्पकाल तक ही कार्य किया उनका स्थान ए० वेलेन्ड ने लिया। १८०० मे गाजीपुर मे जज का पद समाप्त कर दिया गया और यह क्षेत्र जौनपुर, एव मिर्जापुर के जजो मे विभक्त कर दिया गया।[42] इस प्रकार क्रमश ब्रिटिश शासन द्वारा बनारस मडल के निकट के जनपदो को भी अधिकृत कर लेने का प्रयास होने लगा। उनके प्रभाव मे १८०० मे सर्वप्रथम जौनपुर, तत्पश्चात गाजीपुर और फिर मिर्जापुर भी आ गया।[43]

---

41 डेवर डगलस–'ए हैन्डबुक ऑफ दी इगलिश प्रीम्यूटनी रेकार्ड्स पृष्ठ–२६०

42 वही– पृष्ठ २६१

43 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर पृष्ठ–३०३, एव इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया जिल्द १४, पृष्ठ ७५

उद्योग एवं व्यवसाय

उद्योग एवं व्यवसाय

किसी भी शासन की आधारशिला उसके राजनीतिक स्थायित्व एव आर्थिक सुदृढता पर आधारित होती है। किन्तु इन मूल लक्षणो से परे मुगल शासन काल मे शासनात्मक सकट और आर्थिक अस्थिरता ने भारत मे उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया।[1] मुख्यरूप से यह कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन समाज एव उसकी सम्पूर्ण उत्पन्न होने वाली परिस्थितिया ही इसके उत्तरदायित्व के कारण के मूल मे थी। इस सन्दर्भ मे समस्या के समाधान हेतु मात्र शहशाह अकबर और शाहजहा द्वारा ही प्रयास किया गया। औरगजेब के शासनकाल मे जटिलताए उत्तरोत्तर बढती ही गईं।[2]

उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र मे जिन लोकप्रिय वस्तुओ को मुगलशासन मे प्रश्रय दिया गया था उन्ही को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी न्यूनाधिक रूप मे अपनाकर अपने उद्योग और व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त किया।[3]

पूर्वी उत्तर प्रदेश मे अधिकाश शहरी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादित कच्चे माल पर आधारित थे। अत यहा के उद्योग और व्यवसाय को शहरी एव ग्रामीण स्तर पर विभाजित करना उचित प्रतीत होता है।

---

1 सतीशचन्द्र–उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास पृष्ठ–२३

2 मोरलैण्ड–मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था पृष्ठ २०३–२०७

3 वही–पृष्ठ २०३–२०७

पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यवसाय को हम दो रूप मे विभाजित कर सकते है– (१) कृषि पर आधारित उद्योग (२) सामान्य उद्योग।

पूर्वी उत्तर प्रदेश मे उक्त दोनो प्रकार के उद्योग का प्रचलन था। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे मुख्यरूप से नील, अफीम, नमक, शोरा, रेशमी, तथा सूतीवस्त्र के उद्योग के अतिरिक्त धातु उद्योग, सोने चॉदी के तार खीचना, चादी के हौदे, कुर्सिया, पालकी, मूर्तिया, फूलदान, थाल तथा अन्य घरेलू कार्य के निमित्त उपयोग मे आने वाले बर्तनो का निर्माण तथा छोटे उद्योग मे इत्र, केवडाजल, गुलाबजल, आदि प्रचलित थे। कालीन आदि के व्यापार भी प्रचलन मे थे।[4]

नील

नील की खेती भारत वर्ष मे प्राचीनकाल से ही होती आयी है। १७वी शताब्दी तक नील ही निर्यात के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रमुख वस्तु थी। किन्तु बाद मे वेस्ट इण्डीज मे नील का उत्पादन होने से भारत मे नील का उत्पादन कम हो गया और १६२४ मे ब्रिटिश बाजारो मे इसकी माग बिल्कुल बन्द हो गई। १८वी शताब्दी के मध्य मे वेस्ट इण्डीज मे भी नील का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण इग्लैण्ड अमरीका से नील मगाने लगा। स्वतन्त्रता सग्राम छिड जाने के कारण अमरीका ने नील की आपूर्ति बन्द कर दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत मे नील की खेती पुन बृहद पैमाने पर होने लगी। योरप के लोगो ने यहा के रैयत से 'खेती

---

4 के० के० दत्ता–सर्वे आफ इण्डियन सोशल लाइफ एण्ड एकोनामिक कन्डीशन इन एट्टीन सेन्चुरी (१७०७–१८०३)। पृष्ठ–६०

समझौता' कर लिया जिसका प्रमुख ठेकेदार जे० टी० फ्रिकशाप १७८४ तक रहा।[5]

नील के उत्पादको ने धीरे-धीरे नील की महत्ता को अनुभव किया। १७८७ मे सर्जन गिल्क्रिस्ट जो कम्पनी की नौकरी मे थे तथा चार्ट्स ने अपने पदो से त्यागपत्र देकर गाजीपुर के निकट स्वय नील की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। इससे पूर्व अग्रेज अपने उपयोग के लिए अल्पमात्रा मे ही नील का उत्पादन करते थे। उपयोग के उपरान्त बचे हुए नील को सवा दो रुपये या तीन रुपये तक प्रति सेर की दर से बेच दिया करते थे। गिल्क्रिस्ट ने नील बनाने की कला वेस्ट इण्डीज से सीखा था।[6] शीघ्र ही नील उत्पादको के मध्य झगडा व्याप्त हो गया। १७८६ मे गाजीपुर के कासिम ने डकन से इस आशय की शिकायत किया कि गिल्क्रिस्ट और चार्ट्स उन्हे नील के उत्पादन हेतु अधिकाधिक भूमि देने के लिए बाध्य कर रहे है। स्थानीय नील उत्पादको के मध्य व्याप्त झगडे को देखते हुए डकन ने कासिम को उसकी भूमि लौटा दिये जाने का आदेश जारी किया। किन्तु गिल्क्रिस्ट और चार्टस ने भूमि लौटाने से होने वाली क्षति की ओर डकन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह शिकायत किया कि कासिम ने जमीदार

---

5 के० के० दत्ता- सर्वे आफ इण्डियाज सोशल लाइफ एण्ड एकोनामिक कन्डीशन इन एट्टीन सेन्चुरी (१७०७-१८१३)। पृष्ठ-६०

एव एस०एन०सिन्हा 'सूबा आफ इलाहाबाद अण्डर दी ग्रेट मुगल्स' (शोध ग्रन्थ) पृष्ठ-१४४ मनूची खड (२) पृष्ठ ४२४,

6 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स-१४ सितम्बर १७८६

'विशेष सदर्भ यह है कि इस क्षेत्र के लाभप्रद उद्योग को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी भी अत्यधिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से स्वय भी व्यापार से जुड गये। उदाहरणार्थ गिल्क्रिस्ट, चार्ट्स, फ्रान्सिस फोक्स, थामस, ग्राहम (१७७०-८०) विलियम मारव्म (१७८१-८३) जेम्स ग्रान्ट (१७८६-८७) (के०पी०मिश्रा-१०४) बनारस अफेयर्स-(१७८८-१६१०) द्वारा जी० एन० सालीटोर जिल्द (१) पृष्ठ-१५२-१५३

को अधिक जमा पर पट्टा लिखा है जिससे उन्हे ४५५२/— का घाटा होने की सम्भावना थी। कासिम का कहना था कि जमीदार ने स्वेच्छा से भूमि लिया है। डकन द्वारा निरीक्षण किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि कासिम ने नील की खेती के लगान की दर नही अदा किया है। उसने हिसाब लगाया कि लगान की औसत दर चार रुपये बारह आना होना चाहिए।[7] गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स डकन के इस फैसले से सन्तुष्ट नही थे। उन्होने फैसले पर पुन विचार किये जाने हेतु आवेदन किया जिसे सरकार के पास अग्रसारित कर दिया गया। उन्हे आदेश दिया गया कि यदि ताल्लुका उनके पास अब भी हो तो उन्हे वे छोड दे। बनारस मण्डल मे नील के उत्पादन को बढाने तथा उससे कम्पनी तथा देश को लाभ पहुचाने के लिए कुछ नियमो की आवश्यकता हुई। २७ जनवरी १७६० को योरोपियन उत्पादको को यहा रखने का आदेश हुआ। ऐसे रैयतो को अग्रिम राशि दिये जाने का आदेश हुआ जो नील के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए तैयार थे। इसकी दर बिहार मे प्रचलित दर के अनुसार रखी गई। सरकारी आदेश की एक प्रति गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स के पास भेज दी गई जिसे दोनो ने ही स्वीकार किया।[८] बाद मे अन्य योरोपियन भी मण्डल मे नील उत्पादक के रूप मे बस गये। अनेक ने अपनी बुद्धि और चाल से कार्य प्रारम्भ भी कर दिया। गाजीपुर जिले मे उनसे कुछ झगडा हो गया। उदाहरणार्थ मिस्टर पुघ लेखनासार परगना की सरहद पर बस गये और सेनगढ के जमीदार से उनका तनाव हो गया। उत्पादन के लिए उन्होने

---

7 बनारस रेजीडेन्सी करसपाडेन्स—१४ सितम्बर १७८६—पृष्ठ—३६५—३६६

८ वही— पृष्ठ—४४२—४४३

एक बडी भूमि प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के अनेक झगडे गाजीपुर मे होते रहे।[9]

विभिन्न झगडो को दृष्टि मे रखते हुए गर्वनर द्वारा योरोपियनो को यह आदेश दिया गया कि मार्च १७६४ मे वे कोई भूमि सम्पत्ति स्वरूप ले सकते है। यह भूमि मात्र नील उत्पादन हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक भूमि वे लीज पर नही ले सकते। चूॅकि इस आदेश का नील उत्पादको पर अच्छा प्रभव नही पडा अत उन्होने डकन को एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जिसे अपनी टिप्पणी सहित डकन ने गवर्नर को प्रेषित कर दिया।[10]

शीघ्र निरीक्षण की दृष्टि से डकन ने कानूनगो के नाम एक आदेशपत्र जारी किया जिसके अनुसार दस दिन के अन्दर वर्तमान तथा भविष्य की दशाओ की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। रिपोर्ट के आधार पर डकन ने १० मई १७६४ को लिखे गये अपने पत्र मे सरकार से कई प्रस्तावो को अध्यादेश की धारा मे सम्मिलित कर लिये जाने की सिफारिश किया। डकन की राय मे नील की खेती देश की उन्नति के लिए तो आवश्यक थी ही, इसके साथ ही साथ बेकार पडी भूमि का उपयोग कृषि कार्य मे हो सकता था। गरीब, मजदूर हरवाहे तथा घसियारे इस कार्य मे लगाये जा सकते थे।[11]

---

9 वही–पृष्ठ५१७–५१८ एव ५१६

10 वही– पृष्ठ–५१६

11 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स, मई १७६४–पृष्ठ–६७–१२६

डकन ने यह अनुभव किया कि नील की खेती कुछ मामलो मे कुछ लोगो के लिए लाभप्रद थी। यह निश्चितरूप से सत्य है कि तत्कालीन जमीदार और किसान अपनी हक की भूमि देने को बाध्य ही नही हुए वरन अग्रेजो द्वारा लिए जाने वाले लगान को भी स्वीकार कर लिया।[12]

डकन नील उत्पादन की बुराइयो से भी सतर्क था। इससे सस्था को भी काफी क्षति पहुँची और उसने सुधार करना स्वीकार किया। डकन के अनुसार निम्नलिखित बुराइया प्रमुख थी–

(१) उनके मकानो को हटाने के लिए, दूसरा स्थान ढूँढने के लिए और समय–समय पर योरोपियन नील उत्पादको के नौकरो द्वारा जबरन उन्हे दबाये जाने के लिए था। भूसा देना भी रोक दिया गया था क्योकि यह बाजार से लाया जाता था।

(२) मालिक की आज्ञा के बिना पेड काट लिये जाते थे और उनको काटे गये पेड का उचित मूल्य भी नही दिया जाता था।

उक्त कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से डकन ने कुछ नियम बनाकर स्वीकृति हेतु सरकार के पास प्रेषित किया। नियमानुसार कोई भी भूमि आमिल, जमीदार या किसान द्वारा जिसे रेजीडेन्ट की स्वीकृति न प्राप्त होगी, नील की खेती के लिए देना उचित न होगा। रेजीडेन्ट को सख्त आदेश था कि वह स्वीकृति तभी प्रदान करे जबकि

---

12 वही–पृष्ठ १७६–१८१

जमीदार स्वय कास्त से और खेतवाले का वसीयतनामा लाकर सतुष्ट कर दे कि सम्बन्धितभूमि पर नील की खेती होती है।[13]

योरोपीय नील उत्पादको के नौकर यदि किसानो से भूसा छीनते थे तो उन्हे फौजदारी अदालत मे जाना पडता था। यदि वे अपने मालिक के लिए किसी कारीगर मजदूर को जबरन ले जाते थे तो उन्हे दण्ड का भागी होना पडता था। जिले के आमील द्वारा स्वीकृति मिलने और मूल्य निर्धारित होने पर ही कोई योरोपीय नील उत्पादक पेड खरीद सकता था।[14]

डकन ने यह सिफारिश किया कि रेजीडेन्ट की आदालत मे विभिन्न शिकायतो से सम्बन्धित प्रश्नो का उत्तर दने के लिए उत्पादक अच्छे और योग्य वकीलो को ही रखे।

योरोपीय उत्पादको के आवेदन तथा डकन के सुझाओ पर विचारोपरान्त गर्वनर जनरल ने २३ मई १७६४ को नील की खेती के बाबत कुछ अध्यादेश निकाले जिसके अनुसार रेजीडेन्ट को निर्देश दिया गया कि नील उत्पादको को हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाये जिससे वे रैयत से बीघा के आधार पर ठेका कर सके। मेहदी अली खॉ को सूचित किया गया कि वे आमिल के रूप मे किसी रैयत को न तो मजबूर करेगे और न ही कोई अनुचित अधिकार जमायेगे। यह भी सूचित किया गया कि कि यदि रैयत नील की खेती करे और उत्पादको को दे दे (जैसा बगाल मे हो रहा था।) तो सरकार सतुष्ट रहेगी। योरोपियन उत्पादको को प्रारम्भ

---

13 वही–पृष्ठ–१८२–१८३

14 वही– पृष्ठ–१८४–१८५

मे खर्च के लिए अग्रिम धनराशि देना पडता था।[15] उन्हे यह भी स्पष्ट किया गया कि रैयत से ठेका द्वारा फसल लेने मे जो विलम्ब होता है उसके लिए सरकार का उत्तरादाइत्व न होगा।

डकन के सुझाओ के अतिरिक्त सरकार ने अध्यादेश निकाला जिसके अनुसार –

(१) वर्तमान मे नील उत्पादन की ऐसी समस्त भूमि जो योरोपीयन उत्पादको द्वारा मार्च १७६४ के पहले ले ली गई है उनके अधिकार मे उनकी मृत्यु तक रहेगी।

(२) लीज पर योरोपियनो द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ली गई भूमि ७ मार्च १७६४ से व्यर्थ समझी जायेगी और ऐसी लीज का विक्रय कर दिया जायेगा।

(३) विगत वर्ष का समझौता समाप्त होने पर कोई भी योरोपियन न तो अपने नाम से और न ही दूसरे के नाम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप मे भूमि अपने पास रख सकता है। यह नियम ५० बीघा से अधिक के लिए नही लागू था।

उक्त बातो से ऐसा स्पष्ट होता है कि सरकार योरोपियन उत्पादको द्वारा नील के उत्पादन के विरोध मे नही थी। किन्तु वह ठेके की प्रथा को कम करने के पक्ष मे थी जिससे नील उत्पादक किसान एव कर्मचारी के बीच झगडा न हो।[16] प्रत्येक योरोपियन को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर

---

15 वही–पृष्ठ–१८६, १८७, २३६

16 वही–२३ मई १७६४–पृष्ठ–३२५ (जून १७६४ के प्रोसीडिग मे उपलबध है।)

करके इसका पालन करना पडता था। इस अध्यादेश का उल्लघन करने वाले को प्रथम बार ५००/– जुर्माना स्वरूप देना पडता था और यदि वह दूबारा उल्लघन करता था तो उसे कलकत्ता भेज दिया जाता था।[17]

१२ जुलाई १७६४ को रेजीडेन्ट ने एक नोटिस निकाल कर यह घेाषित किया कि एक शर्त पर योरोपियन सरकार के पट्टेदारो से नील बनाने के काम का ठेका कर सकता है। इस नोटिस मे मुख्यरूप से यह दर्शाया गया था कि मात्र सरकार के पट्टेदार ही इस प्रकार का ठेका करने के लिए योग्य है। पट्टेदार रैयत की भूमि को बिना उसकी स्वीकृति के सरकार को नही दे सकते थे। इस प्रकार एक कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चूँकि इसमे अधिक कठिनाई थी अत डकन को शर्तो मे सशोधन करना पडा। डकन ने २६ जुलाई १७६४ को सरकार को लिखा कि मैने उत्पादको को आदेश दिया है कि वे पट्टेदार की स्वीकृति के बिना ही अपने ठेको को समाप्त करे।[18]

२१ जून १७६५ को रेजीडेन्ट ने कुछ और धाराए जो १७६५ के ३३वे अध्यादेश मे सम्मिलित की गई थी, सरकार को भेजा। उसने परामर्श दिया कि कोई भी योरोपियन एक दूसरे के बहुत निकट काम न शुरू करे और न ही झगडे की भूमि पर दूसरे के साथ नील का उत्पादन करे।[19] १२ जुलाई १७६५ मे रेजीडेन्ट ने यह भी परामर्श दिया कि योरोपियन को ऋण के रूप मे अग्रिम राशि रैयत के लिए मागने की मनाही हो क्योकि इससे जमीदार पट्टेदार लालच मे आ जाते है और उन्हे अपनी भूमि से वचित

17 वही।

18 वही।

19 वही–जून १७६६ पृष्ठ–३३३

होना पडता है। एक ही पट्टा रखने वाले पट्टेदारो के बीच होड लग जाती है और झगडा शुरू हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये।[20]

उक्त परामर्श और सुझाव पर अपनी स्वीकृति देते हुए रेजीडेन्ट ने उन्हे अध्यादेशो मे सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार नील की धारा से सम्बन्धित डकन की चिन्ता दूर हुई।[21]

नवाब वजीर के देश से आने वाली सम्पूर्ण नील पर १७६७ मे १५ प्रतिशत कर लगा दिया गया। बनारस के टैक्स कलेक्टर को प्रति माह अपनी लिखित सूचना बनारस मण्डल मे भेजनी पडती थी। कुछ कार्यवाही जो कम्पनी सरकार ने नील उत्पादको के लिए किया वह व्यर्थ और प्रभावहीन सिद्ध हुए। नील उत्पादको के कुछ भारतीय नौकरो ने बहुत साधन एकत्रित कर लिया। नील उद्योग किसी भी प्रकार से साधारण लोगो के हितार्थ नही था। किन्तु इग्लैड के लिए एक आर्थिक लाभ का स्रोत अवश्य था।[22]

अवध सूबा मे नील का उद्योग बडी मात्रा मे होता था। सरकार लखनऊ ने नील उत्पादन मे ख्याति अर्जित किया था। तडक भडक पसद और सफेद कपडे पहनने वाले परिवार के लोग नील का विशेष उपयोग करते थे। खैराबाद से भी नील विदेशो को निर्यात किया जाता था। प्राय अवध सूबा से खरीदा हुआ नील अहमदाबाद ले जाया जाता था। इसी क्रम

---

20 वही–पृष्ठ–३३३–३३४

21 वही–जुलाई १७६४–पृष्ठ३३७, १२१,१२२

22 बगाल रेग्यूलेशन–(१) एपेन्डिक्स–पृष्ठ–३७२

मे यह सन्दर्भ भी आवश्यक है कि प्राकृतिक विपदा के कारण वियना मे नील की खेती क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण अग्रेज व्यापारियो को नील के लिए अवध पर आश्रित होना पडा।[23]

प्राचीन पीढी की समाप्ति ज्यो–ज्यो होती गई नील की खेती की कला और तकनीकि से लोग अनभिज्ञ होते गये। १८वी शताब्दी के उत्तरार्ध मे मात्र रगरेज लोग ही इसके जानकार रह गये थे। किन्तु बाद मे पुन एक बार नील उद्योग मे वृद्धि हुई।[24]

अफीम

ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीन और भारत मे अफीम का प्रचलन अरब वालो द्वारा चलाया गया। भारतवर्ष मे अफीम उद्योग पर वाराणसी मण्डल का पूर्ण आधिपत्य था। यही से छोटे–छोटे कारखानो को अग्रिम धनराशि के आधार पर व्यक्तिगत ठेका प्रदान किया जाता था। मुगल साम्राज्य की अवनति के पश्चात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तर्गत पटना के कार्यकर्त्ताओ एव अनेक पडोस के लोग भी अच्छे प्रकार के अफीम का उत्पादन करने लगे थे तथा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से इन्होने अपना अफीम का व्यापार भी प्रारम्भ कर दिया था। अठारहवी शताब्दी के मध्यकाल मे छोटे कारखानो और योरोपीय कारखानो मे अफीम के व्यापार को लेकर स्पर्धा की भावना व्याप्त हो गई। स्पर्धा की इस

---

23 दी इगलिश फैक्टरीज (१६५१–५४) पृष्ठ–२२२ इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया–पृष्ठ–२०–३०४ एव आर्शीवादी लाल "अवध के प्रथम दो नवाब"– पृष्ठ–२७६ (हिन्दी रुपान्तर)।

24 वही।

भावना के फलस्वरूप अफीम का मूल्य १००/– प्रति मन की दर से बढकर १५०/– प्रति मन हो गया।[25] वर्ष १७७३ मे वारेन हेस्टिग्स ने अफीम सम्बन्धी सम्पूर्ण, आधिपत्य अपनी सरकार को सौप दिया। बिहार का सम्पूर्ण उत्पादन कलकत्ता को ३२०/– प्रति पेटी की दर से देने के लिए मीर मुनीर की नियुक्ति की गई। यही मूल्य गाजीपुर मे भी प्रति पेटी की दर से निर्धारित किया गया। इतने ही वजन के अफीम की आपूर्ति डचवालो को टैक्स सहित किया जाने लगा।[26] वर्ष १७८५ मे स्थिति बदल गई और नीलामी के आधार पर सर्वाधिक बोली लगाने वालो का अफीम उद्योग पर आधिपत्य स्थापित हो गया। ६ अप्रैल १७८८ को गर्वनर जनरल की कौसिल ने मण्डल के सभी कलेक्टरो के पास एक अध्यादेश प्रेषित किया जिसके प्रत्युत्तर मे उनसे निम्नलिखित[27] बिन्दुओ पर सूचनाओ की अपेक्षा की गई –

(१) ठेके की नीति कृषको के लिए सुविधाजनक है अथवा नही? यदि रैयत को स्वय उत्पादन की छूट दे दी जाय तो क्या अफीम उत्पादन वाली भूमि द्वारा बढोत्तरी लगान प्राप्त करना सम्भव होगा और इस प्राप्त रकम से प्रत्येक परगना मे जमा धनराशि मे कितनी वृद्धि हो सकेगी?

(२) क्या रैयत को अफीम उत्पादन की छूट थी? यदि उन्हे अपनी स्वेच्छा से उत्पादन करने की छूट दे दी जाय तो अफीम के गुण और परिणाम पर अध्यादेश का क्या प्रभाव पडेगा? अफीम उत्पादन की शर्तो से क्या रैयत दूसरे मण्डल के रैयत की तुलना मे सुखी रह सकेगे। यदि

---

25 'रिपोर्ट आफ दी रायल कमेटी आन ओपियम–१८६४–६५ जिल्द III पृष्ठ ३६

26 वही–पृष्ठ–३७ पॉचवा रिपोर्ट जिल्द–I–पृष्ठ ४०

27 सेक्सपियर–पूर्व उदधृत–जिल्द II–पृष्ठ १५७–१५८ एव गिन्च– अरली ट्रवेल्स–पृष्ठ–१४२

उन्हे स्वेच्छा पूर्वक विक्रय की छूट दे दी जाय तो उत्पादन और परिणाम पर क्या प्रभाव पडेगा? एजेन्सी के अन्तर्गत उन्हे ठेके से क्या आपत्ति या असुविधा हो सकती है?

(३) यदि ठेके की नीति जारी रही तो रैयत के सुख ओर बचाव के लिए क्या किसी अन्य अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता होगी ? यदि अफीम का व्यापार सर्वथा खुला छोड दिया जाये तो उत्तरी एव पश्चिमी प्रान्तो को बिहार द्वारा कितनी मात्रा मे अफीम की आपूर्ति सम्भव हो सकेगी? देश मे ऐसे साधन उपलब्ध होने मे कमी या बढोत्तरी की आशका तो नही की जा सकती? यदि कम्पनी प्रारम्भिक नीलामी पर अपना अधिकार हटा लेती है तो क्या छोटी सस्थाए जिन्हे आधिपत्य प्राप्त है, असुविधा का अनुभव नही करेगी?[२४]

डकन ने रामचन्द्र पडित को अफीम के क्षेत्र मे अनुभवी व्यक्ति समझा और उनके आवश्यक परामर्श से सतुष्ट भी हुए। रामचन्द्र पडित के परामर्श से यह स्पष्ट हो गया था कि कम्पनी के द्वारा अफीम सम्बन्धी व्यवस्था सुचारू रूप से न चल सकेगी। उन्होने यह सुझाव दिया था कि अफीम उत्पादको के लाभ को दृष्टि मे रखते हुए बनारस मण्डल मे 'प्रतिनिधि' की व्यवस्था की जाय। डकन ने रामचन्द्र पडित के परामर्श और सुझाव को एक रिपोर्ट के रूप मे तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। रामचन्द्र पडित को ही प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उन्होने उत्पादको से पट्टा लिखवाया और उत्पादन हेतु उत्पादको को अग्रिम

---

२४ वही–पृष्ठ १५७'१५८ तक

धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी करायी।[29] पट्टे द्वारा यह निश्चय किया गया की उत्पादित अफीम ठेकेदार को न देकर सीधे सरकार को दिया जायेगा। जमीदार वर्ग ठेकेदारी व्यवस्था के विरुद्ध था अत उन्होने रैयतो को आगाह किया कि यदि अफीम के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उपज पर प्रतिबन्ध है तो कृषि कार्य ही न हो। अन्तत सरकार और रैयत दोनो को ही हॉनि उठानी पडी। सरकार और ठेकेदारो के बीच अफीम देने की व्यवस्था थी अन्यथा ठेकेदारो द्वारा सरकार को जुर्माना देना पडता था जिन्हे वे रैयतो को क्षति पहुँचा कर पूर्ण किया करते थे। तौलने वालो की धोकाधडी से भी रैयतो को क्षति पहुॅचती थी।

इन अनेकानेक कठिनाइयो को दृष्टिगत रखते हुए रामचन्द्र पडित ने व्यवस्था मे व्याप्त त्रुटियो को दूर करने के उद्देश्य से रैयतो का बचाव करते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया।[30]

(१) कोटेशन के कम मूल्य से सचालित न होकर ठेकेदारो को दिये जाने वाले मूल्य के बराबर ही रैयतो को भी मूल्य दिया जाय।

(२) रैयतो पर पोशते की खेती के लिए किसी प्रकार का दबाव न डाला जाय।

(३) रैयत को व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को अफीम बेचने पर रोक लगा दी गई जिससे अफीम की अच्छाई और परिणाम मे कमी न आने पाये।

---

29 वही–१६ जुलाई, पृष्ठ–२५८–२६६–रामचन्द्र पडित और सरकार के बीच हुई वार्ता जो प्रश्न और विरोध के सदर्भ मेथी उसी का हिन्दी रुपान्तर।

30 वही–पृष्ठ २६६–२६१

रामचन्द्र पडित ने अफीम की खेती को बढाने के लिए सरकार से एक लाख रूपये अग्रिम धनराशि देने का भी प्रस्ताव किया। रैयतो को यह बता दिया गया कि किसी प्रकार की मिलावट होने पर वे दण्ड के भागी होगे। तराजू को हाथ से उठाकर तौलने की प्रथा समाप्त करके तराजू को जमीन मे गाड देने का सुझाव देते हुए तौल की प्रणाली मे परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया। रैयतो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अफीम का मूल्य १८०/– प्रति पेटी से बढा कर १६०/– प्रति पेटी कर दिया गया। गाजीपुर से अफीम का कारखाना हटा कर बनारस मे स्थापित करने का विचार भी प्रस्तावित किया गया। उक्त समस्त सुझावो एव प्रस्तावो को सरकार द्वारा २१ जनवरी १७८६ मे स्वीकार किया गया[31]

प्रतिनिधि प्रथा को लागू करते हुए भी सरकार ने ठेकेदारी की प्रथा को जारी रखा। यह कार्य मात्र इसलिए किया गया जिससे बनारस मण्डल को अन्य मण्डलो की बराबरी मे लाया जा सके। जे० विलियम को ठेके का कार्य सौपा गया और उन्हे यह निर्देश दिया गया कि वे बनारस मे ५०० पेटिया प्रतिवर्ष तैयार कराये। रैयतो को ठेकेदारो द्वारा रुपये को सिक्को मे अग्रिम धनराशि स्वरूप देने को कहा। डकन का विचार था कि यदि रैयतो को और अधिक अफीम उत्पादन करने को कहा जायेगा तो बगाल और बिहार की भाति बनारस मण्डल मे भी मिलावट का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। ठेकेदारो को ५०/– प्रति पेटी अधिक की धनराशि देने को कहा गया जिससे उनके माध्यम से उत्पादन बढाया जा सके।[32] ६

---

31 वही पृष्ठ–१४३–१४४

32 वही पृष्ठ–७२

नवम्बर १७८६ को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा २ १/२ प्रतिशत कर लेकर नवाब वजीर के राज्य से माल बाहर भेजने की व्यवस्था की गई।

ठेकेदारी प्रथा से सम्बन्धित २६ जुलाई १७८६ की २०वी धारा के शर्त मे यह उल्लखित था कि बगाल ओर बिहार मे यदि कोई रैयत अफीम बेचते हुए पकडा गया तो उसे ४/– प्रति सेर की दर से जुर्माना देना होगा तथा उसका सम्पूर्ण अफीम यदि सरकार जब्त नही करती तो रैयत को १४/– प्रति सेर की दर से जुर्माना का भुगतान करना होता था। १६ फरवरी १७६० को अफीम के ठेकेदारो ने अपनी कुछ सुविधाओ को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गर्वनर को एक प्रत्यावेदन दिया। एक अध्यादेश इस विषय का पारित किया गया कि यदि कोई अग्रेज नियम के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया गया तो उसे योरप भेज दिया जायेगा‡ और यदि कोइ भारतवासी दोषी पाया गया तो उसे ३७५/– प्रति मन की दर से जुर्माने की धनराशि का भुगतान करना पडेगा। रैयतो को इस बात की सुविधा प्रदान की गई कि वे गत वर्ष मे बचे हुये अतिरिक्त अफीम का क्रय–विक्रय कर सकते है।[33]

चूँकि उक्त धाराए सरकार की नियमावली मे सम्मिलित नही थीं अत रेजीडेन्ट ने निम्नाकित नियम बनाये और गर्वनर द्वारा उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया–

33 वही–सितम्बर १६, १७८६ पृष्ठ ४४३–४४४

(१) निर्धारित सीमा से अधिक अफीम का विक्रय करने वाले को ४/– प्रति सेर की दर से जुर्माना देना होगा।

(२) यदि रैयत पहले वर्ष के उत्पादन का विक्रय करता था तो उसे ८७५/– प्रति मन की दर से जुर्माना देना पडता था।

उक्त नियमो को कार्यान्वित करने का मात्र इतना ही उद्देश्य था कि अफीम की तस्करी को प्रोत्साहन न मिल सके।

बनारस मण्डल के अफीम के ठेकेदार जे० एल० विलियम ने १३ जून १७६१ को गर्वनर से इस आशय का अनुरोध किया कि बनारस मण्डल मे देश के अन्य हिस्सो की भाति एक स्थाई नियम बनाया जाय और एक अधिकारी की नियुक्ति की जाय जिससे ठेकेदार और रैयत के मध्य सुविधा और सुरक्षा सम्बन्धी कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। रैयतो को इसका आभास भी कराये जाने की अपील की गई थी कि वे सरकारी नियमो और आदेशो का उल्लघन न करे। रेजीडेन्ट ने कई अदालतो के न्यायाधीशो से परस्पर बातचीत के दौरान गवर्नर के उक्त सुझाव का भी सदर्भ दिया। इस सुझाव या घोषणा के विरुद्ध अफीम खरीदने और बेचने वालो को दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा अदालत मे ऐसी स्थिति मे दुगना दण्ड भुगतने का फैसला हुआ[34]

रेजीडेन्ट ने बगाल और बिहार की भॉति इन नियमो को बनारस मण्डल मे लागू करने का आदेश दिया जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। चूॅकी आगामी ३१ अगस्त १७६३को बगाल, बिहार और बनारस

[34] वही–१४जून १७६१, पृष्ठ ८६–६१

मण्डल मे लागू पुरानी शर्ते समाप्त होने लगी थी[35] अत २८ जनवरी १७६३ को सरकार द्वारा भविष्य मे अफीम की आपूर्ति के लिए नये प्रस्ताव की मॉग की गई जिसमे निम्नलिखित[36] शर्ते रखी गई –

(१) यदि डायरेक्टर ठेके की शर्त को स्वीकार करते है या परिवर्तन करते है तो आवश्यकतानुसार गर्वनर उसे रद्द करने के लिए अधिकार सम्पन्न होगा।

(२) ठेका चार वर्ष के लिए दिया जायेगा जो १ सितम्बर १७६३ से प्रारम्भ होगा।

(३) २ मन से भरी हुई प्रति पेटी की दर से ६०० पेटिया प्रतिवर्ष ठेकेदारो द्वारा देय होगी।

(४) ठेके का रुपया सिक्को मे दिया जायेगा। यद्यपि सरकार द्वारा ठेकेदारो को अग्रिम धन दिया जायेगा किन्तु ठेकेदार को रैयत को अग्रिम धन देने का अधिकार नही होगा।

(५) प्रथम वर्ष दिये जाने वाली अफीम की पेटी बनारस मे स्वीकृत किये गये अफीम की ही भाति होगी।

(६) निर्धारित मात्रा के अनुसार पेटी मे अफीम होना चाहिए था और यदि किसी की पेटी मे अफीम की मात्रा कम होती थी तो ठीकेदारो को ३००/– प्रति पेटी की दर से जुर्माना देना होता था और सरकार द्वारा

---

[35] वही– १६ जून १७६२–पृष्ठ ५४६–५५०

[36] वही– पृष्ठ ५५०–५५१

प्रदत्त अग्रिम धनराशि भी लौटा देनी पडती थी। यदि दुर्भाग्यवश दैवी प्रकोप के कारण कभी फसल नष्ट हो जाती थी तो ठेकेदार को कुछ रियायत दे दी जाती थी।

(७) रैयत द्वारा प्रदत्त अफीम पूर्णत ठेकेदार कम्पनी या उसके एजेन्ट को देता था। यदि कभी वह किसी अन्य व्यक्ति को अफीम का कुछ हिस्सा बेच देता था या किसी वस्तु के बदले मे दे देता था तो ऐसे कार्य के लिए दोषी पाये जाने पर उसे ७५०/— की धनराशि जुर्माना स्वरूप देनी पडती थी।

(८) कलकत्ता मे स्थित व्यापार परिषद् को अफीम अपने खर्चे से ठेकेदार भेजता था।

(९) ठेकेदार वजीर के राज्य से बाहर जितनी अफीम भेजता था उसपर २ १/२ प्रतिशत कर स्वरूप बनारस के राजा को देना पडता था।

(१०) बगाल और बिहार मे उत्पादित अफीम को ठेकेदार न तो स्वय ले सकता था, न किसी को दे सकता था और न ही बाहर भेज सकता था।

(११) शुद्ध अफीम के प्रति एक सेर पर ढाई रुपये ठेकेदारो को कर देना पडता था और प्रति एक मन पर ढाई सेर वजन की अफीम अधिक देनी पडती थी जिससे सुखाने के बाद अफीम का वजन पूर्णत एक मन बना रहे।

(१२) अफीम की खेती के लिए निश्चित बीघा जमीन के आधार पर ठेकेदार अफीम देने का वचन देता था न कि उससे उत्पादित सम्पूर्ण अफीम।

(१३) किसी प्रकार के दैवी प्रकोपवश यदि खेती को क्षति होती थी तो ठेकेदार द्वारा खर्च वहन करने पर रेजीडेन्ट एक अमीन की नियुक्ति करता था जो हुई क्षति का अनुमान लगा कर बताता था।

(१४) रेजीडेन्ट या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष तराजू का निरीक्षण हुआ करता था।

(१५) निर्धारित मात्रा मे अफीम रैयत द्वारा न दिये जाने पर निम्नलिखित परिणामो को भुगतना पडता था–

(अ) यदि रैयत दोषी नही पाया जाता था तो उसे प्राप्त धनराशि (अग्रिम रूप मे) के कुछ भाग पर २ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करना पडता था।

(ब) यदि ठेकेदार को इसका सन्देह होता था कि रैयत की लापरवाही से ऐसा हुआ है तो अदालत या रेजीडेन्ट उससे अग्रिम धनराशि का साढे बारह प्रतिशत ब्याज वसूल करता था।

(स) यदि रैयत कभी अपनी जिद के कारण कच्चा माल किसी अन्य को बेच देता था तो इसकी शिकायत ठेकेदार रेजीडेन्ट से या अदालत मे करता था। ऐसा मात्र रैयत के सुधार हेतु किया जाता था।

(१६) यदि वजन बढाने के उद्देश्य से रैयत कच्चे माल मे पानी मिलाता था तो उसकी धर्म परीक्षा के लिए अफीम उत्पादन करने वाले दो सम्मानित व्यक्तियो की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की जाती थी।

(१७) यदि रैयत कच्चा माल तैयार करने वालो को मिलावट करके अफीम देता था तो उसका सम्पूर्ण माल जब्त कर लिया जाता था।

(१८) ठेकेदार द्वारा रैयत से किसी प्रकार का शुल्क अथवा दस्तूर लेने की प्रथा नही थी। यदि कोई इस का उल्लघन करता था तो उसे दस्तूर मे लिए गये धन का तीनगुना देना पडता था।

(१६) ठेकेदार या अफीम उत्पादक अपनी शिकायतो को मुफलिस अदालत के भारतीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अदालत के निर्णय का दावा रेजीडेन्ट के पास होता था। ऐसा तभी होता था जबकि मुकदमे का धन धारा के निश्चित धन से कम नही होता था।

उक्त अध्यादेश से यह स्पष्ट है कि डकन ने कृषको और सरकार की उन्नति हेतु प्रयत्न किया। उन्होने बनारस मे शुद्ध अफीम के उत्पादन पर बल दिया जिससे सरकार को अत्यधिक लाभ हुआ और कृषको को भी क्षति नही पहुँची।[37]

किन्तु १७६६ के अध्यादेश से अफीम के व्यापार मे गिरावट आ गई। सर जॉन शोर ने डकन को लिखा कि आमदनी मे यह कमी इस वर्ष छूट

37 होल्डन फर्बर–रिपोर्ट ऑफ इण्डियन गर्वनर जनरलशिप–पृष्ठ–८८

से अधिक हो गयी। जब यह पत्र डाइरेक्टर की अदालत मे प्रस्तुत किया गया तो उसका विपरीत प्रभाव पडा।

बगाल, बिहार तथा बनारस से चार हजार सात सौ तिहत्तर पेटियो का मूल्य ७ लाख ४२ हजार ५ सौ ४२ रुपये आये। इस कमी का कारण गत वर्ष बाजार में अफीम का अधिक माल निर्यात होना था। अफीम के व्यापार मे गिरावट आ जाने से डाइरेक्टर की अदालत परेशान थी। विदेशी बाजारो मे माल खराब होने से कीमत मे कमी हो गयी।

अफीम व्यापार के लिए ठेकेदारी और एजेन्सी मे से कौन सी नीति लाभप्रद होगी इस विषय पर विचार करने हेतु बगाल सरकार को लिखा गया। १५ मई १७६६ मे डाइरेक्टर की अदालत ने सरकार को एक पत्र द्वारा अफीम का परिमाण बनाये रखने हेतु बाध्य किया।[३४] फिर भी बजारो मे इसकी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कहा गया। उन लोगो ने बगाल की अफीम का नियम गवर्नर की इच्छा से समाप्त करना स्वीकार कर लिया।

गत वर्षों मे अफीम के व्यापार मे आई गिरावट को सुधारने तथा व्यापार को बढाने की दृष्टि से ११ जुलाई १७६६ मे ठेकेदारी के स्थान पर एजेन्सी का नियम लागू किया गया। एजेन्टो को अफीम उत्पादक किसानो को परेशान करने की बिल्कुल मनाही कर दी गयी।[३७]

---

३४ वही–पृष्ठ– ११३

३७ सेपरेट रेवेन्यू पत्र कोर्ट के नाम ६, ७ मार्च १७६६ पैरा–२

पोस्ते की खेती करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पडती थी। एजेन्ट कृषको को अग्रिम राशि देने से पूर्व भाव, वजन आदि निश्चित कर लेते थे। इस निश्चय की एक प्रति व्यापार परिषद के पास विचारार्थ भेज दी जाती थी। व्यापार परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर कृषको को अग्रिम राशि दे दी जाती थी। इस समझौते की एक प्रति उस क्षेत्र के न्यायधीश के कक्ष मे भी लगा दी जाती थी।

प्रत्येक परगना के मूल्य का निर्धारण एजेन्टो द्वारा होता था। पोस्ता बोनेंके समय एजेन्ट कृषको से बीघा निश्चित कर लेता था। निश्चित बीघे से कम मे खेती करने वाले किसान को अग्रिम धनराशि का तीनगुना जुर्माना स्वरूप देना पडता था। खेत मे उत्पन्न सम्पूर्ण पोस्ता किसान को देना पडता था। एजेन्सी की नीति काफी लाभदायक सिद्ध हुई। गत वर्ष से विक्रय मूल्य मे वृद्धि हुई। बनारस की अफीम २५ प्रतिशत प्रति पेटी अधिक हो गई। दूसरा विक्रय जो १६ फरवरी, १७६६ मे हुआ अपेक्षाकृत अच्छा था। ११ जून १८०० मे डाइरेक्टर की अदालत के पत्र द्वारा इस विक्रय की प्रशसा करते हुए एजेन्सी नीति को श्रेष्ठ बताया गया। अफीम की गुणवत्ता मे भी सुधार हुआ। गवर्नर ने कहा कि एजेन्सी द्वारा यदि अधिक आय न भी होगी तब भी बराबर तो अवश्य ही रहेगी।[40]

अब कम्पनी सीधे अपने कर्मचारियो द्वारा अफीम बनाने वालो से सम्बन्ध स्थापित करने लगी। धीरे–धीरे एजेन्सी नीति मे भी त्रुटि आने लगी। कम्पनी के लोगो द्वारा अफीम उत्पादक त्रस्त किये जाने लगे।

---

40 बगाल रेग्युलेशन, जिल्द – प्रथम पृष्ठ –४०२–४०४

१७६६ के अध्यादेश मे १८०७ मे कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन द्वारा बिहार तथा बनारस के बाहर अफीम का उत्पादन नही होना था। फलत तस्करी और छिपे रीति से व्यापार प्रारम्भ होने लगा। इसे रोकना कम्पनी के लिए कठिन था।

१८०७ मे बनारस के लिए एक पृथक एजेन्सी स्थापित की गई। अफीम का उत्पादन सीमित करते हुए यह घोषणा कर दी गई थी कि प्रति वर्ष १५०० मन से अधिक उत्पादन नही होना चाहिए।[41]

इस प्रकार १८वी शताब्दी के अन्तिम दशक मे अफीम के निर्यात मे २०० प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई। सम्भवत अवध से इस क्षेत्र मे आयातित अफीम भी इस वृद्धि का एक मुख्य कारण थी।[42]

नमक

बनारस मे नमक का जो उद्योग होता था वह साम्भर, उदयनगर और जोधपुर से आता था। बनारस मे इसका मूल्य ४ ५० रु० प्रतिमन था। इसका उपयोग मध्यमवर्ग तक ही सीमित था। गरीब जनता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नमक को बबेहा कहते थे।[43] गरवारा, रारी, सिगरामउ, जफराबाद तथा गोपालपुर मे नमक बनाया जाता था। नमक की वार्षिक उपज ७०,००० मन तक था जिसमे ४०,००० मन नमक का

---

41 सेपरेट रेवेन्यू लेटर–कोर्ट को लिखित सितम्बर, १८०० से जून १८०० तक क्रमश पृष्ठ ८, पैरा ३,८,११,१२, एव एच० आर० घोसाल–एकोनामिक ट्रान्जिशन इन बगाल प्रेसीडेन्सी–पृष्ठ–१२५

42 ए० शेक्सपियर्श–सेलेक्शन फ्राम दी डकन रेकार्ड, जिल्द– द्वितीय, पृष्ठ १७६–१७७

43 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स–अगस्त १७८७ पृष्ठ–१६३ एव मार्टिन हिस्ट्री ऑफ एन्टीक्वेट टोपोग्राफी एण्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे आफ इस्टर्न इण्डिया पृष्ठ ५४६–५०

उत्पादन केवल मुगरा ही करता था। अच्छा और उत्तम माल २/५० प्रति मन, द्वितीय श्रेणी का १–२५ प्रति मन से १–१५ तक तथा तृतीय श्रेणी का माल १/– प्रति मन की दर से बेचा जाता था।

१७६० मे जौनपुर मे साल्ट महल बनाया गया। एक अन्य महल बनाकर १८०००/– प्रति वर्ष की दर से शिवराज दुबे को पाच वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया।[44]

यह भी प्रासगिक है कि अच्छा माल जौनपुर और बनारस जिलो मे पाया जाता था। दूसरी श्रेणी का माल वजीर नवाब के राज्य मे भेज दिया जाता था।

अध्यादेश ६ धारा ४ के अनुसार बनारस मण्डल को बालम्बा, काशी, नेला, नमिट, जूलिया, ऊटसोचाल और लाहौर नामक नमक के आयात का आदेश था। इस अध्यादेश के अनुसार १–०० प्रति मन की दर से टैक्स लगता था। सोलम्बा और बालम्बा नामक नमक पर सवा दो रुपये प्रति मन की दर से टैक्स लगता था जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका आयात ही बन्द हो गया। साम्भर नमक की गुणवत्ता भी कम हो गई। इन नमको का मूल्य बाजार मे ८० प्रतिशत बढ गया।[45]

१८०१ अध्यादेश की धारा ६ के अनुसार सरकार की अनुमति के बिना नमक बनाना मना था। इस अध्यादेश का उल्लघन करने वालो को

---

44 गाजीपुर करसपान्डेस–२५ नवम्बर, १७६६ जिल्द ११८ पृष्ठ– ७८–७६ एव मीरात–उल–आमल फुटनोट ३६ ८१, आलमगीरनामा पृष्ठ – २२२ एव बचनान–ए जर्नीफ्राम मद्रास थ्रू मैसूर केनरा एण्ड मालावार।

45 बगाल रेग्यूलेशन –(१)– अपेन्डिक्स, पृष्ठ– ४८७

५०००/– जुर्माना स्वरूप देना पडता था। इस कडे अध्यादेश के परिणाम स्वरूप नमक व्यापार को क्षति पहुँची। नमक व्यापार मे लगे हुए अधिकाश लोग बेकार हो गये। कुछ नमक व्यापारी बेलहरा परगना मे और कुछ नवाब वजीर के प्रान्त मे जाकर बस गये। ऐसे लोग अवैध रूप से नमक का व्यापार करने लगे। बेलहरा और बिलकौर से बनारस मण्डल मे लगातार तस्करी होने लगी।[46]

नमक के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नमक के आयात और विक्रय का उत्तरदाइत्व मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियो का हो गया। भूमि टैक्ट वसूलने वाले कलेक्टर को अध्यादेश १८०१, के अध्यादेश ६ की धारा ६ के अन्तर्गत नमक के अवैध व्यापार को रोकने के लिए लोगो से सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया। उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत नमक की चौकियो के अधीक्षक और एजेन्ट नमक के मूल्य के ३५ प्रतिशत के बराबर पुरस्कार के अधिकारी होते थे। नमक का मूल्य उस जिले या क्षेत्र के निर्धारित मूल्य के अनुसार ही आका जाता था।[47] १८०१ के अध्यादेश ६ की धारा २७वी के अन्तर्गत नमक चौकियो के लिए दरोगा नियुक्त किये गये। उन्हे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व १०००/– की जमानत देना होता था। यदि तस्करी के मामले मे उनका सहयोग किसी प्रकार से सिद्ध हो जाता था तो वे दण्ड के भागी होते थे और उनकी जमानत जब्त कर ली जाती थी।[48]

---

46 वही पृष्ठ–४८८ एव खुलासात तवारीख पृष्ठ ५८

47 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स–१६ नवम्बर १८०२, पृष्ठ २०३

48 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स–१२ अक्टूबर, १८०२, पृष्ठ १६६ एव बगाल रेग्यूलेशन (१) अपेन्डिक्स पृष्ठ–४८८

शोरा

शोरा का उत्पादन बनारस से लगभग दस मील की दूरी पर बारा परगना के निकट चवसा केवली ग्राम मे और गाजीपुर जिले के खेतीपुर ग्राम मे होता था। वार्षिक उपज २०,००० मन की थी। यह पौने तीन रुपये मन की दर से बिकता था और ढाई प्रतिशत कर लगता था। यद्यपि यह दर पहले की अपेक्षा कम थी किन्तु फिर भी इसे पहले की व्यापारिक सन्धि के अनुसार समझा जाता था। शोरा अधिकाशत बारूद बनाने के काम आता था। १८वी शताब्दी मे योरोपीय जाति द्वारा युद्ध मे इसकी माग अधिक हो गई थी। वजीर नवाब के राज्य से शोरा का बनारस मण्डल मे आयात होने लगा था।[49]

रेशम

प्राचीन काल से ही बनारस नगर अपने सुन्दर जरी बूटी के रेशमी वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध रहा है। मुगलकाल मे कमरबन्द, पगडी और स्त्रियो के वस्त्रो के लिए बनारस को विशेष ख्याति प्राप्त थी।[50] एक फ्रासीसी डाक्टर जो शाहजहॉ के शासनकाल के अन्तिम चरण मे भारत आया था और कई वर्षो तक भारत मे रहा उसने बनारस के विषय मे लिखा है कि , " बडे–बडे कमरे जो कारखाने कहे जाते थे अनेक स्थानो पर देखने को मिले जिसमे कारीगर काम करते थे। एक कक्ष मे दरी बनाने वाले कारीगर

---

49 वही–पृष्ठ ४६३ तथा वी आर सी २४ अगस्त १७८७ पृष्ठ १७१ एव आइने अकबरी जिल्द–१ पृष्ठ ५८ एव बगाल सेलेक्ट्रेड कमीटी प्रोसीडिग्स –११ जून १७६१ पृष्ठ १०७, एव पी० मुन्डी ट्रेवेल्स पृष्ट ७६–७७

50 एफ० बर्नियर, ट्रेवेल्स इन द मुगल इम्पायर (१६५६–१६६८) पृष्ठ २५८–२५६

नियुक्त थे जो एक मालिक के निरीक्षण मे कार्य करते थे। दूसरे कक्ष मे सुनार तीसरे कक्ष मे चित्रकार, चौथे मे पीतल और वार्निश चढाने वाले, पॉचवे मे बढई, दर्जी, मोची कार्य करते थे। छठे कक्ष मे रेशमी जरी के कपडे बनाने वाले और पगडी जिस पर सुनहरे फूल बने होते थे तथा स्त्रियो के लिए रेशमी वस्त्र बनाने वाले कारीगर कार्य करते थे।[51]

मुगलो के पतन के साथ ही ये कारखाने भी धीरे–धीरे समाप्त हो गये। अब बुनकरो द्वारा नकद मूल्य पर वस्तुओ का विक्रय प्रचलित हुआ। सरकार को बिना असुविधा पहुँचाये यह व्यापार व्यापारियो द्वारा किया जाता था। इसका दर माल के सिद्धान्तो के ऊपर निर्धारित किया जाता था और उन दलालो के माध्यम से खरीदा जाता था जो बुनकर और विक्रेता के बीच बिचौलिये का काम करते थे। इन बिचौलियो को विक्रेता से कमीशन प्राप्त होता था।[52] दलाल वस्तुओ के निर्माता और व्यापारियो को एक दूसरे के निकट लाकर व्यापार मे उन्नति करते थे जिससे अधिक लाभ होता था। १७८६ मे इन दलालो को कारखानो के एजेन्ट से बुनकरो और सौदागरो को देने के लिए माल प्राप्त होता था।[53]

---

51 गाजीपुर करसपॉन्डेन्स २७ अगस्त १७८७, जिल्द–८६, पृष्ठ १५ एव फिज अर्ली ट्रवेल्स इन इण्डिया पृष्ठ–२८, ट्रेवर्नियर भाग–२ पृष्ठ २०

यदुनाथ सरकार–औरगजेब (खण्ड–५) पृष्ठ –३४१, एव ट्रेवनियर–अर्ली ट्रेवेल्स इन इडिया–पृष्ठ–२

52 वही–पृष्ठ–११ एव एम एम खान–पृष्ठ २०७ अप्रकाशित शोध ग्रन्थ।

५३ ई० थर्सटन–हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी क्वायनेज (जर्नल आफ ऐसीयाटिक सोसाइटी आफ बगाल) जिल्द [illegible] खण्ड [illegible] १८६३ पृष्ठ–५५ एव हेनरी एडवर्ड फेने फाइब इयर्स इन इण्डिया– जिल्द–१ पृष्ठ–४७, मनूची ट्रवेल्स जिल्द–२ पृष्ठ ६२८ एव एरिश–ए रहीस–ए– महफिल–पृष्ठ १०१

बनारस का मिन्ट सोना चॉदी का तार एव सूत बनाने वालो का माध्यम था और कीमती वस्त्र जरीदार वस्त्र बनाने वाले एव बुनकरो का भी इसमे साथ था। जी० एल० बार्लो ने अपनी पुस्तक मे बनारस मण्डल के सिक्का निर्माण रीति का वर्णन किया है कि सोना चॉदी का तार व सूत बनाने वाले तथा मिन्ट के मध्य परस्पर सम्बन्ध था और इन वस्तुओ का निर्माण इनके व्यापार की उन्नति पर निर्भर करता था। मिन्ट के समाप्त हो जाने पर उन वस्तुओ के निर्माताओ ने दूसरी वस्तु की माग किया। सिल्क उद्योग का केन्द्र बनारस जिले मे कई स्थानो पर था। किमखाब, जरीदार कपडा, चादी, सोने के तार, साटिन एव कई अन्य प्रकार के कपडे जो गुलदान और चारखाना के नाम से प्रसिद्ध थे बनाये जाते थे। मैकाले ने लिखा है कि " यह अतिशयोक्ति नही है कि बनारस मे तैयार किया गया बारीक रेशम सेन्टजेम के बाल को सुशोभित करता था।" बनारस अपने मुख्य उद्योग कलाबत्तू के लिए प्रसिद्ध था जिसकी माग किमखाब बनाने के लिए बहुत अधिक थी। बनारस मे बना हुआ सलमा भारत के दूसरी श्रेणी मे आता था।[54]

छींट (बढ़िया कपड़ा)

बनारस मण्डल मे उच्चकोटि की छीट का कपडा बनाया जाता था। जैसा कि वार्ड ने लिखा है, "भारत की यह मूल कला भी, छीट का बनाना,

५४ वही– ५५–५६, एव टी० बी० मैकाले–एशेआन वारेन हैस्टिंग्स– पृष्ठ–५५ एव हाप्सन जाप्सन–पृष्ठ ३८४

अपनी अधिक सुन्दरता और अच्छाई के कारण योरप मे बिना किसी सशोधन के उसी रूप मे प्रयोग होता था।[55]

सूत

खासा, काशिमाबाद, रगोली, हबेली, गाजीपुर और रसडा मे सूती कपडे का निर्माण होता था। बलिया मे गारा, मोहम्मदाबाद मे मारसे और जौनपुर मे मलमल बनता था। अच्छे किस्म का सादा और धारीदार तन्जेब बनारस मे बनाया जाता था। सूती कपडो की रगाई और छपाई अधिकाशत लोहता मे होती थी। बनारस मे प्रति वर्ष लगभग ६ लाख रुपये का कपडा बनता था जिसकी अधिकाश खपत बनारस मे ही हो जाती थी। शेष माल को कलकत्ता भेज दिया जाता था। बुनकरो को सरकार अग्रिम राशि देकर सारा माल देश के लगान के रूपये से खरीद लेती थी। वस्तुओ के मूल्य की सूची जो कलकत्ता भेजी जाती थी। निम्नवत है—

कपडा	प्रतिथान	चार्ज	योग
बबता 36'x2'	87-8 आना	8-00	96-8 आना
घरहा 36'x2'	67-8 आना	7-00	79-8 आना
इमरतिस 8'x3/4'	60-00 रु	6-00	66-80 रु
लखौरी 28'x2'	46-8 आना	5-00	52-8 आना

---

55 डब्ल्यू ० वर्ड० —व्यू ऑफ हिस्ट्री लिट्रेचर एण्ड रेलीजन ऑफ हिन्दूज, जिल्द प्रथम—पृष्ठ—६६

कम्पनी द्वारा बनारस के बने वस्त्रो का निर्यात भी प्रारम्भ हुआ। व्यापारियो को इसके मूल्य की जानकारी कराने के लिए बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के चुगीघरो मे कपडो के नमूने दर सहित रख दिये जाते थे। व्यापारी अपना माल व्यक्तिगत रूप से न बेचकर कम्पनी को देने के लिए अधिक उत्सुक रहने लगे। सरकार कम मूल्य पर उनका सारा माल क्रय कर लेती थी। इससे व्यापारी को अपनी बिक्री का मूल्य तुरन्त प्राप्त हो जाता था। प्रथम बाजार मे जहॉ कपडे बेचे जाते थे ५ प्रतिशत टैक्स लगाया गया और उनपर उस स्थान की मुहर लगा दी जाती थी जिससे अन्य स्थानो पर उनसे टैक्स न लिया जाये।

बनारस मण्डल मे सूती कपडा बनाने के लिए जो कपास प्रयुक्त होता था वह जमुना नदी के दक्षिणी किनारे के राज्यो से आता था। इन राज्यो मे कपास की पैदावार बहुतायत मे होती थी। दक्षिण से भी कपास, मगाया जाता था। एक लाख नब्बे हजार पॉच सौ छिहत्तर मन पौने दो सेर कपास का मूल्य एक लाख सोलह हजार छ सौ उन्चास रुपये आठ आना (रु० ११६ ६४९–८ आना) होता था। जालौन और अहमद नगर के कपास की अपेक्षा नागपुर का कपास अधिक अच्छा होता था।[56]

धातु

कीमती धातु का कार्य केवल सोना चॉदी के तार बनाने तक ही सीमित नही था/बनारस नगर मे ऐसे बहुत से स्वर्णकार थे जो जवाहरात

---

56 बनारस रेजीडेन्सी करसपॉडेन्स– २७ अगस्त १७८७ पृष्ठ – ४१, ४२, ४३, एव आइने अकबरी जिल्द–२ पृष्ठ १६६

के साथ ही साथ सोने चॉदी के बर्तन भी बनाते थे। चॉदी के हौदे, कुर्सियॉ, पालकी आदि बनाकर जरीदार कपडो से ढकने का कार्य भी होता था। सौदागर भारी मात्रा मे इनका व्यापार नेपाल से करते थे और इसके बदले मे सोने की ईंट प्रति वर्ष ४ से ५ लाख रुपये तक का वहॉ से लाते थे। इस सोने पर टैक्स लगता था। टैक्सो को वसूल करने वाले कार्यालय को सोना महल कहा जाता था‡ जिसकी स्थापना राजा बलवन्त सिह द्वारा की गई थी।[57]

पीतल

बनारस और मिर्जापुर पीतल उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। इस उद्योग के मालिक बनिया या कसेरे होते थे। ये मजदूरो को पीतल का औजार देते थे। कच्चा पीतल प्राय बाहर से मगाकर बनारस मे नक्काशीदार बर्तन निर्मित किये जाते थे। पीतल की मूर्तिया, रूप तथा थालो मे चित्रकारी का कार्य मुख्य था। थालो तथा अन्य फैन्सी वस्तुओ पर उभार का कार्य होता था। बडी–बडी तश्तरिया, थाल गगा–जमुना ट्रे, कटोरे, फूलदान, सुराही, लोटा, मोर, पन्तास, तसला तथा अन्य दूसरी वस्तुओ का निर्माण भी होता था।[58]

---

57 वही– पृष्ठ ४१, ४२, ४३ एव बगाल पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट (जर्नल) पृष्ठ–७

58 जी० बी० डैमपियर–ए मोनाग्राफी ऑन ब्रास एण्ड कापर वायर्स ऑफ (एन० डब्ल्यू० पी०) एण्ड अवध पृष्ठ–३२–३३

मिर्जापुर के पीतल, कासा जिसमे जस्ता और ताबा मिला रहता है, का भी उद्योग प्रसिद्ध था। बडे सम्पन्न घरो मे प्रयोग होने वाले प्राय सभी बर्तन यहा बनते थे। सफेद धातु का कार्य यहॉ नही होता था।[59]

इत्र एवं केवड़ाजल

गाजीपुर इत्र बनाने का प्रमुख केन्द्र था। यहॉ भारी मात्रा मे गुलाब जल बनता था। गुलाब की खेती साधारण किसानो द्वारा नगर के आसपास होती थी‡ जिन्हे इत्र निर्माताओ से अग्रिम राशि मिल जाती थी। मार्च और अप्रैल माह के मध्य मे गुलाब एकत्र किया जाता था जिसका विक्रय सख्या के अनुसार होता था। यहॉ पर उच्चकोटि का सस्ता गुलाब जल तैयार होता था। गुलाबजल को बडे–बडे बर्तनो मे रात्रि से प्रात तक खुली हवा मे रखा जाता था। प्रात काल गुलाब जल पर एक हल्की तेल की पर्त जम जाती थी जिसे समेट कर इत्र बनाया जाता था। इस प्रकार इत्र सस्ता होता था। एक रुपयॉ भर इत्र के लिए दो हजार गुलाब के अच्छे फूल की आवश्यकता होती थी।[60]

केवडा जल जौनपुर मे बनाया जाता था। बी० एच० ओलपर का कहना है कि "इस इत्र की अधिकतम माग योरप के तेल कारखानो मे होती थी।" जौनपुर सुगन्धित तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। गुलाब की भॉति चमेली और बेला की भी खेती होती थी। इत्र का बनाना फारस से शर्की सुल्तान के जमाने से प्रारम्भ हुआ। खस घास की जड से बनता

---

59 वही पृष्ठ–३२–३३

60 पी० हेबर– ए नरेटिब ऑफ जर्नी थ्रू दी' अपर प्राविन्सेज ऑफ इण्डियन–जिल्द– प्रथम पृष्ठ २६६

था। जौनपुर शहर के आस पास चमेली और बेला की खेती अधिक मात्रा मे होती थी। गुलाब गाजीपुर से आता था। गाजीपुर और जौनपुर का माल अधिकतर बगाल और बिहार मे तथा कुछ राजस्थान और पजाब मे बेचा जाता था।[61]

लकड़ी के खिलौने

लकडी के खिलौने का प्रमुख उद्योग अलईपुर, तेलियानाला, रामापुरा, भेलूपुरा, कुबरवापुरा, और खोजवा मे था। इन खिलौनो के लिए कोरया नामक सफेद और मुलायम लकडी का प्रयेाग किया जाता था। जो हअरौरा, पालामउ, धनूपुर, भगवा से आता था। रगाई के लिए लाख और रग के मिश्रण का प्रयोग होता था।[62]

ईट उद्योग

पूर्वी उत्तर प्रदेश मे ईट उद्योग अपनी उत्कृष्टता की चरमसीमा पर था। ईट की पथाई, भराई एव पकाई के पश्चात् उसकी निकासी की जाती थी। तैयार ईट की बिक्री की जाती थी। बडे भवनो, हर प्रकार के मकानो के निर्माण मे इसका प्रयोग किया जाता था।[63]

---

61 डुप्लेन, पेपर ऑफ इण्डियन एसेन्सियल आयल प्रोसीडिग आफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस–१९०६ एव मनूची ट्रेवेल्स खण्ड (२) पृष्ठ ४२८ एव हेबर–नरेटिव ऑफ जर्नी थ्रू दी अपर प्राब्सिेज इण्डिया जिल्द–१ पृष्ठ ३५०, एव ए रहीसे महफिल पृष्ठ–१०६

62 एच० सी० चटर्जी –नोट्स आन इन्डस्ट्रीज इन यू० पी० पृष्ठ–३८–३९, एव मनूची–मनूची ट्रेवेल्स खड (२) पृष्ठ ४२८

63 जे० एन० सरकार० इन्डस्ट्रीज इन मुगल इण्डिया पृष्ठ–२१८,

पान

बनारस का पान उद्योग प्राचीनकाल से ही अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर रहा है। अठारहवी शताब्दी मे 'बनारसी पान' विश्वस्तर पर प्रसिद्ध था और हर छोटी बडी महफिलो,, उत्सवो की शान था। पान का सेवन प्राय सभी वर्ग के लोग करते थे। पान की खेती, कत्था, सुपारी, और विभिन्न प्रकार के तम्बाकुओ का निर्माण और विक्रय बनारस के व्यापार का मुख्य स्रोत था। तम्बाकू की अनेक श्रेणिया होती थीं‡ जिनका मूल्य उनकी गुणवत्ता और सुगन्ध पर आधारित होता था।[64]

---

६४ आईने अकबरी जिल्द एक पृष्ठ–७७, (जैरेट) अनुवाद, मनूची, जिल्द (१) पृष्ठ ६३, ट्रेवेनियर ट्रेवेल्स जिल्द (१) पृष्ठ–२६४, गुलबदन बेगम, हुमायूनामा–पृष्ठ–३३, एम० पी० श्रीवास्तव 'सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इन्डिया पृष्ठ १०८ वर्नियर ट्रेवेल्स– पृष्ठ–१३

उधर सुरग जनु खाए तबोला
अब ही जानु चाहे हॅसि बोला।
(हिन्दी) चित्रावली–पृष्ठ ६४–७२

कर, चुंगी
एवं
बैकिंग प्रणाली

कर चुँगी और बैंकिंग प्रणाली

प्राय सम्पूर्ण प्रशासन मे कर की व्यवस्था एक प्रकार की होती थी। यद्यपि इसकी एकरूपता बनाये रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था किन्तु कही–कही क्षेत्र विशेष मे कर के स्वरूप मे अन्तर भी पाया जाता था।

मुगलकाल मे हिन्दुओ से 'जजिया' कर और मुसलमानो से 'जकात' कर लिया जाता था। जकात से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मस्जिदो, मदरसो एव धार्मिक कृत्यो मे किया जाता था। इन करो को वसूलने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे।[1] कुछ शासको ने इन धार्मिक करो मे अपने शासन काल मे छूट भी दिया किन्तु औरगजेब ने अपने राज्य काल मे इस हेतु कोई छूट नही दिया।[2]

कुछ मुगलकालीन शासको ने 'तम्बाकू' पर विक्रय कर लगाया था किन्तु औरगजेब ने तम्बाकू, अफीम, गॉजा, भाग, मद्य आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इनके निमित्त सारे लाइसेन्स रद्द

---

1 हरिशकर श्रीवास्तव–'मुगल प्रशासन' पृष्ठ १२६–१३० एव ह्यूम्स टी०पी०–डिक्शनरी ऑफ इस्लाम पृष्ठ ६६६–६०० एव अथनाइड्स, एन० पी०–मुहम्डन थ्योरीज आफ फाइनेन्स पृष्ठ २०७, २६७, ३१८ एव त्रिपाठी राम प्रसाद– सम आसपेक्ट आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ–२४५

2 कुरैशी–दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल इम्पायर पृष्ठ १४७, जहीरुद्दीन फारुकी–ओरगजेव एण्ड हिज टाइम्स–पृष्ठ–१६४, १७०, ४७६

कर दिया।[3] मुगलकाल मे सूतीवस्त्र निर्माण मे लगे कारीगरो अथवा व्यवसायियो को तैयार माल पर कर देना पडता था। इसके अतिरिक्त वृक्षो, फल के बाग तथा भवन निर्माण पर २$\frac{३}{४}$ प्रतिशत राजस्व लगाया गया था।[4]

ऐसे भी अनेक दृष्टान्त आये है जिनसे यह ज्ञात होता है कि सरकारी क्षति की परवाह किये बिना व्यापारिक सुविधा को ध्यान मे रखकर राजस्व मे भारी छूट दी गयी। मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड के सौदागर को कपास पर अपेक्षाकृत अधिक कर देना पडता था जिसे अन्य की बराबरी पर लाने के उद्देश्य से डकन ने प्रत्येक मन पर १५ प्रतिशत से १० प्रतिशत और २ प्रतिशत कम कर दिया। यद्यपि इससे शासन को हॉनि हुई किन्तु मिर्जापुर से बिहार और बगाल को अधिक कपास जाने लगा। यह नवाब के फूलपुर के बाजार की अपेक्षा अधिक था।[5] दक्षिण के व्यापारियो की सुरक्षा के लिए डकन ने जमीदारी चौकियो की व्यवस्था किया। पश्चिमी सीमा से लेकर मिर्जापुर तक पहरेदारी की व्यवस्था की गई। यह

---

3 डी० पन्त–दि कामर्शियल पालिसी आफ मुगल पृष्ठ–२३१–२३२, एव ए० एल० श्रीवास्तव–'मुगलकालीन भारत' पृष्ठ ३७२ मोरलैण्ड 'इडिया ऐट दी डेथ आफ अकबर' पृष्ठ १५८, प्ले सर्ट 'इडिया' पृष्ठ ३५, तजुक–ए– जहॉगीरी भाग (१) पृष्ठ ३१० (रोजर्स अनुवाद)

4 सरकार– फरमान आफ औरगजेब, कमेन्ट्री पृ० १२२–१८४

तम्बाकू का पौधा सर्व प्रथम गुजरात मे लगाया गया १६१३ ई० मे जहॉ से इसकी पत्तियॉ उपलब्ध हुई। १६०५ मे पुर्तगालियो ने इसका प्रचलन शुरू किया। जहॉगीर ने भॉग के सेवन पर प्रतिबध लगा दिया क्योकि निर्धन लोग इसका सेवन करते थे। उसका कथन था कि यह स्वास्थ्य के लिए हॉनिकारक है। किन्तु कुछ शासको ने गॉजा, अफीम, भाग पर से प्रतिबन्ध हटा दिया क्योकि वे स्वय उसमे रुचि रखते थे एव उसके सेवन के आदी थे। हुमायू एव बाबर गॉंजा, भॉग का सेवन करते थे। अकबर भी इसका सेवन करता था। इस काल मे गॉजा बुरहानपुर से आता था।'

विशेष विवरण के लिए देखिये– (१) मोरलैण्ड 'इडिया ऐट दी डेथ आफ अकबर 'पृष्ठ–१५८, (२) प्ले सर्ट 'इडिया' पृष्ठ–३५, (३) तजुक–ए–जहॉगीरी भाग (१) पृष्ठ–३१० (रोजर्स० अनुवाद)

5 ओल्ढम–हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेम्यार ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट–पृष्ठ–२११

व्यवस्था गगा नदी के दूसरी ओर तक भी थी। चुनार मे राजापुर तारा, अनन्तपुर तथा चादीपुर सीमा क्षेत्र के गावो मे सिपाही रखने की सिफारिश की गयी थी। डकैती और चोरी के लिए सम्बन्धित चौकिया जिम्मेदार होती थी। जिनपर १५८ रु० १ आना ०० पाई का अतिरिक्त व्यय होता था।[6] मिर्जापुर के विस्तृत बाजार को देखते हुये डकन ने वहॉ टैक्स मालिक के कार्यालय मे बढोत्तरी किया। इसका उद्देश्य उचित व्यवस्था स्थापित करना था।[7]

---

6 वही–१३ मार्च १७९०– पृष्ठ १६४–१६६

7 वही– पृष्ठ १६६–१६७

गंज की स्थापना

सौदागरो की सुविधा के लिए गज की स्थापना की गई थी जहॉ वे अपना माल लाकर जनता को बेचते थे। इनकी स्थापना चौकियो के निकट होती थी जिससे इनकी देख रेख होती रहे। प्रत्येक गज मे चौधरी होता था जिसे योग्य और कुशल होना आवश्यक होता था। चौधरी दो प्रकार के होते थे। एक भूमि के लगान वसूली का कार्य देखता था। दूसरा टैक्स सम्बन्धी कार्य देखता था। चौधरी का कार्य झगडा रोकना, व्यापारियो के कार्य की देखभाल करना और उन्हे मिलाकर रखना था। उसे वस्तुओ के मूल्य के बारे मे भी कोतवाली और चुगीघरो को सूचना देना होता था। निर्धारित मूल्य मे मनमानी अन्तर न आये उसे इसका भी ध्यान रखना पडता था। उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गज से सम्बन्धित सही सूचना प्रस्तुत करना पडता था।[८] पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद मे राजा और जनता के वार्षिक आय के लाभ के लिए चूना महल की स्थापना की गई थी जो चूने के क्रय–विक्रय पर स्वतत्र अधिकार रखती थी। राजा बलवन्त सिह के पहले और मीर रुस्तम खॉ के समय मे किसी को चूना बनारस मे बेचने की मनाही नही थी। व्यापारी लोग खुले बाजार मे माल बनाते और बेचते थे। चूना एक प्रकार के कडे चट्टान के पत्थर से बनता था और वह २५/– रु० मे १०० मन की दर से बिकता था। राजा बलवन्त सिह के समय मे मराठा लोगो ने बनारस मे बडी–बडी, इमारतो का निर्माण करना प्रारम्भ किया तथा मन्दिरो और घाटो का भी निर्माण किया जिसके परिणाम

---

८ वही– दिसम्बर १७८८–पृष्ठ–३७५–३८१

स्वरूप चूने की मॉग काफी बढने लगी। बढती हुई मॉग से व्यापारियो मे प्रतिस्पर्धा बढने लगी और धीरे–धीरे इस प्रतिस्पर्धा ने भयकर दगे का रूप ग्रहण कर लिया।[9]

दगे और इर्ष्या को समाप्त करने के उद्देश्य से मामले को राजा के समक्ष लाया गया। राजा ने घोषणा किया कि १०००/–रु० महल मे वार्षिक जमा करने पर ही कोई चूना बना सकता है। अगले वर्ष इस धन--राशि को २०००/–रु० वार्षिक कर दिया। इस वृद्धि के कारण किसानो ने बाजार मे चूने का भाव बढा दिया जिससे चेतसिह के राज्यकाल तक दर और जमा दोनो ही बढ गये। अब चूना ४०/–रु० प्रति १०० मन बिकने लगा।

किसानो द्वारा तैयार किया गया गुरखी ३११/–रु० प्रति १०० मन पर बिकने लगा। २८ अक्टूबर १७८६ के सरकारी आदेश द्वारा चूने का स्वतत्र अधिकार समाप्त हो गया और सरकार को २०,०००/–रु० सालाना का घाटा हुआ। इस क्षति की पूर्ति कम्पनी के भविष्य के दूसरे लाभो से की गई।[10]

रेह – गाजीपुर जिले के ऊसर मे और प्रान्त के अन्य भागो मे इस प्रकार की नूनखार वस्तु बनायी जाती थी जिसे रेह कहते थे। इसमे अशुद्ध सोडा होता था‡ जिसे उबाल कर चमकीली रेह बनती थी। इस व्यापार का मुख्य केन्द्र रसडा था। सरजू नदी के किनारे यह एक उन्नतिशील गॉव था। रसडा के अनेक व्यापारियो की शाखा कलकत्ता मे थी।

---

९ बनारस रेजीडेन्सी रिकार्ड– २५, नवम्बर १७८८–पृष्ठ ६४

10 वही– २३ अक्टूबर १७८६–पृष्ठ–२५

बनारस के राजाओ के समय मे २०००/— वार्षिक देने वाले किसान को स्वतत्र लीज पर उसके उत्पादन का कार्य दिया जाता था। डकन ने इस व्यापार को हॉनिकारक समझ कर १० अक्टूबर १७८८ मे समाप्त कर दिया जिस पर १७ जून १७७६ को सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया।[11]

लकड़ी और पत्थर

लकडी और पत्थरके स्वतत्र व्यापार का लाभ बनारस के राजा तथा नबाव वजीर के अधीनस्थ चुनार कोर्ट के किलादार के बीच बट जाता था।। बलवन्त सिह के समय मे गगा प्रसाद ने लकडी और पत्थर के दो महल बनवाये। ६५००/— राजा को उनका हिस्सा दोनो महलो के लिए दिया गया और आधा भाग चुनार के किलेदार सैदी जौहर को दिया गया। पॉच वर्ष की लीज समाप्त हो जाने पर उन्होने परगना की जिम्मेदारी छोड दिया।[12]

लकडी पर जो दरे वसूल होती थी वह २०० गुटवाटा पर रुपये मे ७ था। प्रत्येक गुटवाटा एक लकडी का टुकडा था जो वजन मे २ सेर होता था। यह आमदनी का एक मुख्य स्रोत था। जलाने वाली लकडी पर २/— या ४/— प्रति १०० मन पर टैक्स लगता था। जलाने वाली लकडी दो प्रकार की होती थी— कुन्द और ओहिला जिन पर टैक्स की दर १०० मन पर क्रमश ३/— और ४/— था।

---

11 बनारस रेजीडेन्सी रेकार्ड २३ अम्टूबर १७८६ पृष्ठ २५ एव वही— १७ जून १७८७—पृष्ठ ३८६

12 वही— पृष्ठ ६२—६६ (अम्टूबर १७८६)

चेतसिह के समय मे पत्थर और लकडी महल पर किराया अत्यधिक बढ गया। यह १६,०००/–रु० से ६४,०००/–रु० हो गया।

जहॉ तक पत्थर के ऊपर टैक्स लगाने का प्रश्न है वह स्थानीय खदानो को पहाडी स्थानो के पास होने पर सम्भव नही था। किले के पास से जल मार्ग द्वारा जाने वाले पत्थरो पर टैक्स लगता था। बनारस पहुॅचने पर बेचने पर दूसरा टैक्स अदा करना पडता था। यह टैक्स राहदरी के रूप मे वसूल होता था।यदि पत्थर पटना तक भेजा जाता था तो पहले इस पर चुनार के किलेदार द्वारा टैक्स लगाया जाता था और तत्पश्चात् बनारस के सेयर अधिकारी द्वारा टैक्स लगाया जाता था। बनारस मे टैक्स लेने वाली एजेन्सियॉ थी। किलेदार नवाब सुजाउद्दौला की जगह पर था और बनारस पर बलवन्त सिह का अधिकार था।

लेकिन जो पत्थर किले के पास से नही जाता था किलेदार को उस पर कोई टैक्स वसूल करने का हक नही था। इमारत बनाने वाले पत्थरो पर टैक्स नही लिया जाता था। किन्तु कारखानो वाले तथा छोटे बडे गोल पत्थरो पर चुनार मे किले के टैक्स से सम्बन्धित टैक्स लिया जाता था।[13]

चुनार के किले पर अग्रेजी आधिपत्य हो जाने के पश्चात् किलेदार का हिस्सा किले की सैनिक राशि मे जुड गया था। सेना के लिए टैक्स वसूलने वाले सैनिको का काम किले के आस–पास खानो से निकाले गये पत्थरो के ऊपर टैक्स लगाने तक ही सीमित नही था बल्कि वे बन्दूक लेकर दूर–दूर तक घूमते और अत्याचार करते थे। नवम्बर १७७६ मे

---

13 वही पृष्ठ ६२–६६

इसकी सूचना डकन द्वारा सरकार को दी गई। एक वर्ष के पश्चात् सरकार द्वारा आदेश मिला कि पत्थर महल का लाभ सैनिक राशि मे मिलाया जाय। किसानो को चेतावनी दी गई कि चेतसिह को निकाले जाने से पूर्व की कीमत से अधिक कीमत की मॉग क्रे पत्थर के लिए न करे। घरो मे प्रयोग होने वाले पत्थर पर पहले वाला दर ही लागू रहेगा। जलाने वाली लकडी और लकडी महल पर टैक्स समाप्त हो गया। १ नवम्बर १७८८ से अन्य प्रकार की लकडियो पर जो प्रान्त मे एक भाग से दूसरे भाग को भेजा जाता था उस पर टैक्स लिया जाता था।

मई १७६३ मे किसान ने पत्थर महल के ५० प्रतिशत नये निकाले गये खान के पत्थर पर टैक्स का दावा किया और ३३ प्रतिशत उस पत्थर का जो प्रान्त के किसी भाग मे खडहर से निकाला जाता था।[14]

कॉंच पर एकाधिकार

कॉच की बिक्री का अधिकार प्रान्त मे पूर्णरूपेण सिक्का ढालने वाले बनारस के मालिक को दे दिया गया। इस महल की कीमत प्रान्त मे बहुत अधिक हो गयी। ११ अगस्त १७८६ की अपनी रिपोर्ट मे डकन ने इसे समाप्त करने की सिफारिश किया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया[15]

सोना एकाधिकार

14 वही – पृष्ठ ६२–६६

15 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स–११ अगस्त १७८६ पृष्ठ– ७७–७८

सर्व प्रथम सोना एकाधिकार राजा बलवन्त सिह द्वारा उनके एक निकटतम व्यक्ति को दिया गया, जिसके अनुसार सोना पर जो सौदागर धार्मिक संस्थाओ द्वारा इस व्यापार मे लगे थे उन पर टैक्स लेना निश्चित हुआ था। बाद मे यह लाइसेन्स मोनोपली के रूप मे बदल दी गई। जब सन्यासी सौदागरो ने नेपाल मे अपना व्यापार बन्द किया तो किसान को राजा से अलग सुविधाओ पर अधिकार का आदेश मिला। बार्लो की सिफारिश पर २६ दिसम्बर १७८७ को सरकार को भेजे अन्य मॉगो के साथ सोना पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।[16]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुंगी व्यवस्था

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस जनपद देश के विभिन्न व्यापारिक केन्द्र के बीच बसे होने के कारण सर्वाधिक सम्पन्न एव महत्वपूर्ण था। अधिकाश व्यापार बनारस और उससे सम्बद्ध जिलो द्वारा ही किया जाता था। अन्य व्यापारिक केन्द्रो मे बगाल, बिहार, पश्चिम प्रदेश, दक्षिण, उत्तरी प्रदेश मुख्य था। एक समय ऐसा भी था जब कि मिर्जापुर शहर मे दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशो के व्यापारी अपना सामान लाकर बेचते थे और नेपाल तथा तिब्बत देश की सामग्रिया खरीदते थे।[17] कपास, नमक तथा सस्ती भारी वस्तुओ का मुख्य रूप से आयात होता था। रेशम, चौडे कपडे और मसालो का निर्यात होता था। इस व्यापार का लाभ सम्बन्धित स्थान के अतिरिक्त बगाल को भी होता था जो इन वस्तुओ की आपूर्ति करता था।

---

16 ओल्ढम्– पूर्ब उद्धृत – पृष्ठ २११

17 राजकीय अभिलेखागार यू०पी०–रेजिडेन्स करसपॉन्डेन्स २४ अगस्त १७८७, पृष्ठ ३३–३५

बलवन्त सिह ने पूर्णरूप से इस व्यापार की महत्ता को समझा और यह व्यापार उनके समय मे उन्नति के शिखर पर था। बलवन्त सिह के बाद उसके पुत्र चेतसिह की उदासीनता के कारण १७८१ में मिर्जापुर के व्यापार मे काफी गिरावट आयी।[18]

१७७३ के पूर्व आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता था वह माल के वजन पर लगता था। १७७२ मे हैस्टिग्स ने कुछ वस्तुओ को इस टैक्स से मुक्त कर दिया किन्तु इसकी व्यवस्था मात्र २ नवम्बर १७८१ तक ही थी। तत्पश्चात् बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर मे ही चुगीघर स्थापित करने का आदेश हुआ। जहॉ पर टैक्स पुस्तिका मे निर्धारित ५ प्रतिशत मूल्य की दर से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया।[19] किन्तु यह नियम कुछ ही मालो पर लागू हुआ। व्यापारी प्रदेश के प्रत्येक भाग मे चुगीघर खुल जाने से अत्यधिक नाराज थे।[20] ८ अप्रैल १७८२ के आदेशानुसार आयात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओ पर टैक्स घटा कर ढाई प्रतिशत कर दिया गया। २१ अक्टूबर १७८१ मे सरकार द्वारा टैक्स नियम मे हुए परिवर्तन के अनुसार यह आदेश रेशम और रेशम से बने दूसरे माल पर भी लागू कर दिया गया। खाली नावो पर टैक्स बन्द करने का भी आदेश हुआ।[21]

१७८१ की भॉति १७८४ के नियम का भी उचित ढग से पालन नही होता था। देश के भीतरी भागो मे चुगी भूमि मालिको और किसानो द्वारा

---

18 सीक्रेट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, नवम्बर २३, १७८४ पृष्ठ–१११७

19 वही–पूर्व उद्धृत

20 बगाल रेग्यूलेशन–ऐपेन्डिक्स (१) पृष्ठ २१७

21 वही– पृष्ठ २१८

अपने आश्रित चुगीघरो से पूरे देश मे लिया जाता था। मिर्जापुर मे भी खाली नावो पर टैक्स वसूलने की मनाही कर दी गई। रेशम पर निर्धारित सवा दो प्रतिशत टैक्स वसूलने की अवहेलना की जाती थी। फलत नये टैक्स के कारण व्यापार पर बोझ बढ गया। बनारस के रास्ते माल आना बन्द हो गया।[22]

उक्त परिस्थितियो पर विचारोपरान्त गर्वनर जनरल जी० आर० बार्लो ने व्यापार मे गिरावट के कारणो की जॉच कराने का आदेश दिया तथा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा जिससे बनारस और कम्पनी के बीच व्यापार करने वाले व्यापारियो को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। बार्लो ने विस्तृत रूप से परिस्थितियो का निरीक्षण करके व्यापार को पुन प्रारम्भ करने की अनेक सिफारिश की।[23] बार्लो ने अपनी सिफारिश मे लिखा कि चेतसिह के समय मे बैल पर लदे बोझो पर १७७३ की व्यवस्था के अनुसार टैक्स लगता था। दर निश्चित करने मे वस्तुओ के मूल्य से अधिक वजन पर ध्यान दिया जाता था। इस लिए अधिक कीमती सामानो से घटिया माल पर टैक्स के अनुसार ही अधिक टैक्स ले लिया जाता था।[24] १७८१ के अध्यादेश से बगाल की कीमती वस्तु पर बनारस के टैक्स रजिस्टर मे दर्ज टैक्स की दरो से ५ प्रतिशत अधिक लिया जाता था। इस प्रकार सौदागरो के प्रति बैल भार सौ के बजाय २०/–रु० या २५/–रू० जो वे पहले देते थे, लिया जाता था। कच्चा रेशम और रेशम के सामान निर्यात करने वालो को अधिक नुकसान था। उन लोगो ने इन चीजो को बाहर

---

22 वही–

23 वही–२४ अगस्त, १७८७ पृष्ठ ३५ (जी०एच०बार्लोरिपोर्ट)

२४ वही–पृष्ठ

भेजना बन्द कर दिया था। अधिक खर्च करके और खतरा मोल लेकर वे बिहार के दक्षिणी पहाडियो मे ले जाते थे जिससे निर्यात अत्यधिक कम हो गया और टैक्स का नुकसान हो गया।

सौदागरो के आवेदन पर बनारस के रेजीडेन्ट मारखम को कच्चे रेशम पर लगे टैक्स को ५ प्रतिशत के स्थान पर ढाई प्रतिशत करने पर बाध्य होना पडा। इस परिवर्तन को २० मार्च, १७८२ मे सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई। परिषद् ने वारेन हैस्टिंग्स की सिफारिश पर यह सुविधा अक्टूबर १७८४ को बगाल की रेशम की वस्तुओ के सदर्भ मे भी दिया।[25] ऐसा लगता है कि जिन सिद्धान्तो के ऊपर यह छूट स्वीकृत की गई थी वह सबसे अच्छी व्यापारिक नीति थी। इस नीति से प्रान्त को अपने कच्चे माल तथा स्वनिर्मित माल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन मिलता था।[26] किन्तु चुगी घरो की रसीदो को देखने से ज्ञात होता है कि टैक्स सम्बन्धी आदेशो की अवहेलना करते हुए ५ प्रतिशत टैक्स रेशम माल पर पूर्ववत लिया जाता था।

प्रधान सौदागर जो बगाल से दक्षिण तक व्यापार करते थे सन्यासी कहलाते थे। यह लोग बनारस तथा कम्पनी राज्य मे रहते थे। सन्यासी सौदागरो को बगाल से सामान खरीदकर मिर्जापुर भेजते थे जहॉ से उस माल को या तो अपनी जाति के सौदागरो को, जो दक्षिण से आते थे दे देते थे या फिर बेच देते थे।[27] १७८१ मे चुगी घरो के स्थापित हो जाने से

---

25 वही पृष्ठ ३६

26 साइनासिस, ऐ रिलिजस सेक्ट फेमस फार देयर वेल्थ एन्ड इन्टिग्रिटी इन कामर्शियल ट्रन्जिक्सन,

27 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपान्डेन्स,–२४ अगस्त १७८६ पृष्ठ–३६

सन्यासी सौदागरो ने यह कहकर बनारस मे व्यापार करना छोड दिया कि ५प्रतिशत टैक्स पुस्तक मे दर्ज दर से अधिक है जिससे उन्हे नुकसान होता है। अधिक नुकसान और असुविधा के कारण वे अपने माल को पहाडियो के रास्ते भेजने लगे। राजा के नायक जगत देव सिह को प्रार्थना पत्र देकर उन्होने टैक्स मे कमी करने के लिए आवेदन किया। इस पर विचारोपरान्त कच्चे रेशम पर ढाई प्रतिशत टैक्स का निश्चय किया गया। टैक्स की इस कमी का प्रभाव सन्यासी सौदागरो के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा उनके व्यापार मे वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गई।[28]

इन करो के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओ एव अनुचित मॉगो के कारण व्यापारी असन्तुष्ट थे। टैक्स मिर्जापुर मे दिये जाने के कारण दक्षिण और बगाल के सौदागर प्राय मिर्जापुर मे ही अपने माल को बेच कर अपने प्रान्त लौट जाते थे। १७८८ के अध्यादेश की धारा–४ के अनुसार जो ख़न्ना एक बार बनारस, गाजीपुर, या मिर्जापुर के चुगीघरो मे मजूर हो जाता था वह प्रान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थल या जल मार्ग से माल ले जाने के काम आता था। टैक्स अधिकारी उस पर केवल अपना हस्ताक्षर कर देते थे और किसी प्रकार का टैक्स नही लेते थे।[29] किन्तु इसके विपरीत मिर्जापुर मे प्रत्येक बैल पर जो व्यापारी दक्षिण से आते थे और जो बगाल और बनारस आकर माल खरीदते थे उनसे ५ प्रतिशत टैक्स लिया जाता था।[30] उसी प्रकार बगाल से बाहर जाने वाले कच्चे माल और रेशम तथा उससे निर्मित कपडे पर जो बनारस, गाजीपुर और अब

---

28 वही– पृष्ठ ३६ (ए) एव जे० एम० घोष, 'सन्यासी एण्ड फकीर रेडर्स इन बगाल' पृष्ठ १६

29 वही–पृष्ठ ३७

30 वही–पृष्ठ ३८

दक्षिण मे बिकता था उस पर पुन मिर्जापुर मे प्रत्येक लदे बैल पर टैक्स देना पडता था।

ऐसा प्रतीत होता था कि २१ अक्टूबर १७८४ का पत्र जो वारेन हैस्टिग्स ने लिखा था वह पुराना हो गया और ग्यारहवी धारा के अनुसार टैक्स मात्र खाली नावो पर बन्द था किन्तु फिर भी अन्य प्रकार के शुल्क चलते रहे। ऐसी अनियमितताओ से सभी सौदागरो पर बुरा प्रभाव पडा। इस सम्बन्ध मे कोई उचित कदम नही उठाया गया। माल के माप हेतु कोई वैज्ञानिक स्तर न होने के कारण कर लगाना चुगी अधिकारियो पर निर्भर था। टैक्स वसूलने के अनेक तरीके थे। कुछ मामलो मे व्यापारियो के सामान के मूल्य के लिए सौगन्ध लेना पडता था और अन्य मामलो मे प्रचलित मूल्य के ऊपर टैक्स लिया जाता था। कुछ पर तौल के अनुसार भी टैक्स लगता था। सबसे साधारण तरीका दर वाली पुस्तक से ही निर्धारित किया जाता था।[31] टैक्स का पहला नियम आपत्तिजनक था क्योकि सौगन्ध लेने मात्र से सामान का उपयुक्त मूल्य नही जाना जा सकता था। दूसरा टैक्स अधिकारियो के ऊपर निर्भर था जो बेईमानी और अन्याय भी कर सकते थे। तीसरे तरीके से सौदागरो को आपत्ति होती थी। कीमती वस्तुओ पर बढा हुआ टैक्स अधिकारियो के मन मे लालच पैदा कर सकता था। तौलने की फीस, दूकान टैक्स तथा चौकियो द्वारा छोटी छोटी क्रय–विक्रय की वस्तुओ पर लगने वाले टैक्स से व्यापारी असन्तुष्ट एव परेशान थे।[32] यद्यपि देश के भीतरी भागो मे टैक्स कम था

---

31 वही–

32 वही–

किन्तु वास्तविकता यह थी कि व्यापारियो को अपना सामान इच्छित स्थान पर पहुँचाने के लिए काफी भार सहना पडता था।[33]

सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के बाद भी जमीदारी टैक्स, प्रत्येक जिले मे बराबर वसूल होता रहा। यदि सौदागर टैक्स देने से मना कर देता था तो जमीदार उसके माल को जबरदस्ती ले लेता था। उदाहरणार्थ सैदपुर के एक व्यापारी द्वारा जमीदारी टैक्स न दिये जाने पर वहाँ के जमीदार ने उसके पीतल के बर्तन छीन लिये।[34]

सन्यासी सौदागरो के सामान केएक बडे भाग पर जो, दक्षिण और दूसरे देशो से लौटते थे, टैक्स लगता था। यह बनारस से मुर्शिदाबाद तक चुकाया जाता था। कोशल चन्द्र नाम के एक दलाल को ६००/—रू० तक के बिल पर राजा की ओर से बातचीत करने का अधिकार प्राप्त था।

सोना महल के नाम पर सोना टैक्स वसूल होता था। इस टैक्स की वसूली के लिए प्रभावी दलाल कार्य करते थे। किन्तु कुछ समय बाद ये दलाल किसान बना दिये गये। नेपाल निवासियो ने काठमान्डू के राजा को गद्दी से उतारने के लिए गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण को बुलवाया। कुछ मुख्य सन्यासी सौदागरो के माल को राज मे लौटा लिया। फलत उन्होने इस देश मे व्यापार करना छोड दिया। यद्यपि सोने का निर्यात बन्द हो गया किन्तु फिर भी बनारस के बैक मे सन्यासियो से सभी माल पर टैक्स लिया जाता था। टैक्स लगाने की यह प्रणाली बडी कष्टकर थी। बैक के लोगो को व्यापारियो का बिल स्वीकार करने की मनाही थी।

---

33 शेक्सपीयर्स— पूर्व उद्धृत जिल्द (दो) पृष्ठ— ४६

34 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपान्डेन्स—२४ अगस्त १७८७—पृष्ठ २५

ऐसा सोना महल के माध्यम से न आने पर होता था। यदि सन्यासी सौदागर को बिल मुर्शिदाबाद ले जाना होता था तो वह पहले किसान को प्रार्थना पत्र देता था जो उसे बदलने के लिए निश्चय करता था और फिर स्वय टैक्स लेता था। सौदागरो ने इस टैक्स का विरोध करते हुए बन्द करने का आग्रह किया। उन्होने प्रार्थना किया।[35]

(१) सोना महल द्वारा टैक्स की वसूली बन्द कर दी जाय तथा अन्य सौदागरो की भॉति उन्हे भी अपने बिल के लिए आज्ञा दी जाय।

(२) परिषद् की आज्ञा से रेशम पर ढाई प्रतिशत टैक्स घटा दिया जाय।

(३) सामान जो बगाल से बेचने के लिए लाया जाय और एक बार उस पर टैक्स दे दिया जाय तो फिर जब दक्षिण मे वह सामान बेचा जाय तो मिर्जापुर मे उस पर पुन टैक्स न देना पडे और टैक्स अधिकारी ख़न्ना पर लिख दे तथा दूसरे किसी प्रकार के शुल्क की मॉग न करे।

(४) १७८४ के धारा ४ के अनुसार प्रत्येक नाव पर जो उनके सामान को मिर्जापुर से बगाल ले जाने के लिए भाडे पर ली जाती थी सवा छ प्रतिशत का अनिवार्य टैक्स बन्द कर दिया जाय।

(५) बरार और नागपुर के द्वारा माल भेजने पर मिर्जापुर मे प्रत्येक बैल पर छ आने का जो टैक्स लगता था उसे बन्द कर दिया जाय।

---

35 वही पृष्ठ–४०–४१, एव जे० एम० घोष, –सन्यासी एण्ड फकीर रेडर्स' इन बगाल (कलकत्ता १९३०) पृष्ठ–१६
"कोशल एक मध्यस्थ (दलाल) था जो राजा की ओर से अधिकृत किया गया था पूर्ण वार्ता के उपरान्त उचित निर्णय लेने के लिए।" (देखिये– वी० आर० सी० पृष्ठ–४०–४१)

(६) रेशमी माल की तौल करने मे प्रत्येक बैल पर टैक्स अधिकारी को जो शुल्क देना पडता था उसे बन्द किया जाय।

(७) नाव की तलाशी लेने वालो को जो सवा रूपया अतिरिक्त शुल्क दिया जाता है उसे बन्द किया जाय।

(८) डाकुओ से माल की रक्षा के लिए मिर्जापुर के कोतवाल को आदेश दिया जाय।

(६) कश्मीर से खरीदे गये रेशमी शाल के माल पर जिस पर दलाल की मुहर लगी होती थी, टैक्स न लगाया जाय।

उक्त आवेदन के प्रथम आठ माग को सरकार ने पहले ही मान लिया था। अन्तिम नवे मॉग के सम्बन्ध मे डकन ने सिफारिश किया कि यह घटा कर ढाई प्रतिशत कर दिया जाय। किन्तु उस सामान का मूल्य विदेशी सामान की ही भॉति ऑका जाय। कश्मीर के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया था। पिछले कई वर्षो से अधिक टैक्स और अन्याय के कारण कश्मीर का व्यापार गिरता जा रहा था।

टैक्स मे कठोरता बरतने के कारण बगाल के व्यापार पर बुरा प्रभाव पडा। बगाल के बने जो सामान योरप जाते थे उसकी मॉग कम होने लगी। देश के भीतरी भागो मे सामान पहुँचते–पहुँचते उस पर इतना अधिक टैक्स लग जाता था कि जनता उसे खरीद नही पाती थी। फलस्वरूप व्यापारियो ने सामान बेचना बन्द कर दिया। व्यापार मे आई गिरावट का प्रभाव कृषि और सामान उत्पादको पर पडा और लोग बेकार

हो गये। अदालत के प्रभाव मे व्यापारियो और अधिकारियो के बीच उत्पन्न झगडे का निपटारा करना कठिन हो गया।[36]

उक्त बुराइयो को दूर करने की दृष्टि से बार्लो ने ऐसे परामर्श दिये जो टैक्स निर्धारित करने और सरकारी आदेश के पालन करने मे सहायक थे। उन्होने सिफारिश किया कि बनारस मे उपयोग के लिए बिहार और बगाल से जो माल आता है उस पर ढाई प्रतिशत टैक्स कर दिया जाय और देश के भीतर व्यापार पर ५ प्रतिशत ही जारी रखा जाय। इस सिफारिश का मुख्य ध्येय कम्पनी के निर्यात को पूर्णत सुरक्षित रखना था। इसी प्रकार की सुविधा बनारस मे रवन्ना मे भी की गई। इसका उद्देश्य पहले के व्यापार को प्रोत्साहित करना भी था।

अवध के नवाब वजीर को भी इस प्रबन्ध को मान लेने की सिफारिश की गई थी जिससे तीन देशो को एक ही प्रकार का व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके।[37]

बार्लो ने यह भी सिफारिश किया कि अपने देश मे निर्यात का मूल्य निर्धारित करने के लिए राजा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से आदेश दिया जाय कि वे रवन्ना के लिए प्रार्थनापत्र देने केलिए सामान का बीजक प्रस्तुत करे जिसके आधार पर उनके माल पर टैक्स निर्धारित किया जा सके। बीजक (चालान) राजा की मुहर लग जाने पर वापस हो जाता था। सिफारिश मे यह भी कहा गया कि दकन से आयात होने वाले सामान पर बनारस के निर्यात की ही भॉति मूल्य आका जाय। मिर्जापुर

---

36 वही–

37 वही–२६ मार्च १७८८–पृष्ठ ८६

पहुँचने पर व्यापारी अपने सामान के मूल्य का विवरण दे और उसी आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाय।[38]

उपरोक्त नियमो की पुष्टि के लिए तथा व्यापारियो के जान—माल की रक्षा के लिए मिर्जापुर मे रेजीडेन्ट के सहायक की नियुक्ति हेतु बार्लो ने सिफारिश किया। जमीदारी के अन्दर व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए बनारस मे नियमित न्यायालय की स्थापना हेतु भी निवेदन किया गया।[39]

२६ जून १७८७ को बार्लो की सिफारिशे परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गई और उन्हे लागू करने के लिए डकन को आदेश दिया गया। किन्तु डकन ने इससे पूर्व ही सन्यासी सौदागरो के हित एव अहित सम्बन्धी निर्णय ले लिया था। उन्होने पहले ही कच्चे रेशम तथा बिहार और बगाल के सूती माल पर टैक्स घटाने की आज्ञा दे दी थी।[40]

डकन ने मिर्जापुर के खेतो की जुताई पर लिये जाने वाले दुगने टैक्स, नावो के किराये पर लेने पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त सौदागरो के सम्पत्ति की डाकुओ द्वारा रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये गये।[41] डकन ने हाउस टैक्स और देश के भीतर व्यापार पर लगने वाले टैक्स को सीमित करने का प्रयत्न किया। उन वस्तुओ पर जो बनारस जिले से होकर आयात निर्यात होता था, मिर्जापुर मे व्यापार पर लगने वाले दुगने टैक्स को बन्द करने का भी

---

38 वही पृष्ठ—८८

39 वही— पृष्ठ—८८

40 वही—पृष्ठ—८८

41 वही पृष्ठ—९०

प्रयास हुआ। दकन के सौदागरो की प्रर्थना पर तौल की फीस 'खजाना रसूल' भी बन्द करने की सिफारिश की गई।[42]

माराठा तीर्थयात्रियो की बराबरी पर लाने के उद्देश्य से बगाल के तीर्थयात्रियो पर लगाये जाने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि माराठा तीर्थ यात्रियो को वारेन हैस्टिग्स के समय मे ही टैक्स से मुक्त कर दिया गया था।[43] १८ मार्च १७८८ को रेजीडेन्ट ने सरकार के आदेश को कार्यरूप प्रदान करने की सूचना दिया। इस आशय के आदेश भी जारी किये गये कि रवन्ना अन्य प्रान्तो के सरकारी टैक्स कलेक्टरो की ही भॉति दिया जाय। इस कार्य के लिए उन्हे रवन्ना के प्रपत्र तथा मुहरो के नये सेट दिये गये। मुख्य अध्यक्ष होने के नाते राजा की मुहर भी बगाल एव बिहार मे कम्पनी दीवानी की भाति लगानी पडती थी। दूसरे प्रान्तो के सरकारी टैक्स कलेक्टरो की तरह राजा के अधिकारियो को भी रजिस्टर रखना पडता था।

कम्पनी सीमा के निर्यात पर जो माल बनारस से गुजरता थाऔर दकन या पश्चिम जाता था या उपभोग के लिए इस जिले मे निर्यात होता था उस पर ढाई प्रतिशत टैक्स कम लगता था। बगाल, बिहार और उडीसा को छोड कर पश्चिम, दकन तथा अन्य बाजारो से होकर यहॉ उपयोग के लिए होने वाले निर्यात पर जो टैक्स यहॉ के लिए निर्धारित था वही देना पडता था।[44]

---

42 वही–पृष्ठ–६१

43 वही–पृष्ठ ६३, ६५, ६७

44 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स, २७ सितम्बर १७८७ पृष्ठ–२६६

रेजीडेन्ट ने सरकार को विश्वास दिलाया कि वह देश के आन्तरिक टैक्स को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। इससे होने वाली क्षति की पूर्ति राजा को सालाना लगान से काट कर करने का आदेश दिया गया।

५ प्रतिशत भारी टैक्स आन्तरिक व्यापार पर बडा भार था जिससे कम्पनी तथा राजा बनारस को भारी हॉनि थी। अत डकन ने निर्यात के ऊपर ५ प्रतिशत से ढाई प्रतिशत टैक्स बनारस मे बने माल पर कर दिये जाने की सरकार को परामर्श दिया जिससे बनारस के उद्योग को प्रोत्साहन मिले।[45]

उक्त सभी प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार के इस आदेश के अनुसार १ अप्रैल १७८८ को जो धारा सम्पूर्ण प्रान्त मे लागू होने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। फलत बनारस के टैक्सघरो का टैक्स जो रू० ३२, ६०३–४–६ था वह समाप्त हो गया। इसमे ४ या ५ हजार रुपये जोड दिये गये जिसे राजा राहदरी और गनी के रूप मे[46] एकत्रित करते थे। आन्तरिक टैक्स की समाप्ति के कारण राजा के धन से जो कटौती प्रारम्भ हुई उसके सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न हो गया। राजा ने अपने अधिकार के लिए दावा करते हुए रेजीडेन्ट से प्रार्थना किया कि उसे कुछ धन भत्ता के रूप मे देकर उसके साथ न्याय किया जाय। २२ नवम्बर १७८१ की धारा के अनुसार वास्तव मे राजा को अपने अधिकार से वचित होना पडा था/उक्त धारा के अनुसार वह गाजीपुर, मिर्जापुर, और बनारस मे टैक्स वसूली हेतु चौकियॉ बना सकता था जबकि उसने देश मे

45 वही–
46 वही पृष्ठ–५६

अनेक छोटी–छोटी टैक्स चौकिया बना ली थी। किन्तु फिर भी राजा को आन्तरिक अनाज के ले जाने पर दो वर्ष तक के लिए १२, ७०७ रू० की छूट दी गई।[47] राजा और सरकार की क्षति मे कमी लाने के उद्देश्य से डकन ने चुगी घरो के कार्यालय के खर्च पर व्यक्तिगत नियत्रण स्थापित किया। कर्मचारियो की सख्या १२१२ से घटाकर ३६५ कर दी गई। फलत खर्च रू० ५७, २२०–११–६ से घट कर रू० ३१४८६–०० मात्र रह गया। सन्यासी, इराकी और पजाबी सौदागरो के लिए अलग–अलग स्थापित चुगीघर समाप्त कर दिये गये।[48]

डकन ने व्यापारिक न्याय के लिए सरकार से अदालत की स्थापना हेतु प्रार्थना किया। आन्तरिक टैक्स की वसूली के सन्दर्भ मे धारा का जो उल्लघन होता था – उसके लिए विशेष रूप से डकन सरकार से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि बनारस सहित चारो अदालतो के न्यायधीशो को कौन–कौन से अधिकार प्राप्त है। डकन ने यह भी सकेत किया कि व्यापारिक न्याय के लिए दूर के अदालत मे जाने की अपेक्षा पडोस के अदालत मे जाना व्यापारी के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। अदालतो की अपील व्यापारिक न्यायालय के अध्यक्ष रेजीडेन्ट के यहॉ होती थी।[49]

धारा के सन्दर्भ मे ११ जून १७८८ को परिषद् ने डकन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दिया। परिषद् इस बात पर सहमत हो गया कि कम्पनी प्रान्त से जो माल बनारस होता हुआ वजीर के प्रमुख राज्य दकन

---

47 वही– पृष्ठ ५६

48 वही–पृष्ठ–५६–५७

49 वही पृष्ठ– २०६

या दूसरे देशो को भेजा जाये उस पर तुरन्त कम्पनी के रवन्ना मूल्य ढाई प्रतिशत की कमी कर दी जाय। अन्य योजना तथा व्यापार न्यायालय और उसकी धारा को भी सरकार ने स्वीकृत कर लिया। कामो मे लापरवाही, चुगीघर के अधिकारियो के दुर्व्यवहार, राहदरी, गनी तथा चुगी विभाग से सम्बन्धित अन्य धारा के विरुद्ध की गई शिकायतो को अदालत सुनती थी।[५०]

गाजीपुर के चुगीघर के मालिक की प्रार्थना पर जो माल बनारस मे कम्पनी की रवन्ना पर आयात होता था वह प्राय तौल और सख्या मे अधिक होता था जो उस पर दर्ज होता था। रेजीडेन्ट ने १७ जून १७८८ को सरकार को इस सन्दर्भ मे रिपोर्ट किया कि ६ जून १७८८ का अधिनियम स्पष्ट नही है। अत सरकार का अगला आदेश आने तक उन्होने बचे हुए सभी आयात माल पर दोगुना टैक्स वसूली का आदेश दे दिया जो बगाल एव बिहार से आये थे और सब पर रवन्ना देने का भी आदेश दिया। यह देखा गया कि बहुत से मालो पर रवन्ना नही लगा था। चुगीघर के अधिकारियो को ये जानने मे कठिनाई हुई कि बगाल और बिहार से आयात किये गये माल पर चुगी लेना है अथवा नही। चुगी मे व्याप्त अनियमितताओ और अन्तर को रोकने के लिए चुगीदर की सूची मे उन्होने परिषद् को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए जिसमे बगाल, बिहार, और बनारस आता था, एक पृथक चुगीघर बनाने की सम्मति दी। उन्होने यह भी सम्मति दी कि जब रवन्ना मे दर्ज से अधिक माल आयात हो तो पूरा भेजा हुआ माल ले लिया जाय। इसके विपरीत बनारस तथा बिहार क्षेत्र से

50 वही– ११ जून १७८८, पृष्ठ–६२–६३

आयात किये हुए माल मे जो अधिक होता था ले लिया जाता था। किन्तु उनकी अलग चुगीघर बनाने पर परिषद् ने सहमति नही दिया।[51]

बनारस और बगाल के तौल के मन मे अन्तर पाया गया। अत यह आवश्यक समझा गया कि बगाल और बिहार से आदर्श मन के अनुसार जहॉ से नाव का रवन्ना लिया गया था टैक्स वसूल किया जाय। यह नियम उस माल के लिए जो बनारस से रवन्ना सहित बगाल और बिहारके लिए जाता था आपसी सम्बन्ध के रूप मे हो गया।

डकन ने घरदेवारी तथा खानाशुमारी को समाप्त करने की सिफारिश किया किन्तु कृषको द्वारा भूमि के लगान मे छूट न देने की भी बात किया। उन्होने इस आदेश के लिए एक प्रस्ताव भेजा कि चालू वर्ष मे यह वसूली जारी रहे तथा अगले वर्ष मे इसकी समाप्ति के लिए किसानो को बाध्य किया जाय।[52]

घरदेवारी से सम्बन्धित भूमि के लगान को डकन ने समाप्त कर दिया। १३ जून १७८८ की अपनी रिपोर्ट मे उन्होने लिखा कि वास्तव मे देश मे जो भूमि घर के लिए दिये गये उन पर बनारस शहर को छोड कर कही लगान मे छूट नही थी। कुछ भागो मे उन पर उतना ही लगान लिया जाता था जितना राज्य मे राजा के अधिकारियो को खेती वाली भूमि के लिए दिया जाता था। किन्तु बनारस शहर मे अधिकाश घर खरीद वाली

---

51 वही–

52 वही– १३ जून १७८८, पृष्ठ–७४

जमीन पर बनाये जाते थे जिन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नही देना पडता था।[53]

१२ अगस्त १७६० मे अमानत महल के मूल्य मे वृद्धि हुई।

अनुमान से ऐसा जान पडता था कि जमीन पर बने मकानो के लगान की वसूली बनारस शहर तथा उसके आस–पास के क्षेत्र मे बाद मे खानाशुमारी के नाम से जाना जाने लगा। डकन ने सोचा कि घरदेवारी उर्फ खानाशुमारी की वस्तुवो का टैक्स जो अनाज व्यापारी, तेली, भडभूजो मनिहारी एव पटवा से लिया जाता था एक सिद्धान्त है। टैक्स की दर २/– से बढाकर कर ८/– प्रतिमाह कर दिया गया। खानाशुमारी शब्द के दोहरे प्रयोग से एक गलत विश्वास उठ खडा हुआ कि घरदेवारी टैक्स १८३५ ए० डी० मे सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम प्रान्त के वार्षिक लगान आय के सदस्य वी०ए० रीडे ने १८ नवम्बर १८५३ मे विस्तृत अधिकृत पत्र लिख कर यह स्पष्ट किया कि गॉव के जमीदार के सम्पूर्ण प्रान्त मे जमीन वाले मकान जो स्थायी बन्दोबस्त के समय बने थे, पर टैक्स लगने के अधिकार सीमा मे है। सम्भवत उनका अनुमान ठीक था किन्तु तर्कसगत न होकर कल्पना पर आधारित था।[54]

कृषि मे अच्छे तथा स्वस्थ जानवरो के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १८ फरवरी, १७८६ मे घोडा तथा अन्य प्रकार के जानवर पर डकन ने बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात् पर से चुगी हटा दिया। इस आदेश

53 वही– १३ जून १७८८, पृष्ठ–७४
54 वही– २४ अगस्त १७८७ (एपेन्डिक्स १०)

को १६ मार्च १७८६ को सरकार की स्वीकृति मिल गई। इस समाप्ति के कारण चुगी मे ६०००/– की वार्षिक क्षति हुई।

डकन ने महल चुगी को भी समाप्त कर दिया। बनारस प्रान्त मे चूना, सब्जी, पत्थर, लकडी, शीशा एव सोना जिनके क्रय विक्रय पर स्वतत्र अधिकार था समाप्त कर दिया गया।[55]

शहर चुँगी

सरकार को आन्तरिक चुगी और टैक्स को समाप्त करने के लिए बाध्य किया गया। यह आन्तरिक टैक्स सेवर के नाम से जाना जाता था जिसे जनता की उन्नति के लिए अन्तिम साधन के रूप मे विचाराधीन रखा गया था। १० मार्च १८०१ मे इसी अभिप्राय से गवर्नर जनरल ने उन सामानो पर जो बनारस के कुछ गजो मे आते थे चुगी लगा दिया। बनारस मे चुगीघरो की स्थापना की गई जो बनारस मे आये हुए सामानो पर टैक्स वसूल करते थे। यह कार्य टैक्स कलेक्टर करता था जिसे ५ प्रतिशत दस्तूरी प्राप्त होती थी। तम्बाकू, सुपारी, लाख, मिर्च, घी, लौग, रस्सी, सरसो तेल, मसाला, नारियलतेल, सोना, चॉदी, कच्चे रेशम, शाल, हाथीदॅात, तूतिया, सिदूर, चमडा, गाय तथा भैस पर ४ प्रतिशत चुगी लगायी गई।

जो सूत नवाब वजीर और राजा नेपाल के राज्य से नही आता था उससे बने सूती कपडे पर २ प्रतिशत टैक्स लगाया गया। व्यापार को

55 बनारस रेजीडेन्सी रिकार्ड–१६ मार्च १७८६, पृष्ठ–१२६

ोत्साहित और जनता के लगान मे वृद्धि के लिए शहर चुगी की दर मे
ारिवर्तन किया गया। कच्चे रेशम और सूती कपडो को छोड कर सम्पूर्ण
ास्तुओ पर ढाई प्रतिशत चुगी निर्धारित की गई। बिहार प्रान्त से जो माल
ाता था उस पर रवन्ना मे दर्ज पूरे मूल्य पर ढाई प्रतिशत टैक्स लगता
ा। यह आयात टैक्स पटना के चुगी घर मे चुकाना पडता था।[56]

१८०२ के अधिनियम ३ के अन्तर्गत जो माल बनारस प्रान्त मे बनाये जाते थे और बिहार प्रान्त से आते थे चुगी मुक्त नही थे। उन्हे बनारस के चुगी घर मे ढाई प्रतिशत अदा करना पडता था। बिहार प्रान्त से आने वाले माल पर बनारस मे रवन्ना मिलता था, जिन्हे बगाल, बिहार और उडीसा मे ले जाने पर टैक्स नही देना पडता था। वे १८०२ के अतिरक्त अधिनियम १४ के अन्तर्गत नील बीज पर मौला, पौना, डुरमा, नामक स्थान के अतिरिक्त बिहार, बगाल, उडीसा प्रान्त मे भी चुगी नही लगती थी। शहर चुगी वसूल करने के लिए गाजीपुर मे चुंगी घर की स्थापना अनिवार्य हो गई।

इससे असुविधा भी उत्पन्न हुई। सौदागरो को साढे नौ प्रतिशत अतिरिक्त चुगी देना पडता था। १/– प्रति रवन्ना की दर से चुगी मे गलती थी।[57]

कम्पनी ने बनारस मे उद्योग बढाने के लिए अनेक प्रयत्न किये। आयात, निर्यात पर चुगी कम कर दी गई। गैर कानूनी कार्य रोक दिये गये।

---

[56] बगाल रेग्युलेशन– ऐपेन्डिक्स (१) पृष्ठ–५००
[57] वही–पृष्ठ ५००–५०१

सोना महल, पत्थर महल, लकडी महल के कार्य रोक दिये गये। मिर्जापुर मे ली जाने वाली दोगुनी चुगी, शहदरी तथा किराये के नाव पर लगाये जाने वाले टैक्स को खत्म कर दिया गया।[५८] व्यापारियो के जान माल की सुरक्षा के लिए प्रयास किये गये। दक्षिण के व्यापारियो के माल की वर्षा से रक्षा के लिए झोपडियो का निर्माण कराया गया। चुगी तथा उद्योग सम्बन्धी शिकायतो की सुनवायी के लिए व्यापारिक अदालते स्थापित की गईं। सरकार की इन नीतियो और प्रयासो के फलस्वरूप बनारस के व्यापार को अन्य प्रान्तो के समकक्ष लाने मे सहायता मिली और इसका परिणाम लाभप्रद रहा।[५९]

नवाब अवध के साथ सुलह

नवाब अवध तथा नेपाल के राजा के साथ हुई व्यापारिक सन्धियो का व्यापार के विस्तार मे मुख्य योगदान रहा है। १५ जुलाई १७८८ मे नवाब वजीर के साथ हुई सन्धि की अवधि समाप्त हो गयी।[60] इस सन्धि के अनुसार जो माल कम्पनी क्षेत्र बनारस या अवध से आता था उसके साथ उन स्थानो के प्रतिनिधि अधिकारी का रवन्ना होता था। रवन्ना के ऊपर लिखे मूल्य पर टैक्स लगाया जाता था। स्पष्ट रूप से यह ध्यान रखा जाता था कि जिन वस्तुओ पर टैक्स लिया जाता था उनके मूल्य पर किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो।[61] टैक्स की ठीक दर के सम्बन्ध मे

---

58 वही– पृष्ठ– ५२७, ५२८, ५२६, ५३३

59 वही– जिल्द (१) पृष्ठ–७४०–७४१

60 ऐचकिसन– ट्रीटीज एण्ड सनद इन्गेजमेन्ट, जिल्द (२) पृष्ठ –६०–६१

61 वही–

जो निश्चय किया गया उसके अनुसार कपास जो वजीर के राज्य से गुजरता था उसे बनारस मे आयात टैक्स ६/– प्रति मन मूल्य पर देना पडता था। रेशम तथा सूती माल जो अवध मे बनता था उस पर बनारस मे आयात टैक्स ५ प्रतिशत के स्थान पर ढाई प्रतिशत चुकाना पडता था। इससे सस्ते कपास की आपूर्ति हुई तथा बगाल मे सामान उत्पादको को अच्छा बाजार मिल गया। अवध से गुजरने वाले पत्थर पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। दूसरे आयात एव निर्यात होने वाले सामानो पर टैक्स यथावत बना रहा।[62]

सन्धि समाप्त हो जाने पर इलाहाबाद मे चुगी घरो की स्थापना हुई। लछागीर से डेढ कोस दूर हाल मे ही बसे भदोही के पटवारीपुर मे एक मुतसदी और दो चपरासी नियुक्त किये गये। यह स्थान तीन सीमाओ–कम्पनी, वजीर का राज्य और टौटेह से जुडा हुआ था। सीमा के अन्दर नावो को विभिन्न कठिनाइयो मे बचाने के लिए ही इस कार्यालय की स्थापना की गई थी। सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नाव के मालिको से यदि किसी प्रकारके अवैध टैक्स लिए जाने की सूचना प्राप्त होती थी तो ऐसा करने वालो के नाम तथा नाव मालिको के नाम आवश्यक कार्यावाही हेतु मिर्जापुर भेज दिये जाते थे।[63]

२१ मई १७८६ को सरकार के पास एक सूचना भेजी गई जिससे ज्ञात हुआ कि वजीर नेपाल के राज्य मे टैक्स घरो की गडबडी एव अनियमितआओ के कारण सौदागरो को अनेक असुविधाओ का सामना करना

---

62 वही –२१ नवम्बर १७८८ – पृष्ठ १६५

63 वही– २१ मई (१७८६) – पृष्ठ– ५७६–५८०

पड रहा है और सरकार को टैक्स मे हॉनि हो रही है। रवन्ना की प्राप्ति मे भी कठिनाई और विलम्ब होता था। लखनऊ मे रह रहे रेजीडेन्ट के परामर्श से डकन बनारस के टैक्स मास्टर से मिला और व्यापारिया की शिकायतो को सुनने के बाद उसने टैक्स मे व्याप्त गडबडी को दूर करने के लिए टैक्स की पूर्व निर्धारित दर को ही मान्यता दिया। व्यापारिक सन्धि के अनुसार जो माल सम्बन्धित देश के रवन्ना के बिना था उन पर रवन्ना के साथ आने वाले मालो से दो गुना टैक्स लगता था।

इस सुझाव को २६ मई १७८६ को सरकार ने स्वीकार कर लिया। वजीर के रवन्ना मूल्य पर बनारस मे सामान पर ८ प्रतिशत टैक्स लगता था।[64]

नेपाल के साथ सुलह

ब्रिटिश के नेपाल के साथ प्रारम्भ मे मात्र व्यापारिक सन्धि की ही बातचीत हुई।[65] बनारस से मसलिन, गुलदान, किमखाब, इमराल्ड, सफेद कपडा, छीट, खारा कपडा, मिर्च, चीनी, गुलाब और शाल नेपाल को निर्यात होता था। इन वस्तुओ पर निम्नवत् टैक्स लगता था।

(१) बनारस से निकलने पर ५ प्रतिशत

(२) बिहार टैक्स २ प्रतिशत

(३) सडक टैक्स २ प्रतिशत

---

64 ऐ०शेक्सपीयर्स–सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्ड जिल्द (दो) पृष्ठ–६३

65 सेलेक्शन फ्राम इग्लिश रेकार्ड– बनारस सिरीज जिल्द (दो) पृष्ठ– १६६–१७०

इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक माल पर बनारस मे ६ प्रतिशत टैक्स लगता था। चवर नाफेट, मस्क, कोकीन, कपडा, मेज, सीग, हाथीदात, सोने का बुरादा, कम्बल, छड और सोहागा का आयात नेपाल से होता था।[66]

१ किनलाक के यात्रा की असफलता के पश्चात् लार्ड लडहौजी के समय तक नेपाल से किसी प्रकार का सम्बन्ध नही रहा। व्यापारिक सम्वन्ध सामाप्त हो गया। हैस्टिग्स ने नेपाल और तिब्बत से स्वतत्र व्यापारिक बातचीत करने का प्रयत्न किया। किन्तु चीन और उसकी अदालत की कूटनीति से यह प्रयास असफल रहा।[67]

सन् १७८६ मे नेपाल के राजा के एजेन्ट ने कम माल पर रवन्ना के लिए आवेदन किया जिसे रेजीडेन्ट ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। ऐसा नेपाल से सम्बन्ध अच्छा बनाने के लिए किया गया।

१७६० मे पुर्निया के कलेक्टर के परामर्श पर कार्नवालिस ने राजा नेपाल को एक पत्र लिख कर मिलने की इच्छा जाहिर की। पारस्परिक बातचीत के दौरान दोनो देशो मे व्यापारिक उन्नति को प्रोत्साहन देने तथा बाधाओ को दूर करने का निश्चय किया गया। नेपाल की सीमा पर स्थापित चौकियो को हटा लिया गया तथा नेपाल से निर्यात होने वाले माल पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इससे कम्पनी की आय को

---

66 वही–
67 ऐचकिशन–पूर्व उदधृत पृष्ठ–१८७

ाति होना निश्चित था किन्तु इससे दोनो देशो को लाभ भी हो गया। क्षति को अन्य स्रोतो से होने वाली आमदनी से पूरा किया गया।[68]

सरकार ने दोनो देशो के मध्य होने वाली व्यापारिक सन्धि पर बातचीत करने का डकन को अधिकार प्रदान किया। अधिकार और बातचीत की अवधि २१ मार्च, १७९२ को समाप्त हो गई।

इस सन्धि के अनुसार दोनो देशो के आयात माल पर ढाई प्रतिशत टैक्स निर्धारित हुआ। यह टैक्स सौदागर के पास उपलबध माल की रसीद की राशि पर लगता था। रसीद न उपलब्ध होने की स्थिति मे चुगी अधिकारी बाजार दर के अनुसार टैक्स लगा देते थे। यदि किसी सौदागर को अपना सामान नही बेचना था, तो उसे यह स्वतत्रता थी कि वह अपना माल दोनो सीमा के बाहर ले जा सकता है, तो उस माल पर कोई अतिरिक्त टैक्स नही लिया जाता था।[69]

गोरखो की चाल से चीनीयो के साथ युद्ध मे अग्रेजो द्वारा सहायता न दिये जाने के कारण इस सन्धि का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नही हुआ।[70]

१७९४ मे सरजान शोर ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से अब्दुल कादिर नामक एक व्यापारी को एक सिफारिशी पत्र

---

68 क्रिक पैट्रिक–एकाउन्ट आफ नेपाल–पृष्ठ २०५–२०७
'किनलाक एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी यात्रा का लक्ष्य नेपाल से सम्बन्ध सुधारने का था किन्तु इनकी यात्रा की असफलता से लक्ष्य पूर्ण नही हो सका डलहौजी के कार्यकाल मे।'
देखिये–बनारस सीरीज जिल्द (दो) पृष्ठ १६६–१७०

69 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स– ३१ दिसम्बर (१७८६) पृष्ठ–४२३–४२४ एव पोलेटिकल लेटर्स आफ डाइरेक्टर्स ३० दिसम्बर (१७६४)

70 वही पैरा– (१३४)

लेकर नेपाल भेजा। इस विषय पर उसने डकन के ७ फरवरी १७६५ को लिखा कि व्यापार पूरी तरह नष्ट भी हो जाय तो क्षति बहुत मामूली होगी। कादिर की यात्रा मे इतना अधिक विलम्ब हो गया कि राजा नेपाल अपना विरोध प्रदर्शित करने लगे। गरजार मिसिर के प्रयास करने पर कादिर को नेपाल आने का अवसर प्राप्त हो सका। किन्तु इन प्रयत्नो का विशेष परिणाम नही निकला।[71]

बाट और तौल

बनारस सूबे मे प्रचलित बाट और तौल का डकन ने सुधार किया। बलवन्त सिह के समय बनारस शहर का कोतवाल बाट और तौल का कार्य देखता था। वह पत्थर तौलता था और उसकी फीस लेता था। किन्तु जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर मे कोर्ट स्थापित हो जाने के बाद तौल का कार्य कोतवाल से ले लिया गया। इस कार्य की देख रेख के लिए मोहतसीब नियुक्त हुआ जो पत्थरो के सेर और पसेरी के ऊपर अपनी मोहर लगाता था। तौल मे गडबडी न आने पाये उसकी वह देख रेख रखता था। बाट और तौल मे गडबडी साबित होजाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुर्माना और दंड भुगतना पडता था।

बाट सम्बन्धी धोखा–धडी रोकने के लिए लोहे के बाट चलाये गये जिनका अदालत द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता था। यदि किसी के

---

71 वही– २१ जून (१७६२) पृष्ठ – (१८७–१६०) एव एच० फर्बर – प्राइवेट रेकार्ड आफ इन्डियन गर्वनर जनरलशिप – पृष्ट ६५

पास लोहे का बाट नही होता था तो वह पत्थर का बाट रख सकता था किन्तु मोहर लगा हुआ ही।[72]

'कर आरोपित करने की प्रक्रिया एव उसके सचय के कार्य से राजकीय राजस्व मे वृद्धि होती है जो राजकीय योजनाओ की पूर्ति मे सहायक होते है। किन्तु इसी सदर्भ मे यह भी कहा जा सकता है कि "अर्जित राजस्व की योजना एव कर व्यवस्था का सृजन मानव के स्तर एव उत्पादन के स्तर को ध्यान मे रख कर होना चाहिए।[73] भारत एक पिछडा हुआ देश है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर का जो निर्धारण अब तक हुआ है वह अत्यन्त सीमित मात्रा मे एकत्र हुआ है। वास्तविकता यह है कि कर के माध्यम से राजस्व मे वृद्धि की बात एक आम आदमी को जान कर एव मानकर तब सोचनी चाहिए।[74] कर देश के आर्थिक सुधार एव सामाजिक उत्थान मे महत्वपूर्ण कदम होता है, साथ ही विशिष्ट प्रभाव भी डालता है। एक सुन्दर सृजित कर–व्यवस्था देश के आर्थिक सुधार मे महत्वपूर्ण कदम होता है। किन्तु यदि कर व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है तो उसका कुप्रभाव भी निश्चित होता है।[75]

निःसन्देह कोष राष्ट्र की परम आवश्यकता है। नीति ग्रन्थो के अनुसार कोष राष्ट्र का प्राण है। इसके बिना राष्ट्र का शरीर एक क्षण भी

---

72 ओल्ढम–हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मोम्यार आफ बनारस डिस्ट्रिक्ट–पृष्ठ–२५–२६

73 एस० फिन्डले– साइस आफ पब्लिक फाइनेन्स पृष्ट–४११ (मैकमिलन एण्ड कम्पनी–१६२४)

74 यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर्स बजट स्पीच फार (१६५१–५२) पैरा–५२ एव गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया टैक्शेशन इन्क्वायरी–कमेटी रिपोर्ट (१६५४) जिल्द (१) पृष्ठ–६

75 वही– पैरा ५२

जीवित नही रह सकता। किन्तु जन सामान्य को उपेक्षित करके राष्ट्र का कोष भरना उचित नही होता।[76]

बैंकिंग प्रणाली

पूर्वी उत्तर प्रदेश का तथाकथित बनारस सूबा एक क्षेत्रीय प्रशासनिक मुख्यालय था जहाँ से इस क्षेत्र के बैक, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा, नियत्रित किये जाते थे। बनारस के क्षेत्रीय कुछ बैकरो का एक विश्लेषण इस क्षेत्र के बैकिग प्रथा पर प्रकाश डालते है। जब हम पर्सियन पत्राचार के कैलेण्डर और पूरक पत्रो पर दृष्टि डालते है जो अनेक बैकरो और महाजनो द्वारा हस्ताक्षरित रूप मे हैस्टिग्स और कार्नवालिस के पास से प्रेषित किये गये थे तो हम पाते है .वैश्य, अग्रवाल खत्री, गोसाई, और ब्राह्मण पारम्परिक रीति से इस क्षेत्र के बैकिग सघो को नियत्रित कर रहे थे।

बैकर सूची मे मुसलमानो का नाम नही है। इसका प्रमुख कारण यह था कि इस्लाम धर्म मे ब्याज या मूल पर होने वाले लाभ को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा निषेध है। इसी बाध्यता और निषेध के कारण बैकर सूची मे मुसलमानो का नाम नही था। गुजरात, राजस्थान और आधुनिक उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अनेक बैकर और महाजन थे। उदाहरण के रूप मे अमरोहा के साहू गोपाल दास सर्व प्रथम बैकर थे जो बनारस मे ही निवास करते थे। वे बहुत प्रभावशाली एव उच्च सामाजिक स्तर वाले थे। कुछ बैकर और महाजन को मुगल सम्राट द्वारा 'राजा' की भी उपधि प्राप्त

---

76 माधुरी–लेख 'प्राचीन कर सग्रह' जिल्द (२) द्वारा श्रीयुत इन्द्र विद्यालकार, पृष्ठ–४३७

थी। लाला बछराज एव कश्मीरी लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन दोनो के ही बनारस के नबाब और राजा के साथ वित्तीय सम्बन्ध थे। उसके पश्चात् उन्होने कम्पनी के साथ भी अपने मधुर सम्बन्ध बनाये। उन्होने आगे चलकर उत्तरी भारत मे अपनी शाखाये चलाई। उनके अनेक प्रतिनिधि थे तथा फर्म की अनेक शाखाये थी। ये शाखाये कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बम्बई, सूरत मे स्थापित थी।[77]

अन्य बैकिग फर्मो मे भैया राम गोपाल दास थे जिनके पास १७७० तक ५२शाखाये थी जो भारत के विभिन्न भागो मे स्थित थी। उनके मुख्य प्रतिनिधि दिल्ली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, सूरत, पूना, मद्रास, बडौदा, अहमदाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, मे थे। इनके अतिरिक्त मनोहरदास, चतुर्भुज दास ब्रजराम दास, चमनदास, त्रैलोक जी इत्यादि बैकर थे। वे सब समाज मे सम्मानित व्यक्ति थे और पूरे देश मे अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से अच्छा व्यवहार करते थे।[78]

१८वी शताब्दी मे उपलब्ध स्रोतो और आकणो को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हुण्डी एव बिल आफ ऐक्सचेज की प्रथा पूर्ण विकसित

सुनियोजित कर की परिधि के अन्तर्गत वह कर आता है जो व्यक्ति की महत्वाकाक्षा से परे, भारतीय अर्थ व्यवस्था के अनुरूप–कल्याण को ध्यान मे रखते हुये– स्थिर आर्थिक प्रणाली के अनुसार हो। ब्रिटिश शासन काल मे मालगुजारी कम वसूल हुई। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अन्य स्रोत से कर लगा कर आय मे वृद्धि ही एक विकल्प है किन्तु जन सामान्य को उपेक्षित कर ऐसा सम्भव नहीं है एव अनुचित भी है। विशेष विवरण के लिए देखिये–(१) गान्धीयन ऐकानामिक थाट– पृष्ठ ५, (२) आर्थिक विचारो का इतिहास पृष्ठ ५२८, (३) ऐन इन्ट्रोडक्सन टू दी स्टडी आफ इडियन ऐकोनामी पृष्ठ ३, (४) ऐकोनामिक स्ट्रक्चर इन फ्री इडिया पृष्ठ ८८, (५) फाउन्डेशन आफ इडियन ऐकोनामिक पृष्ठ ११२, (६) माधुरी–पृष्ठ ४३७

77 मोती चन्द्र 'काशी का इतिहास'– पृष्ठ–३३६

78 कैलेन्डर आफ पर्शियन करसपाण्डेन्स, जिल्द (७) लेटर न० ११८२

थी और इसका पालन भी नियमित ढग से होता था। सर्राफ सिक्के बदलने एवं मुद्रा परिवर्तन करने का काम करते थे।[79]

वाणिज्यिक और प्रशासकीय मुद्रा विनिमय रुपये मे किये जाते थे। यह चॉदी निर्मित मुगलकालीन रुपया था। नये ढाले गये रुपये सिक्के कहलाते थे और एक साल तक मूल कीमत पर स्वीकार किये जाते थे।[80] उसके बाद पुराने सिक्के बट्टे पर लिए जाते थे। इसका मूल्य दो से ढाई के बीच था। बनारस की प्रशासकीय, सास्कृतिक, और वाणिज्यिक प्रगति ने १७३३ मे एक टकसाल की स्थापना मे योगदान दिया। सोने और चॉदी के सिक्के दृढता पूर्वक ढाले जाते थे। सोने के ईंट इत्यादि भी ढाले जाते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र मे एकाधिकार व्यापारिक जातियो एव वशानुगत रूप मे ही था।[81]

---

79 मिश्रा, के०पी०–'बनारस इन ट्रान्जिक्शन' पृष्ठ–१७१

80 इरफान हबीब – बैकिग इन मुगल इडिया' (एक लेख)

81 इरफान हबीब–'करेसी सिस्टम इन मुगल इडिया' जिल्द (२) पृष्ठ–२ एव के० पी० मिश्रा–पृष्ठ–१७६

मुख्य व्यापारिक क्षेत्र से सम्बद्ध लोगो मे थे, मारवाडी, गोसाई, खत्री अग्रवाल जिन्होने इस क्षेत्र की नागरिकता ली और शहर मे रहने लगे। दृष्टव्य थामस ए० दिम्बर्ग–'मारवारीज (दिल्ली–१९७८) पृष्ठ ४१–४३, डकन रेकार्डस–बस्ता–(१) रजिस्टर (१) बार्लो द्वारा गवर्नर जनरल को लिखे गये पत्र दिनाक २४ अगस्त, १९८७, के०पी० मिश्रा–पृष्ठ १७०

भू-राजस्व व्यवस्था
भाग (१)

भू-राजस्व व्यवस्था (भाग - १)

टोडरमल के रैयतवारी व्यवस्था के अनुसार किसानो को भूमि के क्षेत्रफल या पैदवार का आधा, जो उनकी इच्छा पर होता था, लगान देना पडता था। लगान वसूलने के लिए किसी मध्यस्थ की व्यवस्था नही थी। लगान वसूलने का कार्य प्राय कलेक्टर करते थे जिन्हे हिसाब किताब मे विशेष योग्यता प्राप्त होती थी।[1]

मुगल सम्राट औरगजेब के शासनकाल के अन्तिम चरण मे यह व्यवस्था बिगडने लगी। उसके नये अधिकारियो मे अनुभव, धैर्य और ज्ञान का अभाव था। लगान, वसूली की व्यवस्था बन्द हो गई और लगान वसूली के लिए ठेकेदारो की नियुक्ति आवश्यक समझी गई। यही ठेकेदार ही जमीदार कहे जाते थे।[2]

१८वी शताब्दी मे जब दीवानी का अधिकार ब्रिटिश को प्राप्त हुआ, सम्पूर्ण देश बडे–बडे राज्यो मे विभक्त हो गया और उनपर शक्तिशाली जमीदारो का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये जमींदार लगान के ठेकेदार होते थे। इस सन्दर्भ मे यह स्पष्ट करना युक्तिसगत होगा कि राजा बनारस और कई गॉव के मालिक कहे जाने वाले लोग भी इसी प्रकार की श्रेणी मे आते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे बनारस जौनपुर, चुनार मे जमीदारी प्रथा ३१

---

1 सी रइस्क–नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया पृष्ठ–५३

2 वही–पृष्ठ ५३

मई १७३८ मे शक्तिशाली शासको के हाथ मे आ गई। अब मुगलो के अधीनस्थ आमिल, राजा, कानूनगो, ताल्लुकेदार जमीदार और रैयत द्वारा लगान वसूली का कार्य होने लगा था।[3] सभी राज्य अनेक जिलो मे विभक्त थे जिनमे एक–एक मालगुजार होता था जिसे सम्पूर्ण वसूल की गई लगान का कुछ प्रतिशत 'दस्तूरी' प्राप्त होती थी। इसके बाद जमीन की नाप जोख करने के लिए अमीन होता था जो लगान भी निर्धारित करता था। इनके अतिरिक्त एक स्थाई कर्मचारी कानूनगो होता था जो आमिल और जमीदारो का हिसाब किताब रखता था।[4]

सामान्यत जमीदार का अर्थ "भू–स्वामी" अथवा 'भूधारक' से है किन्तु १८ वी शताब्दी मे 'जमीदार का अर्थ' 'मध्यस्थ' से होता था। वे लोग भी जो अन्य मध्यस्थो से लगान वसूल कर एक निश्चित राशि सरकार को भेजते थे 'जमीदार' कहलाते थे।[5] जमीदार शब्द का एक व्यापक अर्थ था। राजस्व हेतु वचनबद्ध होने वाले व्यक्ति अथवा राजस्वदाता के लिए, चाहे वह वास्तविक 'भूस्वामी' हो या मात्र एक 'मध्यस्थ' हो जिसके द्वारा राजकीय कोष मे राजस्व जमा किया जाता था उसके लिए जमीदार शब्द का प्रयोग किया जाता था।[6] भूमि की देखभाल करने वाले को भी जमीदार

---

3 वही–पृष्ठ–५४

4 डब्लू० एच० मोरलैण्ड–दि एग्रीग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इण्डिया पृष्ठ–२६ एव इरफान हबीब–दि एग्रीग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इण्डिया–पृष्ठ–२७८ एव २८६

5 बर्नार्ड एस० कोन–'पॉलिटिकल सिस्टम इन एटीन्थ सेन्चुरी इण्डिया जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी' जिल्द–८२, अक–३ जुलाई–सितम्बर- १६६२, पृष्ठ ३१५ (उद्धृत शोध ग्रन्थ 'जामिदार इन एट्टीन सेचुरी–)

6 जे० आर० रीड– एक रिपोर्ट एपेन्डिक्स न० १, पृष्ठ ६ ए

कहा जाता था।[7] भूमि को खण्डो मे विभाजित किया जाता था और प्रत्येक जमीदार को एक 'सनद' और 'नानाकार' दे दिया जाता था। जमीदार को अपनी जमीदारी बेचने का अधिकार प्राप्त था किन्तु दोषी पाये जाने पर किसी भी जमीदार की जमीदारी राजा द्वारा छीनी भी जा सकती थी। राजा जब्त की हुई जमीदारी किसी दूसरे को दे सकता था। किन्तु सामन्त और सूबेदार इस अधिकार का उपयोग नही कर सकते थे।[8] १८वी शताब्दी मे जमीदार शब्द का प्रयोग शक्तिशाली स्वतन्त्र और स्वायत्त सरदारो से लेकर ग्राम स्तर के छोटे–मोटे मध्यस्थो तक के लिए प्रयुक्त होता था। किन्तु १८वी शताब्दी के अन्तिम दशक मे इसके व्यापक अर्थ मे कमी आई और बनारस सूबे मे अग्रेजी कम्पनी के शासन के अन्तर्गत हुए स्थायी बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप (जागीर महालो के अतिरिक्त शेष भाग) ग्राम स्तर के जमीदारो को 'भूस्वामी' मान लिया गया और जमीदार शब्द का प्रयोग 'भूस्वामी' के लिए होने लगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे जमीदारो की स्तर के अनुसार अनेक श्रेणी थी किन्तु मुख्यत इन्हे तीन श्रेणियो मे रखा जा सकता है–

(१) <u>स्वायत्त सरदार</u> (२) <u>मध्यस्थ जमीदार</u> (३) <u>प्राथमिक जमीदार</u>। यद्यपि जमींदारो का अस्तित्व और अधिकार अनुवाशिक और स्थायी होता था किन्तु फिर भी उसमे विविधता होती थी। 'नानाकार' और 'मालिकाना'

---

7 ब्रिटिश म्यूजियम, ऐड ६६०३, प० ६५, उद्धृत नोमान अहमद सिद्दिकी, मुगलकालीन भूराजस्व प्रशासन–१७००–१७५०–पृष्ठ–४५

8 नो० आ० सिद्दीकी, मुगलकलीन भू राजस्व पृष्ठ–४५ एव, डब्लू के फ्रिमिनगर– दि फिफ्थ रिपोर्ट फ्राम दी सेलेक्टेड कमीटी आन दि अफेयर्स ऑफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी जिल्द–द्वितीय पृष्ठ–४ एव सेलेक्शन फ्राम रेवेन्यू रेकार्ड ऑफ दि एन० डब्लू० पी०–१८१८–१८२०
पृष्ठ–८६

जमीदारी के महत्वपूर्ण अधिकार थे और मुगलकाल मे इसकी सामान्य दर १० प्रतिशत थी। किन्तु १८वी शताब्दी मे मुगलो के पतन के कारण इस दर मे अन्तर आ गया। अब 'नानाकार' और 'मालिकाना' जमीदार के अधिकार क्षेत्रीय सत्ता से उनके सम्बन्धो पर आधारित हो गये। 'नानाकार' और 'मालिकाना' के अतिरिक्त कुछ अन्य कर भी एकत्रित करने का अधिकार जमीदार के पास था किन्तु इसमे समानता नही थी। जमीदार स्वतत्वो का क्रय–विक्रय, स्थानान्तरण और गिरवी रखने जैसे कार्य भी किया करता था। वह किसानो और असामी वर्ग से बेगार भी लेता था। मात्र 'विर्तिया जमीदार ऐसे अधिकारो का उपभोग बिना 'विर्ति दाता' की अनुमति के नही कर सकते थे। १८वी शताब्दी मे कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण जमीदारो के अधिकारो मे परिवर्तन परिलक्षित हुआ। कृषि की उन्नति, आबादी का विस्तार, सरकारी राजस्व एकत्रित करके राजकोष मे जमा करना, शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने मे सहायता करना तथा शासन के प्रति निष्ठा बनाये रखना, जमीदारो का मुख्य कर्त्तव्य था।

स्वायत्त-सरदार

स्वायत्त के अन्तर्गत आने वाले जमीदारो को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इनके भी अनेक वर्ग थे। पहले वर्ग मे वे राजा या जमीदार थे जो मुगलो की अधीनता तो स्वीकार करते थे किन्तु उन पर कोई वित्तीय या सैनिक जिम्मेदारी नही होती थी। दूसरे वर्ग मे मुगल सम्राट का अधिराजत्व मानने वाले वे जमीदार थे जो या तो प्रान्त के नाजिम की सैनिक सेवा करने की शर्त स्वीकार करते थे या फिर निश्चित सालाना

उपहार देना स्वीकार करते थे।[१] (१) पूर्वी उत्तर प्रदेश मे मात्र वही जमीदार थे जो सैनिक सहायता और वार्षिक उपहार देते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी सम्राट के नाम मात्र के प्रतिनिधि अवध के नवाब को आवश्यकता पडने पर सैनिक सहायता देते थे। मुगल साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता के विघटन से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाने के प्रयास मे अनेक बार जमीदारो ने अपने अधिकार और भूमि की सीमा को बढाने का प्रयत्न किया। इस विवाद को लेकर अवध के नवाबी शासन और स्थान–स्थान के जमीदारो के मध्य सघर्ष की स्थितिया भी आयी। अनेक जमीदार दडित भी किये गये किन्तु बनारस के जमीदार काफी समय तक कुछ कारणवश दण्ड से बचते रहे। किन्तु अन्तत जब नवाब आसफ उद्दौला ने बनारस की जमीदारी की प्रभुसत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौप दी तो बनारस के राजाओ की स्थिति मे स्वाभाविक परिवर्तन आया। राजा चेतसिह पर तरह–तरह के आरोप लगाकर कम्पनी–शासन ने जमीदारी का सम्पूर्ण प्रशासन अक्टूबर १७६४ मे अपने अधिकार मे कर लिया। बनारस का राजा थोडे से भू–भाग का जमीदार मात्र रह गया। फिर भी यह सत्य है कि बनारस स्वायत्त की जमीदारी श्रेणी मे आती थी।

मध्यस्थ जमींदार

प्राथमिक जमीदारो से लगान वसूल करके सरकारी खजाने मे या जागीरदार अथवा सरदार के पास जमा करने वाले मध्यस्थ जमीदार कहे

---

१ वही– पृष्ठ ३६

जाते थे। विशिष्ट परिस्थितियो मे ये लगान की रकम अपने पास भी रख सकते थे। इनका कार्य अपने क्षेत्र मे कानून व्यवस्था बनाये रखना था। सेवा के बदले इन्हे कुछ कमीशन, कर मुक्त भूमि और कुछ अन्य रियायतो का लाभ मिल जाता था। प्राय ऐसे जमीदार पैतृक उत्तराधिकारी होते थे किन्तु कभी–कभी एक निश्चित अवधि के लिए भी कार्य करने वाले जमीदार होते थे। वास्तविकता यह थी कि सम्पूर्ण देश की जमीदारी व्यवस्था किसी न किसी प्रकर से मध्यस्थ जमीदार के अधिकार क्षेत्र मे होती थी।[10] १८वी शताब्दी मे मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाकर इन्होने अपनी स्थिति और स्तर स्वायत्त जमीदार जैसा बना लिया था।[11] पूर्वी उत्तर प्रदेश मे तो उन्हे अर्धस्वतन्त्र सरदार के रूप मे स्वीकार भी किया गया।[12] ये इतने शक्तिशाली थे कि सुनियोजित सैनिक अभियान के बावजूद भी जौनपुर मे स्थित राजा–बाजार सिगरामऊ, बदलापुर की स्थिति मे बनारस के राजा कोई परिवर्तन नही कर सके।[13] बनारस मण्डल मे इनकी सख्या और शक्ति पर्याप्त थी।

---

10 एव० नूरुल हसन, "जमींदार्स अन्डर दि मुगल्स"–सम्पादित राबर्ट एरिक फ्रीकेनबर्ग, लैण्ड कन्ट्रोल एण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री, १६७६ पृष्ठ २४–२५

11 सी० ओ० जी० जिल्द–१५ पृष्ठ ६३–६४

12 डकन रिकार्ड्स बस्ता न० २, रिकार्ड न० १०, पृष्ठ–१८१ विल्ढम ओल्टम–हिस्टारिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल मेमायर पार्ट ११, पृष्ठ १८०–१८१

13 बर्नार्ड एस० कोन, स्ट्रक्चरल चेन्ज इन इण्डियन रूरल सोसायटी– '१५६६–१८८५'– सम्पादित–राबर्ट एरिक फ्रीकेनबर्ग लैण्ड कन्ट्रोल ऐण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री १६७६ पृष्ठ ५६–६०

प्राथमिक जमींदार

कृषि योग्य और आवास योग्य भूमि पर स्वामित्व का अधिकार रखने वाले प्राथमिक जमीदार थे। इस तीसरे वर्ग मे अपने हाथ से या भाडे के मजदूरो की सहायता से खेती करने वाले कृषक स्वामी ही नही वरन एक अथवा अधिक गावो के स्वामी भी आते थे। इनके भी कई वर्ग जैसे ग्राम स्तर के जमीदार, भैया जमीदार, पट्टीदार या थोकदार तथा विर्तिया जमीदार थे।

जमींदार और कृषकों के मध्य सम्बन्ध

जहॉ तक तत्कालीन कृषक और जमीदारो के आपसी सम्बन्ध की बात है वे घनिष्ठ और महत्वपूर्ण थे। इन्ही कृषक वर्ग पर ही उच्चवर्ग का भूमि सम्बन्धी हित आश्रित था। ये परस्पर सीधा सम्बन्ध रखते थे। यद्यपि कृषक समाज का निचला वर्ग था किन्तु फिर भी इनकी अनेक श्रेणिया थी। इस सन्दर्भ मे डा० सतीश चन्द्र की कृति[14] के परिपेक्ष मे इनकी श्रेणियो का विभाजन इस प्रकार है—

(१) खुदकाश्त -

वह कृषक जो अपनी भूमि (स्वय जोतता हो) का स्वामी हो और जिनके पास निजी हल बैल और परिवारिक श्रम हो। वह निश्चित किन्तु अपेक्षाकृत प्रचलित दर से कम लगान देता हो। यह कृषको का ऐसा समूह

---

14 सतीश चन्द्र—मेडिवल इन्डिया, सोसायटी, दि जागीरदारी—क्राइसिस ऐण्ड दि विलेज—पृष्ठ १६६

था जो कृषि मे विशिष्ट धन लगाने वाले विशिष्ट वर्ग की रचना करता था।[15] उन्हे अपने खेत का चयन करने, सम्पत्ति का उत्तरादान करने, गिरवीरखने, स्थानान्तरित करने का अधिकार था। ये प्राय जमीदारी के उपकरो से मुक्त थे।

(२) पाही काश्त -

जमीदारी की सीमा के बाहर के गाव से आने वाले अस्थाई निवासी इस श्रेणी के कृषक थे। इनमे कुछ निजी हल–बैल रखते थे और कुछ साधन विहीन अश्पृष्य होते थे।[16]

(३) मुजारा -

इस श्रेणी मे ऐसे किसान आते थे जो गाव के बडे लोगो से हल बैल लेकर कार्य करते थे। वे बटाई तौर पर कृषि कार्य करते थे।[17]

किन्तु मोरलैण्ड के अनुसार "कृषक वर्ग के अन्तर्गत ग्राम के जमीदारो का समुदाय, उस गाव के निवासी–कृषक सम्मिलित थे।"[18]

जमींदारी प्रबन्ध -

पूर्वी उत्तर प्रदेश मे नितान्त छोटी जमीदारियो को छोडकर प्राय सभी मे व्यवस्था हेतु दो केन्द्र–(१) सदर कचहरी (२) मुफस्सिल कचहरी होते थे। सदर कचहरी अर्थात केन्द्रीय कार्यालय जमीदार का पारिवारिक

---

15 वही–पृष्ठ ३२–३६, १६६–१७०

16 वही–

17 वही–पृष्ठ १७१

18 डब्लू० एच० मोरलैण्ड– दि एग्रीग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया–पृष्ठ–१६१

निवास स्थान होता था। इसका प्रमुख 'दीवान' होता था। प्राय सभी बडे जमीदार जमींदारी की व्यवस्था हेतु 'दीवान' की नियुक्ति करते थे। बनारस के राजा बलवन्त सिह ने मेहरचन्द खत्री को अपना दीवान नियुक्त किया था।[19] मेहरचन्द की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नन्द भगत दीवान बनाया गया।[20] राजा चेतसिह के समय मे औसान सिह दीवान के पद पर था।[21]यह एक जमीदारी प्रबन्ध की सर्वत्र प्रचलित परम्परा थी। जौनपुर के बदलापुर ताल्लुका मे भी दीवान नियुक्त था।[22] यद्यपि इन 'दीवान' के कार्य और अधिकार का निर्धारण नही स्पष्ट है। किन्तु यह उनकी योग्यता और जमीदार के सम्बन्धो पर निर्भर करता था। धीरे–धीरे अधिकाश दीवान विशिष्ट अधिकार सम्पन्न सर्वेसर्वा भी बन गये थे।

जमीदारो द्वारा वकील रखने की भी परम्परा थी। वर्तमान मे उक्त वकील का अर्थ राजदूत, प्रतिनिधि[23] अथवा मुख्तार के रूप मे समझा जा सकता है।

जमीदारो के पास सैनिक शक्ति भी थी। विभिन्न जातियो के लोगो से तैयार एक सेना जमीदारी की रक्षा हेतु केन्द्रीय कार्यालय मे रहती थी। बनारस के राजा बलवत सिह के केन्द्रीय कार्यालय मे एक विशाल सेना थी।[24] प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से सभी बडी जमीदारी विभिन्न प्रादेशिक

---

19 बलवन्तनामा– पृष्ठ १४, २१

20 वही–पृष्ठ–१४

21 वही–पृष्ठ–१२, १३, ६४

22 रेजीडेन्ट प्रोसीडिग्स ऐट बनारस, बस्ता न० २१, रजिस्टर न० ८ जून १७८८ ई०–पृष्ठ ५३५

23 बी०एस० कोन, 'फ्राम इण्डियन स्टेट्स टू ब्रिटिश कान्ट्रेक्ट'– दि जर्नल ऑफ एकनामिक हिस्ट्री–जिल्द २१, न०४, १९६१ पृष्ठ ६२६

24 गुलाम हुसैन खॉ– तारीख–ए–बनारस, पृ० १६ बी– १७ ए०

ईकाइयो मे विभक्त थी। बनारस के राजा की जमीदारी मे ६६ परगने थे किन्तु १७८७–८८ ई० के मध्य बनारस मण्डल ५४ परगनो मे विभाजित था।[25]

सभी श्रेणी के जमीदारियो की प्रबन्ध व्यवस्था मे जमीदार स्वय सर्वोच्च था।

जमीदार देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग था जिसको आय का स्तम्भ कहा जा सकता है। किन्तु १८वी शताब्दी मे कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प तथा व्यापार सम्बन्धी आर्थिक जीवन के क्षेत्र मे यह वर्ग आर्थिक शोषण की प्रक्रिया मे विदेशी सत्ता के साथ सझीदारी कर रहा था। यह वह समय था जब मुगल सत्ता अपने विघटन को रोकने मे असमर्थ हो रही थी और देश के विकास के लिए कुछ करने मे असमर्थ थी। ऐसी स्थिति मे विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारी वर्ग पर तथा जमीदार वर्ग पर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि उद्योग एव व्यापार की उन्नति मे जमीदारो की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कृषि की उन्नति के लिए सभी श्रेणी के जमीदार प्रयासरत रहते थे। कृषि के विस्तार से जहाँ सरकार के राजस्व मे वृद्धि होती थी वही जमीदारो को भी लाभ पहुचता था। सरकार सदैव कृषि कार्य बढाने और रैयत के प्रति विशेष ध्यान देने पर बल देती थी।[26]

---

25 बनारस इन ट्रान्जिक्शन पृष्ठ–१६–के० पी० मिश्र।

26 के० पी० मिश्र ट्राजिक्शन इन बनारस–पृष्ठ ६६ एव ओल्ढम– हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमायर–भाग–११ पृष्ठ–६२

बलवन्त सिह के शासन का उद्देश्य भूमि मालिको के अधिकार को समाप्त करना था। परगना जमीदार अथवा स्वायत्त जमीदार को समाप्त करने का भी उद्देश्य था। वह अपने निजी व्यक्तियो की उनके स्थान पर नियुक्ति करता था। इसी बीच देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक नई योजना बनाई गई। गॉव के जमीदारो को उनकी 'सीर' पर कायम रहने का आदेश हुआ। सीर अथवा निजजोत की भूमि ग्राम स्तर के खेतिहर जमीदारो की आय का मुख्य स्रोत था।[27] इस श्रेणी के समस्त छोटे जमीदार अपने 'सीर' को बढाने और उस पर उच्च कोटि की प्रणाली से खेती करने का प्रयत्न करते थे। वे कृषि कार्य मे विशेष रुचि लेते थे। गाजीपुर जनपद मे अग्रेजी बन्दोबस्त के समय जमीदारो की 'सीर' की भूमि समस्त कृषि योग्य भूमि की एक तिहाई थी। कृषि की उन्नति हेतु १८वी शताब्दी के जमीदारो का प्रयास उल्लेखनीय है। इसी सन्दर्भ मे वे कृषको और रैयतो के प्रति विशेष कृपा रखते थे। गाजीपुर परगना के सैदपुर को मिर्जा मोहम्मद ने पाच वर्ष के अनुबन्ध पर प्राप्त किया था। इस अवधि मे उसने न केवल रैयत के साथ सद्व्यवहार किया बल्कि अकाल और सूखा पडने पर उन्हे अपनी तरफ से लगान मुक्त कर दिया। इसी प्रकार जौनपुर के परगना केराकत मे स्थित मौजा मोरे एव डेहरी, १८वी शताब्दी के प्रारम्भ मे जगल था। इसे लालशाह ने बनारस के राजा मसाराम से १५/– वार्षिक राजस्व के बदले प्राप्त किया और उसे कृषि योग्य बनाया। उसने खेती का सर्वाधिक विस्तार किया और १७८६ मे इन

---

27 वी० ए० नरायन– जोनार्थन डकन एण्ड वाराणसी–पृष्ठ–५६

मौजो की सरकारी राजस्व १४०० रु० वार्षिक कर दिया।[28] कृषि के विकास मे जमीदारो ने अपना धन भी लगाया। राजा बलवन्त सिह के समय मे परगना सैदपुर मे भगवन्त राव नामक व्यक्ति ने 'ताहुद' अर्थात् अनुबन्ध के द्वारा पॉच मौजो की जमीदारी प्राप्त, की जिस पर कृषि कार्य नही होता था। उसने इन्हे आबाद करने और कृषि योग्य बनाने मे काफी धन खर्च किया। गाजीपुर के बहरियाबाद क्षेत्र के सहाय परिवार के जमीदार का भी योगदान विशिष्ट था। इन्हीं के वशज जमीदार हरी राम सहाय थे जिनके परिवार ने बाद मे स्वतन्त्रता सग्राम मे अग्रेजी सत्ता का विरोध किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे लगभग सभी राजाओ ने अपनी जमीदारी का विस्तार करने के प्रयास मे तथा कृषि के विकास मे विशेष रुचि लिया था। रैयत के प्रति राजा की विशेष कृपा होती थी। चराई, मछली मारना एव जगल की उत्पत्ति 'सीर' धारको के अधिकार मे थी। उन्हे अपने गाव के पास से गुजरने वाले अनाज एव व्यापारिक वस्तुओ पर राहदारी मिलती थी।[29]

राजा की सेवा करने वालो को विशेष छूट दी जाती थी। बलवन्त सिह ने आदेश दिया था कि रैयत से समस्त राजस्व वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व ही ले ली जाये जिससे खेती प्रारम्भ करने के पश्चात् वे लगान वसूल करने वालो द्वारा परेशान न किये जाये।

राजा चेतसिंह के समय मे यह नियम ढीला कर दिया गया था। पूर्व वर्ष का अवशेष, दूसरे वर्ष मे वसूलने का आदेश हुआ।[30] रैयत जब कृषि

---

28 ओल्ढम पूर्व उद्धृत–पृष्ठ–६४

29 वही–

30 ओल्ढम–वही–

कार्य मे व्यस्त होते थे उस समय उन्हे लगान के लिए तग किया जाता था।[31] चेतसिह और अग्रेजो के सम्बन्ध बिगड रहे थे और जब चेतसिह भाग गये तो राज्य की दशा बिगड गई।[32] इससे सनसनी फैल गई। बनारस मे रेजीडेन्ट लगान वसूली मे हस्तक्षेप नही करता था। अगले वर्षो मे आमिलो को आदेश दिया गया कि लगान मे साढे नौ प्रतिशत से सोलह प्रतिशत की वृद्धि कर दे। इसके कारण जमीन बजर होने लगी। कुॅओ की दशा खराब हो गई और कृषि कार्य ढीला पड गया।

इस अव्यवस्था और ढिलाई के परिणामस्वरूप जहूराबाद, पचोतर तथा सिकन्दरपुर के परगनो मे कृषि कार्य शिथिल पड गया और गबन होने लगा। जुलाई १७८७ मे जॉनथन डकन को ५,०००/– प्रतिमाह पर बनारस मे रेजीडेन्ट नियुक्त किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसे इस गडबडी का पता लगाकर उसमे सुधार करने के उपायो की रिपोर्ट करने का आदेश हुआ। इस समय आधी से अधिक भूमि बजर पडी थी।[33] डकन को पूर्व रेजीडेन्ट से अधिक अधिकार दिया गया। राजा से सहयोग करने को कहा गया। शासन की इच्छाओ को कार्यान्वित करने के लिए उसे अधिकार के साथ सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भी दे दिया गया।[34]

इस निर्णय से अधिक आशा न होने पर भी राजा सरकार का कृपा पात्र बनना चाहता था और सम्पूर्ण लगान वसूल करना चाहता था।

---

31 वही–

32 बोर्ड आफॅ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स– टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड आक्सन सेल इन गाजीपुर एण्ड दि बनारस प्राविन्स जिल्द ५७ पृष्ठ–१०

33 बोर्ड ऑफ रेन्यू करसपॉडेन्स– अप्रैल २६, १७८१ पृष्ठ–१८८–१८६

34 वही– जुलाई १२, १७८८ पृष्ठ–२३३

आमिलो को टेन्डर देने का आदेश दिया गया तथा बोली बोलने को प्रोत्साहित किया गया। इनके आचरण एव योग्यता पर विशेष ध्यान दिया गया। विगत पॉच वर्षो की एकत्रित राशि ४० करोड, ७१ हजार, ६३३ रु० २ आना ६ पाई थी और इस नई व्यवस्था मे औसत राशि से २ लाख अधिक थी।[35] केवल एक साहसी कार्यकर्ता मेहदी अली खॉ, जो एक पारसी था, ने डकन से कुछ शिकायत किया। किन्तु अन्य कोई शिकायत नही आई। उसकी शिकायत यह थी कि सादियाबाद और गाजीपुर के लिए राजा ने लगान से बहुत अधिक की शर्त रखी है।[36] डकन की सिफारिश पर राजा ने 'आकिलनामा' और कबूलियत' के तरीके मे परिवर्तन किया। इस नई व्यवस्था के अनुसार आमिलो को अपने क्षेत्र मे होने वाली चोरी डकैती आदि के लिए जवाबदेह होना पडता था।[37]

गाजीपुर और सादियाबाद के आमिल मेहदी अली खॉ से लगान की शेष किश्त जमा कराने को कहा गया। इसके लिए राजा के चपरासियो ने उसे तरह–तरह से परेशान किया और उसे राजा की कचहरी मे ले जाने का प्रयास किया। इन्ही प्रयासो के बीच एक दिन मेहदी अली खॉ ने सखिया खाकर आत्महत्या करने की चेष्टा किया। किन्तु रेजीडेन्ट डकन के डाक्टर ने उसे बचा लिया।

डकन प्रान्त मे एक नया व्यक्ति था और स्थानीय मामलो का उसे बिल्कुल ज्ञान नही था। किन्तु मेहदी अली खॉ द्वारा आत्महत्या के प्रयास

---

35 वही– सितम्बर १२, १७८८, पृष्ठ–१३६

36 वही–

37 वही–

से वह चिन्तित हुआ। उसने उस क्षेत्र की सम्पूर्ण, जानकारी प्राप्त करने के लिए मामलो की छानबीन कराया और सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया। तत्पश्चात उसने सादियाबाद जहॉ औसत से अधिक लगान ले लिया गया था, मे २५,०००/– की छूट दिलवाया। गाजीपुर से लिए गये अधिक लगान को भी राजा को छोडना पडा।[38]

इसी बीच एक अन्य घटना भी सामने आई। कुल्ब अली खॉ को अपने जिले से अधिक लगान लेने पर बाध्य किया गया। उसने डकन से इसके विरोध मे प्रार्थना किया। राजा ने इसका विरोध किया क्योकि इसका प्रभाव अन्य आमिल पर भी पडता। इसी समय राजा दो माह तक बीमार रहा। डकन ने कुल्ब अली खॉ के विषय मे जो ज्ञात किया उसके अनुसार वह दिवालिया था और उस पर महाजनो का कर्ज था जो वह ऋण अदायगी के लिए लेता था।[39] डकन ने मुख्य अधिकारियो से परामर्श लिया। यह पता चला की १७८६–८७ के लिए कुल्ब अली खॉ पर ३३००/– से अधिक लगान निर्धारित की गई थी।उसने इब्राहिम अली को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वह इस रकम को २५००/– निश्चित कर के मामला निपटाये। वह मान गया।[40] राजा ने तीन माह का लगान पूरे प्रान्त मे छोड दिया। कुल्ब अली खॉ ने जौनपुर के निकट अपने एक परगने के लगान मे छूट के लिए पुन प्रार्थना किया। राजा उसकी बात

---

38 वही–

39 वही– एव डा० ए० एन० सिह गाजीपुर जनपद इतिहास की दृष्टि पृष्ठ–४३

40 वही–पृष्ठ–१३८

सुनने को तैयार नही था। डकन राजा के अधिकार क्षेत्र मे बाधा नही डालना चाहता था।[41]

देश के आन्तरिक हिस्सो के दौरे के उपरान्त जब राजा लौटा तो उसने जमीदारो और अपने मध्य अनेक कठिनाइया महसूस किया। उसने लगान वसूली और सख्त कर दिया। अप्रैल १७८८ मे कुल्ब अली खॉ ने लगान देना बन्द कर दिया। राजा की प्रार्थना पर रेजीडेन्ट ने अपने सहायको के साथ कुछ सैनिक भेज कर वसूली और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया। बनारस और बलिया परगनो का हिसाब पूछा गया। सहायक रेजीडेन्ट जे० नीवा अप्रैल १७८८ तक जौनपुर रहा और उसने लगभग २ लाख रुपया लगान वसूल किया। अभी तक लगान न जमा करने का यह कारण पता चला कि महाजनो ने कुल्ब अली खॉ को जो ऋण दिया था उसी हेतु १७०८४ रु० ४ आना ले लिया।[42]

डकन ने उक्त राशि महाजनो से लौटाने के लिए कहा। महाजन और सर्राफ नाराज हो गये। इन्ही के द्वारा प्रान्त का सम्पूर्ण लगान राजा के खजाने मे जमा होता था। उन्होने यह निर्णय किया कि जब तक रेजिडेन्ट उनका पूर्व धन लौटायेगे नही तब तक वे अपना दाखिला अगली किश्त मे नही जमा करेगे। रेजीडेन्ट एक कठिन परिस्थिति मे पड गया क्योकि महाजन लगान वसूली के प्रधान व्यक्ति होते थे। किश्त धन के रूप मे न होकर दाखिला के रूप मे बदल दिया जाता था। प्रान्त के सभी

---

41 वही–

42 वही–

भागो मे लगान का परिणाम जौनपुर की ही भाति रहा। राजा और उनके नौकर अधिकाश लगान की वसूली कर लेते थे।[43]

सम्पूर्ण लगान एव दूसरे टैक्स ३८ करोड १५ हजार ३७६ रु० १२ आना ३ पाई थी। यह राशि निर्धारित से ४ लाख ७० हजार कम थी। सरकार की माग उस वर्ष के लिए ३६ करोड १ हजार ७३२ रु० ७ आना ८ पाई थी। इसमे ५०,०००/– गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित था। डकन को २ लाख ५ हजार, ६६२ रु २ आना का घाटा पूरा करना पडा।[44] यह घाटा अन्य साधनो से पूरा किया गया। यह सब कमियॉ पिछले वर्ष की वसूली से एव ८५०००/– की राशि राजा ने शिवराज दूबे से लेकर पूरा किया।[45] यद्यपि राजा का सग्रह चेतसिह के भागने के बाद से निरन्तर गिरता गया किन्तु फिर भी मुफस्सिल तथा रैयत से वसूला गया कर चेतसिह के शासन काल से एक लाख अधिक हुआ।[46] इस प्रकार का घाटा और विभिन्न साधनो से उसकी भरपाई शासन के लिए एक चेतावनी थी।[47]

डकन का विचार था कि जब तक मुफस्सिल की गडबडिया सुधारी न जायेगी और उसकी जगह कोई निश्चित नियम नही बनाया जायेगा तब

---

43 वही– सितम्बर २७, १७८८, पृष्ठ–१४३

44 वही अप्रैल–२८, १७८६, पृष्ठ–१७२–१७३

45 वही– पृष्ठ १७४– शिवलाल दूबे एक समृद्ध महाजन आमिल था। बाद मे वह जौनपुर का राजा बनाया गया। इससे पूर्व वह कुल्ब अली के फार्म के साथ सम्बद्ध था। उसने जोनपुर के आन्तरिक भागो से राजस्व वसूल करके बनारस खजाने मे जमा किया। परिश्रमिक स्वरूप उसे प्रति सौ रुपये पर बारह आना प्राप्त होता था।

46 वही–सितम्बर १२ १७८८ –पृष्ठ १४६–१४७

47 वही–पृष्ठ–१४७

तक सरकारी आय व्यवस्था असफल रहेगी। इसी सन्दर्भ मे डकन ने २५ जून १७८८ को राजस्व व्यवस्था मे सुधार व वसूली हेतु निम्नलिखित सुझाव दिया –

(१) राजा एक ही प्रकार का पट्टा सभी के लिए स्वीकृत करे। आमिल कृषको को जो उनका उचित हिस्सा नही देते थे यह व्यवस्था स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी।

(२) रुपये के अतिरिक्त अन्य सामग्री आदि के रूप मे प्राप्त होने वाले अनुमानित भाग अथवा हिस्सा के सन्दर्भ मे जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। प्रत्येक परगना के हर एक प्रकार के अन्न का मूल्य निर्धारण दोनो फसलो के लिए वर्ष मे एकबार होना चाहिए। यह कार्यवाही रेजीडेन्ट के अनुमोदन पर राजा द्वारा लिखित घोषणा द्वारा पूर्ण होना चाहिए।

(३) भविष्य मे अनाज की दर उत्पादित अन्न की गुणवत्ता के मूल्याकन के उपरान्त निर्धारित होनी चाहिए। फसल के उपज की कोई वास्तविक श्रेणी निर्धारित नही होनी चाहिए।

(४) भूमि का पट्टा करते समय विशिष्ट रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजा और रैयत को उत्पादन का प्राप्त हिस्सा समानुपात मे हो।

(५) आमिल और कानूनगो द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा होना चाहिए।

(६) भूमि का पट्टा रेडी मनी सेटलमेट के आधार पर होना चाहिए। रैयत से गैरकानूनी ढग से दिन प्रति दिन वृद्धि करके लगान की जबरदस्ती वसूली पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। १७७६–१७८० की दर को लागू किया जाना चाहिए।

(७) देश के प्रत्येक भाग मे राजा द्वारा नियुक्त अमीन सम्बन्धित परगना के कानूनगो और आमिल से परामर्श करके ही किसान को पट्टा वितरित करेगे।

(८) कानूनगो के सहायतार्थ लगाये गये अतिरिक्त कर समाप्त होने चाहिए और उनकी सहायतार्थ मात्र भूमि आवटित करना चाहिए।

(६) अमीन किसानो को कुछ बेकार पडी भूमि, किसी भी शर्त पर जैसा कि वे पसन्द करे, पुरानी खेती से जोडने के लिए प्रेरित करे। यह अतिरिक्त फसल राज की आमदनी का एक नया और अच्छा माध्यम होगा।

इस प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिच्छेद नये अतिरिक्त करो को रोकना तथा १७७६–१७८० के लगान दर को पुन लागू करना था। इस नियम के अन्तर्गत वसूली १७७६–८० की दर के अनुसार होना था। विभिन्न कानूनगो को डकन ने इस आशय का निर्देश प्रेषित किया कि वे परगना को सुनिश्चित लठ्ठे उपलब्ध कराये जो रेजीडेन्ट के कार्यालय मे जमा थे। उसने रैयतो के बीच वितरित कराने के लिए लिखित परिपत्र अग्रसारित किया।[४८]

[४८] वही–पृष्ठ–१४७–१५०

इस प्रकार एक निश्चित दर प्रति बीघा के लिए लागू करने का आदेश हुआ। आमिलो को आदेश हुआ कि वे सभी पट्टो को रजिस्टर्ड दे। देश के सभी भागो मे राजा द्वारा नियुक्त अमीन, आमिल और कानूनगो किसानो को पटट्ा वितरित करते थे। कानूनगो लोगो के भरण–पोषण के लिए जो धन टैक्स लगा कर लिया जाता था उसे समाप्त करके जमीन दिये जाने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के विपरीत डकन ने पहले ही कानूनगो को खजाने से नकद भुगतान हेतु परामर्श दिया था किन्तु उस परामर्श को न मानते हुये आमिलो द्वारा 'अबवाब' रैयतो से लेना जारी रहा। इस व्यवस्था ने कानूनगो को आमिल पर आश्रित कर दिया जो कि असवैधानिक था। उसने यह भी परामर्श दिया कि 'कानूनगो' पद पर पैतृक अथवा अनुवाशिक नियुक्ति न करके योग्यता के अनुसार नियुक्ति की जाये। उनका कार्यकाल और उसकी निरन्तरता उनके कुशल कार्य, व्यवहार और निर्धारित उत्तरदायित्व निर्वाह के अनुरूप होने पर निर्भर होनी चाहिए। यह प्रस्ताव २५ जून १७८८ को पारित किया गया जिसे गवर्नर जनरल की परिषद् ने उसी वर्ष ३ अक्टूबर को अनुमोदित कर दिया। इस प्रस्ताव को लागू करने का उद्देश्य नये टैक्सो को समाप्त करना भी था।[49]

राजा और डकन की एक सामूहिक बैठक हुई जिसमे डकन द्वारा प्रस्तावित 'पट्टा' व्यवस्था को राजा ने मानने से इनकार किया। राजा की यह दलील थी कि इस प्रकार के पट्टे से चालू वर्ष की लगान वसूली मे बाधा उत्पन्न होगी और व्यय भी अधिक होगा। डकन को राजा की यह

[49] वही–पृष्ठ–१४७–१५०

आलोचना और प्रस्तावित पट्टे के स्वरूप पर अरुचि दर्शाना उचित नही लगा। उसने यह निश्चय किया कि यदि राजा असमर्थ है तो वह स्वय लगान वसूली और पट्टा वितरण का कार्य कर लेगा।[50]

डकन ने यह वादा किया कि १०,०००/– अतिरिक्त खर्च करके अमीनो से कार्य करायेगा और इसकी स्वीकृति सरकार देगी।[51]

डकन ने लगान सम्बन्धी विवादो के निपटारो हेतु एक अदालत स्थापित करने का सुझाव दिया। यद्यपि राजा की 'मुल्की' अदालत पहले से थी किन्तु यह व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी और लगान सम्बन्धी मामलो को देखने के लिए अपर्याप्त थी। अधिकाश न्यायाधीश मुस्लिम थे जिन्हे कानून का पूरा ज्ञान नही था। इसी कारण आमिल के विरुद्ध रैयत को बहुत कम न्याय मिल पाता था। ११९६ फस्ली (१७८८–८९) मे जो अदालत थी वह रैयत, आमिल और जमीदार के मध्य उत्पन्न विवाद को ही सुनती थी और अपनी निर्णय देती थी। उनके निर्णय पर अन्तिम अपील रेजीडेन्ट की अदालत मे होती थी।

जेम्स ग्रान्ट के अर्थ सम्बन्धी रिपोर्ट की एक प्रति डकन को प्राप्त हो गई थी जो एक प्रस्तावित बयान के रूप मे थी। इसमे उसने ११८४ फस्ली के लगान का आकडा लिखा था जो ७ लाख ३७ हजार ८३१/–रु० था। डकन ने गहराई से सावधानीपूर्वक इसका निरीक्षण किया और यह पाया कि कुछ जिलों में लगान अधिक लगाई गई है। इसकी पुष्टि अवसान

---

50 वही पृष्ठ–१५५

51 वही पृष्ठ–१५६

सिह, सदानन्द तथा बनारस के दूसरे लगान अधिकारियो के द्वारा हुई।[52] मुफस्सिल के आय से पूरे वर्ष का सग्रह ४० लाख, ७१ हजार ६३३ रु० २ आना ६ पाई थी। डकन ने एक विस्तृत रिपोर्ट देश के लगान व्यवस्था के सम्बन्ध मे प्रस्तुत करके शासन से सुधार हेतु आग्रह किया। देश की व्यवस्था और उसे नियमबद्ध करने के प्रयास हेतु बोर्ड ने डकन की प्रशसा किया।[53]

डकन की सभी प्रस्तावित सिफारिशे स्वीकार कर ली गई। उसे सम्पूर्ण लगान व्यवस्था को अपने हाथ मे ले लेने का अधिकार दिया गया।[54]

डकन ने राजा को लिखा कि प्रत्येक परगने का लगान पट्टे पर लिखा जाय और उन्ही के आधार पर जमीदारी के सभी वाशिन्दो के लिए समान और सुविधाजनक लगान निश्चित की जाय। उसने राजा को यह भी आगाह किया कि वह कोई ऐसा असामी न नियुक्त करे जो उसका विरोध करें। इसी आशय का ज्ञापन प्रत्येक परगना के कानूनगो और प्रत्येक जिले के आमिल को अलग–अलग प्रेषित किया गया। इस प्रकार लगान व्यवस्था को अपने हाथ मे लेकर डकन ने व्याप्त कमियो और असमानताओ को दूर करने का प्रयास किया।[55]

---

52 वही–पृष्ठ १२५–१२६ एव पृष्ठ १३२–१३३

53 वही– अक्टूबर –३–१७८८ पृष्ठ–२३

54 वही – अक्टूबर–७, १७८८, पृष्ठ–११३–११४

55 वही पृष्ठ–१०७–११४

समझौता के पहले वाली भूमि के नाप जोख मे डकन ने कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर ठीक–ठाक पैदावार पर समझौता करने का वादा किया। समझौता से पूर्व डकन ने 'जामा' और 'अबवाब' को भी अपने समक्ष रखा और इनमे से १० प्रतिशत आमिल के लाभ और मुफस्सिल की व्यवस्था मे खर्च हेतु कम कर दिया। इन सब खर्चो से बची हुई रकम सरकार को अदा कर देते थे। तब से यह एक सामान्य नियम बन गया।[56]

११८७ फस्ली के बाद लगाये गये सभी टैक्स को डकन ने बन्द कर दिया। टैक्स की इस समाप्ति के बाद बनारस मे मात्र एक ही प्रकार की राजस्व व्यवस्था–भूमि लगान व माल सम्बन्धी रह गया। डकन ने किसी अन्य प्रकार का टैक्स लगाना न तो उचित समझा और न ही आवश्यक।[57] फलत सारे भ्रष्टाचार और अनियमितताओ के मार्ग बन्द हो गये।

अब डकन का घ्यान, आमिलो के किशतवारी की ओर आकृष्ट हुआ। बलवन्त सिह के शासन काल मे लगान वसूली अश्विन मास से जेठ मास तक होता था। अगले तीन महीनो मे किसान कृषि कार्य के लिए अपने खेतो की जुताई करते थे। सदर किशत बन्दी दस माह बढाकर अषाढ तक कर दी गई। चेतसिह के समय मे यह कार्य पूरे वर्ष चलता था। डकन ने यह अनुभव किया कि बलवन्त सिंह के शासन काल मे लागू नियम अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद थे। अत उसने वही पहली किशत खरीफ फसल की और दूसरी किशत रबी फसल की पुन लागू कर दिया।[58]

---

56 वही–अप्रैल–२८, १७८६, पृष्ठ–१८१

57 वही–पृष्ठ–१८३

58 वही पृष्ठ –१८३–१८४

इन नियमो का परिणाम यह निकला कि सभी परगनो को एक साल का पट्टा देने से ३ करोड ५२ लाख, ८ हजार, ६३३ रु०, १३ आना का और खराब भूमि को पॉच वर्ष का पट्टा देने पर ३ करोड, ६० लाख, १ हजार, ८६३ रु० १४ आना ६ पाई की रकम प्राप्त होगी।

बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर डकन को यह विश्वास हो गया कि परगना को इस प्रकार निर्धन बना देने से और बराबर परिवर्तन करते रहने से इसमे कभी सुधार नही हो सकता।[59]

राजा की सहमति से डकन ने कुछ पिछडे और निर्धन जिलो, को ५ वर्ष का पट्टा और जो पिछडे नही थे उन्हे एक वर्ष का पट्टा दिया।[60] यह समझौता १३ दिसम्बर १७८८ से आरम्भ किया गया। आमिलो के लिए लगान वसूली का नया फार्म बनाया गया जिनमे ये शर्ते लगा दी गई कि–

(१) वे २५ जून, १७८८ के नियमानुसार पट्टे के आधार पर ही कार्य करे और कानूनगो द्वारा गॉव के लिए निर्धारित किराया के अनुसार ही एकत्रित करे।

(२) वे भूमि के नाप जोख के लिए एक प्रमाणित लट्ठे का ही प्रयोग करे जो रेजीडेन्ट द्वारा सम्पूर्ण प्रान्त के लिए निर्धारित है। इस लट्ठे की लम्बाई ५६ गज होनी चाहिए। बनारस का प्रमाणित एक बीघा अग्रेजी के एक एकड भूमि के ६४६ के बराबर होता था।

---

59 वही–पृष्ठ–१८४–१६१

60 वही–

(३) यह आदेश दिया गया कि जो टैक्स समाप्त कर दिये गये है उनकी पुन माग न की जाये।

(४) परगना के कानूनगो और काजी की रिपोर्ट के साथ चोरी, डकैती, हत्या, राहजनी आदि के अपराधियो को अदालत मे पेश करने का भी आदेश हुआ।

(५) यदि किसी प्रकार की जायदाद सम्बन्धी चोरी आदि का मामला पता करने मे और उसकी भरपाई कराने मे वे असमर्थ रहे तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर होगा।[61]

१३ दिसम्बर १७८८ से माह के अन्त तक अपने अनुमानित राजस्व का ब्यौरा लेकर बनारस के रेजीडेन्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश प्रान्त के प्रत्येक कानूनगो को दिया गया। प्राय कूननगो द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण का आवश्यक निरीक्षण और विचार करने के बाद स्वीकार करके किश्त निर्धारित कर दी जाती थी। किन्तु कोल्सला और डारुमाही परगना के राजस्व वसूली पर रेजीडेन्ट ने आवश्यक हस्तक्षेप किया। ऐसा इसलिए करना पडा कि कानूनगो और आमिल पूर्व रेजीडेन्ट फ्रासिस फोक द्वारा हस्ताक्षरित और निर्धारित लगान से कम लगान निरन्तर देते आ रहे थे। इस तरह के सभी प्रकरण से होने वाली हॉनि की धनराशि का रेजीडेन्ट ने विवरण तैयार करके सरकार को प्रेषित किया। शासन की स्वीकृति से डकन ने इस तरह के सभी देनदारो से सम्पूर्ण 'जामा' की आदायगी हेतु समझौता किया।

---

61 वही पृष्ठ–१८५–१८६

डकन ने सभी पक्षो को समझा और उसने पूरी तरह यह अनुभव किया कि प्रान्तो के पास आमदनी के जो स्रोत है वे राजस्व और अन्य खर्चों की तुलना मे कम है। अत उसने राजा से खर्चा सीमित करने का निवेदन किया। इसके लिए सदर कचहरी और उसकी व्यवस्था पर होने वाले खर्च को कम किया गया। ४७ घुडसवार २८७ चपरासी, ७५ हरकारो के स्थान पर १० घुडसवार ६० चपरासी और ४० हरकारो, को ही रखा गया। यद्यपि डकन की इस कार्यवाही से राजा को भावनात्मक दु ख पहुचा किन्तु डकन ने १३, ५३२/— की बचत सुरक्षित कर लिया।[62]

ईमानदारी, निष्ठा, आर्थिक स्थिरता आमिल के साथ किसी भी समझौते का मुख्य आधार था। ऐसे ही दो आमिल शिवलाल दूबे और शकर पडित थे। शिवलाल दूबे के साथ भूइली परगना के लिए एक वर्ष तथा जौनपुर और उसके आश्रित परगना के लिए पॉच वर्ष का समझौता हुआ। सिकन्दरपुर परगना शकर पडित को दिया गया। यह एक विस्तृत किन्तु क्षतिग्रस्त भू—भाग था।[63]

१७८८—८९ के मध्य डकन ने ३८ आमिलो से पॉच वर्ष का तथा २८ आमिलो से एक वर्ष का समझौता किया। समझौते की राशि पूरी तरह उनपर छोड दी गई और वास्तविक सचित धनराशि ८२३६/— प्राप्त हुई जो पूर्व आशा से अधिक थी। प्रान्त की चुगी जो लगभग चार लाख रुपये थी उसे सम्मिलित नही किया गया। इसे जोडने के बाद भी कुल धनराशि

---

62 वही पृष्ठ—१८८—१८९

63 वही पृष्ठ—१९२—१९४

वारेन हैस्टिंग्स द्वारा निश्चित धन से १ लाख कम थी।[64] इन वर्षों मे राजा राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नही था अत विगत वर्षो उसकी जागीर की भूमि से हुई कमी के लिए उससे नही पूछा जा सकता था। डकन ने जमीदारो, मुस्लिम पेशनर्स को दिये जा रहे भत्ते मे कटौती करके आमदनी बढाने का सुझाव दिया किन्तु इस तरह के कार्य से सरकार अपने प्रति जनता की आस्था को कम नही करना चाहती थी।[65] डंकन का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। डकन को उन्होने बार–बार बनारस मण्डल मे ऐसे कार्य के लिए मना किया। यह तर्क भी रखा गया कि समझौता स्थाई है जबकि हॉनि अस्थायी। रैयत की सुविधा पर ध्यान देने के लिए जामा को कम करने मे ब्रिटिश शासन को विशेष रुचि थी।

बोर्ड ने देश की सुख और शान्ति के परिपेक्ष मे समझौते का लाभप्रद प्रभाव देखा। उसे ज्ञात हुआ कि २५ जून १७८८ के नियम की गणना इसी आशय से की गई थी। आमिलो के लिए ११८६ फस्ली से एक पथ प्रदर्शक का कार्य प्रारम्भ हुआ। १४ जून १७८६के आदेशानुसार आन्तरिक व्यवस्था दूसरे वर्ष के पट्टे की शर्त पर पॉच वर्ष के लिए किया गया।

आमिल जमीदारों या पैतृक भूमि मालिको को गॉव एव जमीन देते थे। जमीदार ने कानूनगो को 'डोल' देने से मना कर दिया।[66]

---

64 वही पृष्ठ– २१०–२११

65 वही जून १७, १७८६– पृष्ठ–३६६

66 वही पृष्ठ ३६४–३६५

राजा महीप नारायण सिह इस आदेश से सहमत थे क्योकि उन्होने सोचा कि जमीदारो को स्थायीरूप से नही बल्कि सालाना कृषको के नाम से कई गॉवो को लगान पर देने से लाभ है। ये जमीदार परगना के आश्रित थे। वे खजाने मे धन जमा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी दशा दयनीय हो गयी किन्तु इतना निश्चित था कि कुछ समय के बाद वे गॉव के स्थायी लगान देने वाले बन जायेगे।[67]

डकन के बनारस प्रान्त मे बिहार प्रान्त की तरह दस वर्ष मे एक बार समझौता करने का आदेश हुआ। इससे लोगो को निरन्तर अपने श्रम मे आनन्द और शान्ति का अनुभव होगा।[68] लगान रबी की फसल के आने के पहले ही निश्चित की जाती थी। जमीदारो और किसानो के बीच एक वर्ष की कबूलियत होने लगी। जब आमिलो को यह ज्ञात होता था कि छोटे किसान लगान नही दे सकते तो वे भूमि निश्चित लगान प्राप्त करने के हेतु दूसरे किसानो को उनसे वापस लेकर दे देते थे। इससे छोटे किसानो मे निराशा व्याप्त हुई।[69] बोर्ड ने इस आदेश की एक प्रति डकन के पास भेज दिया। उससे अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार से बिहार प्रान्त की भाति बनारस मे भी स्थाई समझौते के लिए आग्रह करने को कहा गया। डकन से इस योजना हेतु राजा को बाध्य करने के लिए कहा गया। डकन ने राजा को भली–भाति समझाया कि यह स्थाई समझौता देश और राजा दोनो के लिए लाभप्रद है।[70]

---

67 वही पृष्ठ–३२०–३२७ (जून १४, १७८७)

68 वही जून–१७, १७८६, पृष्ठ–४०७

69 वही पृष्ठ–४०८

70 वही अक्टूबर–२१, १७८६ पृष्ठ–४२३ (६ जुलाई १७८६ के पत्र के एक सलग्नक से उद्धृत)।

राजा की सहमति से डकन ने दसवर्षीय नियम उन जिलो मे लागू करने का निश्चय किया जो पॉच वर्षीय पट्टे के अन्तर्गत नही थे। इस कार्य के लिए अति विश्विसनीय आमील नियुक्त किये गये।[71]

एक स्थाई अमीन भी रखा गया जिसे यह आदेश दिया गया कि–

(१) यदि गॉव के तीन चौथाई भाग मे कृषि होती है तो उसमे दस वर्ष तक लगान एक समान रहेगा और कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(२) यदि भूमि इसी क्षेत्रफल मे बजर पडी है तो समझौता पॉच या छ वर्ष के लिए किया जायेगा।

(३) स्प्रिट की दूकान तथा जूलाहो आदि जिनके कार्य अभी शुरू हुये है उन्हे जमीदारो द्वारा स्वीकृत पट्टे से अलग ही रखा जाय।

(४) जो जमीदार उचित लगान जमा करने को राजी न हो उनसे गॉव लेकर दूसरे जमीदार को दे दिया जाय और ऐसे जमीदारो की जीविका के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध कराया जाय।

(५) स्त्रियो और नाबालिगो के गॉवो को लेकर उनके परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र को दे दिया जाय और उनके लिए १० प्रतिशत भत्ता मजूर कर दिया जाय।

कानूनगो के पास एक विज्ञापन इस आशय का भेजा गया कि वे नगदी भूमि का लगान चौधरी काजी और परगना के किसी मुखिया के

---

71 वही पृष्ठ–४१६ एव वही– पृष्ठ ४१०–४११ (२७ जुलाई १७८६ के एक सलग्नक से उद्धृत)।

समक्ष ११९६ फस्ली के समझौते के आधार पर निश्चित करे। नकदी और 'मुशखासी' भूमि का लगान रैयत पूरे वर्ष भर बिना किसी अबवाब के जमा करे। बटाई भूमि के लिए लट्ठे की लम्बाई निश्चित कर दी गई।[72] देश के विभिन्न भागो मे लट्ठे की लम्बाई बराबर न होने से नाप मे कठिनाई उत्पन्न हुई। आमिलो के सहायक बीघा का नाप करते समय रस्सी के दोनो छोरों पर गाठ लगा देते थे जिसके कारण बीघे की लम्बाई कम होती जाती थी।[73] पूरे प्रान्त मे बीघा तीन श्रेणियो मे बटा था–

(१) डकन द्वारा निश्चित ५६ वर्गगज का

(२) मूलस्थानीय परगना बीघा

(३) स्थानीय बीघा जो गॉठ लगा कर छोटा कर दिया गया था।[74]

डकन ने विभिन्न कठिनाईयो और धूर्तता आदि से बचने के लिए १०८७ फस्ली मे प्रचलित प्रमाणिक बीघा प्रणाली लागू किया और इसे कार्यान्वित करने का आदेश दिया। कानूनगो के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए डकन ने धूस परगना मे ८००० बीघा और जौनपुर की सीमा पर ५००० बीघा बेकार पडी भूमि को कृषि कार्य मे उपयोग करने का आदेश दिया।[75] २५ जून १७८८ के आदेश के आधार पर डकन ने ११८६ फस्ली पट्टो मे कुछ नयी धाराए जोड दीं। अब डकन का ध्यान चार वर्षीय पट्टो को दस

---

72 वही–जुलाई १७८६ पृष्ठ ८–६

73 वही पृष्ठ–६

74 ओल्ढम्–पूर्व उद्धृत पृष्ठ–१३१–१३२

75 बोर्ड आफ रेवन्यू करसपान्डेन्स अक्टूबर २१, १७८६ पृष्ठ ३३६–३४१

वर्षीय पट्टो मे बदलने से पूर्व भूमि पर कर लगाने की ओर आकर्षित हुआ।

प्रत्येक परगना के मुफस्सिल कानूनगो को वर्तमान भूमालिको के लिए दस या चार वर्ष के औसत पर कर निर्धारित करने तथा दस वर्ष का हिसाब चुकाने का आदेश हुआ। उनसे घोषणा पत्र पर शपथपूर्वक हस्ताक्षर कराया जाता था‡ जिसमे यह लिखा होता था कि उन्होने पट्टे मे कोई तथ्य छुपाया नही है और न ही कोई गलत बयान दिया है। उन्हे २५ जून १७८८ के नियमो के अनुसार लगान वसूलने का आदेश दिया गया।[76]

आमिलो को भी अपनी ईमानदारी पूर्ण कार्य के लिए शपथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पडता था। उन्हे भी २५ जून १७८८ के नियमानुसार लगान वसूलने का आदेश दिया गया। बटाई लगान वाली भूमि भी उसी लट्ठे से नापी जाती थी और उनकी पैदावार का निर्णय पचो या कानूनगो के द्वारा 'कुनकूट' के आधार होता था जिसका विभाजन बडे ही न्यायिक ढग से होता था।

जनवरी फरवरी माह मे खरीफ के अन्न का मूल्य निर्धारित होता था और रबी के फसल का मई जून मे। कूननगो को शपथ लेनी पडती थी कि वे अब्रवाब के साथ रैयत से सही–सही लगान वसूल करेगे और नाप जोख मे किसी अन्य लट्ठे का प्रयोग नही करेगे।[77]

---

76 वही–अक्टूबर २ १७८६, पृष्ठ १५३–१५४

77 वही– नवम्बर २७, १७८६ पृष्ठ ३६६–३८४

२२ अक्टूबर १७८६ मे डकन गवर्नर जनरल से मुफस्सिल के एक मुख्य विषय पर परामर्श के लिए कलकत्ता गया हुआ था। वहॉ से लौटने के तुरन्त बाद ६ नवम्बर १७८६ को राजा से स्वीकृति प्राप्त करके उसने पूरे प्रान्त का दौरा किया। जाढ़ूपुर मे आवश्यकता से बहुत कम जमीदार थे। बनारस मे ५००० गाव थे जिनमे लगभग ३००० के पास लगल–अलग जिलो मे जमीन थी। शेष जमीदारो को बलवन्त सिह ने अपने शासनकाल मे निकाल दिया था। यह कार्य २१ मई १७७५ मे बनारस राज्य कम्पनी को सौपने से पूर्व किया था।[78] डकन द्वारा दौरा करने का उद्देश्य मुफस्सिल मे दस वर्षीय समझौते का निरीक्षण करना, दरो मे सशोधन करना और आमिल तथा कानूनगो के द्वारा प्रस्तावित समझौतो तथा अन्य त्रुटियो मे सशोधन तथा सुधार करना था।

जिन गावो मे कृषि कार्य के बिना अधिकाश भूमि बेकार पडी थी वहा पर धीरे–धीरे लगान मे उचित बढोत्तरी की गई जिससे लगान देने वाले इस भूमि पर कृषि कार्य प्रारम्भ कर दे और उन्हे कुछ लाभ प्राप्त हो।[79]

आगे की धारा के अनुसार शराब आदि के दूकानदारो तथा जुलाहो के ऊपर आमिलो द्वारा कर वसूली मे से जो आबकारी की सज्ञा के अन्तर्गत आते थे उनमे से 'घुरदेवारी' तथा 'खरगुई' से पृथक कर दिया जाता था जो रैयत से लिया जाता था।

---

78 वही नवम्बर २५, १७८६ पृष्ठ ३६६–३८४

79 वही पृष्ठ १४६–१५२

भू-राजस्व व्यवस्था
भाग (२)

भू-राजस्व व्यवस्था (भाग-२)

राजस्व वसूलने वालो को १७८७ की दर के अन्तर्गत अपने एकत्रित किये हुए राशि को सीमित करना था। उन्हे नये और पुराने लट्ठे के अन्तर को प्रत्येक पट्टे मे दर्ज करना पडता था। वसीयतनामे मे भी लगान वसूली के नियम दर्ज होते थे। लगान चुकाने वाले किसान या जमीदार ११६५ फसली तक परती पडी जमीन पर कृषि नही कर सकते थे। जमीदार अपने सीमाक्षेत्र मे यात्रियो तथा व्यापारियो की चोरी डकैती आदि के लिए उत्तरदायी होते थे। यदि वे चोरी या डकैती मे लूटी गई सम्पत्ति का पता नही लगा पाते थे तो उन्ही को उनका मूल्य अदा करना पडता था।[1]

सभी गाव और परगना मे सही लगान निर्धारण की ओर डकन ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। प्रत्येक जिले का नाम, जमीदारो और नदियो की सख्या, व्यापार और कारखानो मे उत्पादित वस्तुओ की मात्रा की जानकारी प्राप्त किया। प्रत्येक परगना मे समझौते का हिसाब–किताब ठीक हो जाने के बाद उनमे अगले छ वर्षो के लिए चार वर्षीय पट्टा स्थायी कर दिये जाने का आदेश हुआ।[2]

जब तक पट्टा मालिक पट्टे मे दर्ज निर्धारित लगान चुकाते रहते थे तब तक उनसे कोई अन्य राशि वसूल नही की जाती थी। इस प्रकार

1 बोड ऑफ रेवन्यू करसापान्डेन्स, नवम्बर २५, १७८० पृष्ठ १५२–१५४

2 वही–पृष्ठ १५५–१५८

समझौता पूरे बनारस प्रान्त मे कर लिया गया[3] जिसके कारण १७८६–९० की सम्पूर्ण राशि जो८५ हजार रु० से अधिक थी वसूल हो गयी। १७७२ मे लार्ड कार्नवालिस ने डकन को मालाबार (जिसे टीपू सुल्तान ने छोड दिया था) कमिश्नर बना कर भेजा। डकन के चले जाने से बनारस प्रान्त मे स्थायी समझौता करने मे विलम्ब हो रहा था क्योकि कार्नवालिस इसे डकन की अनुपस्थिति मे नही करना चाहता था। पीट्रियेस ने लगभग डेढ वर्ष तक डकन के पद पर कार्यकिया। लर्डकार्नवालिस के बाद सर जॉनशोर आये और उन्होने बनारस मे अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। इस हेतु राजा बनारस की स्वीकृति बडी मुश्किल से प्राप्त हुई।[4]

डकन प्राचीन समझौते मे व्याप्त कुछ त्रुटि को समाप्त करना चाहता था। ४७०० पट्टो मे से ७०० पट्टो का समय समाप्त हो चुका था। उनके प्रभावहीन हो जाने से उन्होने उसे छोड दिया।[5] वह न्यायविरुद्ध तलबाना की माग को सीमित करन की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहा था। अपने आमिलो के लिए एक दण्ड विधान इस आशय से बनाना चाहता था कि कानूनगो से बिना प्रमाणित कराये तलबाचिट्ठी किसी को न दी जाय। इसके लिए उन्हे एक रजिस्टर रखना पडता था जिसमे तलबाना की राशि एव दर दर्ज करना पडता था और उसे वर्ष के अन्त मे मुल्की खजाना मे जमा करना पडता था।[6]

---

3 वही फरवरी ११, १७६१ पृष्ठ ३२१

4 ओल्ढम–पूर्व उद्धृत पृष्ठ–१६८

5 बोर्ड ऑफ रेवन्यू कररापान्डेन्स जुलाई २२ १७६४ पृष्ठ ३७८

6 वही पृष्ठ–३८१

डकन ने यह बात राजा की जानकारी मे रखी कि सग्रह की अतिरिक्त राशि लगातार उसी को मिले जिसका एक अश हिन्दू कालेज की रक्षा के लिए सडक, पुल बनवाने एव जमीदारी की प्रजा की उन्नति के लिए, न्यायालय सस्थापन के लिए निकाल कर शेष राशि राजा को दे दी जाये।[7]

अब डकन मुफस्सिल के सुधार मे व्यस्त हो गया। बोर्ड ने कुछ पत्र डकन के विचार के लिए भेजे। वह राजा को इस बात से अवगत कराना चाहता था कि वह उसके अधिकारियो के हिसाब के नकल की एक प्रति अपने पास रखे। पट्टो पर राजा का हस्ताक्षर पूर्ववत् होता रहे।[8]

चूँकि इस प्रणाली का यह अभी प्रारम्भ ही था अत बोर्ड ने सोचा कि सभी व्यवहारिक मामलो मे भूमि मालिक और किसानो का भूमि लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया जाय। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारो की रक्षा करना था। कृषिकार्य से लगे लोगो पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के वह पक्ष मे था। बोर्ड की सिफारिश यह थी कि समझौता उन्ही के साथ हो जो अधिकार सम्पन्न और कबूलियत हो। अयोग्य और दुराचारी जमीदारो के समझौतो को रेजीडेन्ट समाप्त करके भूमि किसी दूसरे को देने के पक्ष मे था। पट्टेदारो को व्यवसाय मे आने वाली कठिनाई से बचाने के लिए उन्हे एक मैनेजर रखने को कहा गया किन्तु डकन के विचार से यह उचित नही था। वह प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा देना चाहता था। जिन जिलो मे स्थायी जमीदार नही थे वहाँ गाव

7 वही—सितम्बर १६, १७६४ पृष्ठ ११०—१११

8 वही—

के प्रधान व्यक्ति के साथ स्थायी सकझौता करने का सुझाव वोर्ड ने दिया और उसका लगान भी निर्धारित कर दिया।[9]

इस सिद्धान्त के आधार पर लगान सीधे बनारस के सरकारी खजाने मे जमा होता था। बोर्ड ने सोचा कि कलेक्टरो को निर्धारित लगान वसूलने का समय भी निर्धारित हो।[10] उन्हे न्यायिक अधिकार से वचित रखा गया। बोर्ड का विचार था कि जो कलेक्टर नियत लगान की राशि से अधिक की माग करते थे उन्हे दण्डित किया जाय। आमिलो को तहसीलदार या स्थानीय कलेक्टर की सज्ञा दी गयी। उन्हे दीवानी के सभी मामलो जो व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए या १००/– से अधिक के होते थे निपटारा करने का अधिकार दिया गया।[11] बोर्ड ने कानूनगो के पद को उसी भत्ते पर स्थानीय रजिस्ट्रार के पद मे बदल देने का विचार किया तथा उन्हे कलेक्टर के सस्थापन के अग के रूप मे माना। चूँकि पैदावार मे लगातार हेर फेर होता रहता था अत यह उचित समझा गया कि कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जाये जो लगान वसूलने वाले अधिकारी को समय–समय पर पैदावार सम्बन्धी सूचना देते रहे। भूमि और जामा का हिसाब रखने वाले को पटवारी कहा गया।[12]

डकन ने बोर्ड को अपनी टिप्पणी के साथ इन आदेशो के आधार पर कुछ नियम बना कर भेज दिये। उसने १३ अक्टूबर १७८४ को प्रान्त का अतिरिक्त लगान जो लगभग १,४०,०००/– था सडको की मरम्मत पुलो के

---

9 वही–पृष्ठ ११५–११६

10 वही पृष्ठ–११७–११६

11 वही पृष्ठ १२०–१२७

12 वही पृष्ठ–१३४

निर्माण तथा जनता पर व्यय के लिए राजा को देने का सुझाव दिया।[13] इस सुझाव का आशय राजा द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त माग को कम करना था। राजा की आय मे बढोत्तरी देश के लिए क्षति बताया गया क्योकि जनता को लाभ पहुचाना अधिक आवश्यक था।[14] डकन ने यह भी सुझाव दिया कि भूमि का हस्तान्तरण आवश्यक नही है। जो लोग मौसम की खराबी या अन्य किसी कारण से लगान नही देते उन्हे कलेक्टर दण्डित कर सकता है।[15] बोर्ड ने डकन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। यह नियम धारा २, १७६५ के अन्तर्गत स्थायी कर दिया गया।[16]

उसने भूमि की नाप करवायी और ११८७ फसली की दर के अनुसार लगान निर्धारित कर दिया गया। रैयत की शिकायत का आमिलो द्वारा समाधान करवाया। जब स्थायी समझौते की अधिक शिकायते आने लगी तो डकन ने यह अनुभव किया कि उसके जाने के बाद उसके स्थान पर आने वाले अधिकारी को किसानो को दिये गये सुरक्षा पर कम प्रभाव पडेगा। पट्टो मे लगान की दर बदल देने से अनेक झगडे खडे हो गये। किन्तु जहॉ भूमि मालिक ओर किसान सन्तुष्ट और सहमत थे वहॉ १७६४ की धारा ४ नियम पारित किया गया।[17]

जहॉ कोई विवाद या शिकायत नही थी वहॉ पट्टा देना उतना आवश्यक नही था। यदि कही अमीन लोग लगान की दर निर्धारित करने

13 वही पृष्ठ- १२५

14 वही अक्टूबर –१३ १७६४ पृष्ठ--२२६

15 वही अक्टूबर– २०,१७६४, पृष्ठ–२२७

16 बगाल रेग्यूलेशन , प्रथम, पृष्ठ २०६

17 वही मार्च १८, १७६५ पृष्ठ १०५–१०६

मे पक्षपात करते थे सरकार उन्हे वहाँ से हटा देती थी।[18] जमीदार और ताल्लुकेदार की स्थिति इससे भिन्न थी। जमीदारो को अपनी सम्पत्ति बेचने का अधिकार था बशर्ते वे ताल्लुकेदार को निरन्तर जामा की राशि अदा करते रहे।

उन स्थानो मे जहाँ पैतृक जमीदार या ताल्लुकेदार नही थे उस स्थान को लगान वसूलने के लिए आमिलो को पट्टे पर दे दिया जाता था।[19] ऐसे आमिलो की स्थिति प्रत्येक वर्ष राजा की कृपा पर निर्भर होती थी। १७९५ की धारा २, अनुभाग १५ के समझौते से उनकी स्थिति मे कुछ स्थायित्व आया।[20] बनारस मे किया गया समझौता बगाल के समझौते से भिन्न था। बनारस मे भूमि की पैमाइश हुई किन्तु बगाल मे नही हुई। इससे कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। सर जॉन शोर और लार्ड कार्नवालिस जमीदारो को भूमि का मालिक समझते थे। किन्तु हेस्टिंग्स और ग्रान्ट उन्हे लगान वसूलने वाला ही समझते थे। यह पिछली धारणा भारतीय परम्परा से मिलती जुलती थी। इस प्रकार भूमि पर जमीदारो का पैतृक अधिकार नही था। बनारस का समझौता एक प्रकार का सुधार था जिसमे सही भूमि मालिक को स्थायी अधिकार प्रदान किया गया।

---

18 वही जून २६, १७९५ पृष्ठ–२२६–२६७

19 बगाल रेग्यूलेशन–भाग–प्रथम, पृष्ठ २१३–२१४

20. वही पृष्ठ – २२५

समझौते के दोष

बनारस का समझौता जिसे डकन ने बडी ही बुद्धिमानी, योग्यता और उदारता के साथ किया था उसमे कुछ वडे दोष भी थे।[21] जैसे –

(१) जमीदारो मे आन्तरिक कलह होने लगा जिससे बकाया लगान की वसूली मे बाधा पडी।

(२) राज्य का समझौता नाप जोख पर आधारित नही था।

(३) राज्य के बीच मे सीमाए नही बनायी गयीं।

(४) भिन्न–भिन्न सम्मिलित भूमि मालिको के हिस्से की रकम निश्चित करने एव दर्ज करने की नीति नही अपनायी गयी।

(५) नियुक्त किये गये नम्बरदार जमीदारो के सही व्यक्ति नही थे।

(६) महाल बडे–बडे बनाये गये थे।

डकन की इच्छा थी कि प्रान्त मे पैमाइश करवायी जाय किन्तु पुन विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि पहले करायी गयी नाप–जोख अधिक समय बीत जाने पर अव्यवहारिक हो जायेगी। उसने उसके स्थान पर 'डोल' का प्रयोग किया।[22] जमीदार पुन पैमाइश के लिए प्रार्थनापत्र देते थे किन्तु उनकी माग स्वीकार नही की जाती थी। मार्च १७९१ के डकन के रेकार्ड से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बिना नाप जोख के समझौतो को

---

21 टेनैन्ट्स राइटस एण्ड ऑक्शन रोल्स इन गाजीपुर एण्ड राइट्स बनारस प्राविन्स (बी० आर० सी, जिल्द ६५ पृष्ठ २१)।

22 बोर्ड ऑफ रेवन्यू करसपॉन्डेन्स अप्रैल २६, १७८६ पृष्ठ १८१

स्थायी बनाने मे अधिक बाधा उत्पन्न होती है।[23] कुछ राज्यो को छोडकर (जहॉ कुछ विशेष कार्य हुआ) न तो सीमा निर्धारित हुयी और न ही कोई निशान बनाया गया था। व्यर्थ भूमि के किनारे–किनारे जगल थे। सीमा के लिए निरन्तर लडाई झगडे होते रहते थे जिसके कारण लगान की अदायगी मे बाधा पडती थी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास उनके हिस्से से अधिक भूमि थी वे उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे।[24]

डंकन के इस कार्य से यह सही–सही ज्ञात नही हो पाता कि विवाद का निपटारा पैतृक अधिकार को ही मान कर किया गया अथवा नही। इनके लिए कोई निश्चित नियम नही था। सुधार का कोई विधान नही था। पारिवारिक या व्यक्तिगत हिस्से की राशि न कही दर्ज थी और न निश्चित। बराबरी के भागीदारो को अपने झगडो का स्वय निपटारा करने का आदेश प्रदान किया गया। चूॅकि नम्बरदार जमीदार के उचित प्रतिनिधि नही थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी डकन पर ही थी। कुछ को छोडकर शेष १७६० से १७६४ के मध्य के सभी पट्टो को स्वीकार कर लिया गया।[25] स्थायी समझौते को अधिकाश मामलो मे सफल बनाने मे सरकार असमर्थ थी। डकन बडे महाल को उचित समझता था किन्तु जितने छोटे महाल होते थे प्रशासन कार्य उतना ही सरलता पूर्वक होता था।[26] बडे–बडे महाल की स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि गाजीपुर मे किसी किसी महाल मे २०,००० एकड से अधिक की भूमि थी जिसका लगान

---

23 टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड आक्शन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दी बनारस प्राविन्स (बी० आर० सी–जिल्द ४५, पृष्ठ–२२)।

24 वही –

25 वही पृष्ठ- २२ २३

26 वही –

२५०००/– था और इनमे जमीदारो की सख्या कई हजार मे थी। उन्हे नीलाम किया जा सकता था। भाग्यवश अनेक मामलो मे बनारस की प्रान्तीय अदालत मे इनके विक्रय को निरस्त कर दिया गया तथा कुछ मामलो मे सरकार ने नीलामी मे दिये गये राज्य को पुन वापस ले लिया। उनके लिए सही और नये भूमि मालिको से समझौता कर लिया गया।

अगर ऐसा न होता तो समझौता बिल्कुल असम्भव हो जाता। उक्त दोषो के होते हुये भी निसन्देह यह एक उत्तम समझौता था। १८४० मे समझौता अधिकारियो द्वारा प्रान्त के प्रत्येक गाव का निरीक्षण, योग्य योरोपियनो द्वारा भूमि की पुन पैमाइश तथा प्रशिक्षित भारतीयो द्वारा गावो का आन्तरिक बटवारा वास्तव मे आश्चर्यजनक कार्य थे।[27]

स्थायी समझौते का लाभ

विभिन्न पहलुओ को देखते हुए यह कहना अनुचित नही होगा कि डकन द्वारा किया गया समझौता विशेषरूप से श्रेष्ठ था। इससे कम्पनी को लगान स्वरूप प्राप्त होने वाली एक बडी राशि मे सुधार हुआ इससे शासनशक्ति दृढ हुई। इसके कार्यान्वित होने से भूमि मालिको को लाभ हुआ और वे अब राजा के कष्टप्रद शासन को भूल गये।

जमींदारो को सरकारी खजाने मे निर्धारित राशि जमा करनी पडती थी जिसे वे वैध अथवा अवैध रूप से जैसा चाहते थे कृषको से वसूल करते थे। रकम की निश्चित सीमा का प्राय उल्लघन करते थे। इसी सन्दर्भ मे

---

27 ओल्डम – पूर्व उद्धृत–पृष्ठ १७५

प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि १६वी शताब्दी के अन्तिम चरण तक कृषक अपने उचित लगान का तीस गुना राशि देने लगे थे।[28]

स्थायी समझौते से हॉनि

कम्पनी की माग लगान के लिए स्थायी रूप से निश्चित की गयी जिसे अन्य क्षेत्रो की भाति सरलता से परिवर्तित नही किया जा सकता था। बनारस मे अनेक लोगो की साझीदारी मे कई राज्य थे जिनमे से मात्र दो या तीन लोगो को ही स्वतन्त्रतापूर्वक लगान वसूल करने के लिए चुना जाता था। पट्टे भी उन्ही को मिलते थे। उन्ही का नाम भी मालिक के रूप मे दर्ज किया जाता था। जहॉ उनका प्रबन्ध व्यवस्थित था वहॉ किसी प्रकार की हॉनि नही थी किन्तु जहॉ उनका प्रबन्ध ठीक नही था वहॉ दूसरे साझीदारो के गावो की सम्पत्ति बकाया लगान की सुरक्षा के लिए नीलाम कर दी जाती थी।

इस समझौते के अनुसार छोटे साझीदारो के मालिकाना की सुरक्षा नीलाम के पश्चात् पूर्णत समाप्त हो जाती थी। स्थायी समझौता शासको के लिए बढी हुई भूमि कर को सग्रह करने मे बाधक हुयी। लार्ड कार्नवालिस जितना भी अर्जित हो सकता था उसके लिए प्रयासरत था।

लार्ड विलियम बेन्टिक भारत मे एक उदार गवर्नर जनरल के रूप मे जाना जाता था। उसने गवर्नर जनरल की हैसियत से ८ नवम्बर १८२६

---

28 आर० के० मुखर्जी लैण्ड प्राबलम्स इन इण्डिया--पृष्ठ ३०५

को यह लिखा था कि "यदि विद्रोह के हलचल का निरीक्षण किया जाय तो मै यह कह सकता हू कि यद्यपि स्थायी समझौते की अनेक बातो मे सरकार असफल रही किन्तु इसका सर्वाच्च लाभ यह रहा कि असख्य धनी जमीदार ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने मे और जनता पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने मे सहायक हुये।"[29]

१४ जून १७८६ के अपने आदेश मे डकन ने लगान चुकाने मे असमर्थ होने पर नीलामी, बिक्री का कही सकेत नही किया था किन्तु कुछ समय पश्चात् सरकार ने बगाल तथा उडीसा प्रान्तो की भाति बनारस प्रान्त मे भी समझौते की योजना बनाने का डकन को आदेश दिया। गाजीपुर परगना में भी दसवर्षीय योजना बनाने का आदेश निर्गत हुआ और यही पूरे प्रान्त मे प्रचलित हुआ[30]

बगाल के नियम और बिक्रीकर व्यवस्था को बनारस तक मे लागू करने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु, डकन ने इसका विरोध किया। उसने सरकार को परामर्श दिया कि भूमि सम्पत्ति स्थानान्तरण अधिकार के लिए या बकाया लगान जो मौसम की खराबी के कारण रह गया हो, बिक्रीकर लेना आवश्यक नही है। बगाल मे जमीदार को जब तक लगान अदा न कर दे दण्डित किया जाता रहता था।[31] डकन की सलाह पर सरकार ने यह निश्चित किया कि जो भू–स्वामी लगान देने मे असमर्थ थे उनके लिए बिक्रीकर के नियम सामान्य न बना दिये जाय। उसने यह भी सुझाव दिया कि दण्डित करने की अपेक्षा रेजीडेन्ट ऐसे लोगो की भूमि तब तक के

---

29 ए० बी० कीथ, स्पीचेज, एण्ड डाक्यूमेन्ट्स ऑन इण्डियन पॉलिसी–जिल्द–१– पृष्ठ २१५

30 बोर्ड आफ रेवेन्यू कर्स्पॉन्डेन्स अक्टूबर २१, १७८६ पृष्ठ–४१०

31 वही– अक्टूबर २०, १७६४– पृष्ठ २२७–२२८

लिए ले ले जब तक कि वे पूरी राशि न दे दे। इसके अतिरिक्त स्थायी समझौते मे उल्लेखित कोई सन्तोषप्रद जमानत वे दे सकते थे।[32]

इन्ही सुझावो और परामर्श के आधार पर बनारस प्रान्त मे १७६५ का नियम–६ लगान वसूली हेतु बनाया गया। इस नियम के अन्तर्गत वैध प्रणाली निम्नवत थी।[33]

(१) फसल के ऊपर चौकीदारो की नियुक्ति की जाय।

(२) अपराधी के खर्च पर पैदल चलने वाले या घुडसवार के माग की रिपोर्ट जारी हुई।

(३) अपराधियो को गिरफ्तार करके जेल भेजना भी निश्चित किया गया।

(४) नम्बरदारो के पट्टे को हटाकर सीधे–सीधे असामियो से लगान वसूलने की व्यवस्था की गयी।

इन नियमो के लागू करने पर भी वर्ष के अन्त मे कुछ लगान बाकी रह जाता था। १७६५ के नियम–६ अनुभाग १७ के अन्तर्गत कलेक्टरो को बकाया लगान के कारणो का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना पडता था। यदि अवशेष का कारण पैदावार की राशि का गबन सिद्ध होता था तो गवर्नर जनरल को भूस्वामियो के अधिकार रद्द कर देने का अधिकार प्राप्त था।[34]

---

32 वही नवम्बर–७, १७६४, पृष्ठ ७०–७१

33 बगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ २३६–२३९

34 वही– पृष्ठ २४०–२४१

भूमि की बिक्री का आदेश देना गवर्नर जनरल की इच्छा पर आधारित था। अनुभाग–१ मे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि १७६६ का नियम–६ बनारस तक बढा दिया गया है। यह नियम बनारस के वसूली नियम के अनुरूप था।[35] १७६५ का नियम–६, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के विशेष सिफारिश पर लागू हुआ था, को असाधारण एव विशेष मामलो की निगरानी सीमित कर देने का तब तक आदेश नही था जब तक १८३० का नियम–७ इसके स्थान पर जारी नही हुआ।[36] सामन्यत भूमि बिक्री का कार्य कलकत्ता मे होता था। भूमि मालिको को बिक्री के एक दिन पहले और जिले के कलेक्टर को दस दिन पहले बिक्री की तिथि आदि सूचित कर दिया जाता था।[37]

किसी बिक्री के पूर्व उस नियम के अनुभाग–३२ के अन्तर्गत दूर–दूर तक 'मुनादी' करनी पडती थी जो फारसी, देवनागरी और हिन्दुस्तनी भाषा मे होता था। बिक्री का स्थान समय और तिथि लोगो को बताया जाता था।[38] बिक्री के समय क्रय मूल्य का ५ प्रतिशत जमा करना पडता था। यदि खरीददार नियत समय पर क्रय मूल्य जमा नही कर पाता था तो उसकी जमा की हुई राशि सरकार को दे दी जाती थी और फिर उसी के खर्च से भूमि की बिक्री होती थी।[39] १७६५ मे बनारस की कलेक्ट्री के स्थापित होने के पश्चात डकन द्वारा बडी सावधानी पूर्वक लगान वसूलने

---

35 वही– पृष्ठ ४२०–४२१
36 वही पृष्ठ ४५२
37 वही पृष्ठ–२२६
38 वही – २२६
39 वही – २२६

के बावजूद भी लगान बाकी रह जाता था। बकाया लगान वसूलने का नियम मात्र नीलामी ही था।

कलेक्टरो को इन नीलामियो मे बहुत समय लग जाता था। बनारस के कलेक्टर मि० डब्लू० ओ० सॉलमन ने लिखा था कि उन्हे बिक्री के लिए लगातार कई दिन लगाना पडा। गाजीपुर मे १८१७ मे कलेक्ट्रेट की स्थापना के बाद एक ही माह मे वहॉ के कलेक्टर ने हजार से ऊपर राज्यो की बिक्री का प्रस्ताव किया।[40] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नीलामी/बिक्री की प्रणाली जिसे गबन के मामलो मे लागू किया गया था अवैध थी। लम्बरदार अपने साझीदारो से जबरन लगान वसूलने के बाद भी सरकार को अदा नही करते थे। रेवेन्यू सम्बन्धी दस्तावेजो मे ऐसे अनेक प्रकरण देखने को मिलते हैं।[41]

लार्ड मिन्टो ने भी १८०७ के नियमानुसार उक्त प्रणाली को सीमित करने का प्रयास किया। वास्तविक स्थिति स्वाभाविक रूप से भिन्न थी और उसे किसी भी नियम द्वारा बदला नही जा सकता था। यद्यपि मिन्टो के समय मे कठिनाइया कुछ कम हुई थी किन्तु ऐसा जमीदारो के सहयोग और सहानुभूति के कारण था न कि नियम बदलने के कारण। १ फरवरी १८०६ मे बनारस प्रान्त कलकत्ता के नियन्त्रण से अलग कर दिया गया था। १७६५ का कानून जो बंगाल, बिहार और उडीसा मे लागू था वह बनारस मे लागू कानून से भिन्न था।[42]

---

40 टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड ऑक्शन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दि प्राविन्स ऑफ बनारस (बी० आर० सी० जिल्द – ६५ पृष्ठ २१)

41 वही–

42 वही– पृष्ठ –३६

लगान के प्रशासन की फिर से व्यवस्था की गयी जिसके फलस्वरूप बनारस मे मात्र १२ (बारह) तहसीलदार ही रह गये। अधिकाश परगनाओ का लगान सरकारी खजाने मे जमा होता था जिसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। गाजीपुर का जिला बनारस से अलग कर देने के बाद वहाँ रावर्ट वार्लो कलेक्टर नियुक्त हुए जो वहाँ १८२७ तक रहे।[43]

लगान की अदालत

उचित अदालत न होने के कारण लगान सम्बन्धी मामलो को निपटाने मे अनेकानेक त्रुटिया व्याप्त हो गयी थी। राजा की मुल्की अदालत पर्याप्त नही थी। न्यायाधीश और अधिकारी अधिकाश मुस्लिम थे जो लगान सम्बन्धी कार्य मे दक्ष नही थे तथा पक्षपात की प्रवृत्ति की कारण उचित न्याय भी नही दे पाते थे।

१७६६ फसली के समझौते के अनुसार एक न्यायालय स्थापित हुआ। इसमे दो न्यायाधीश होते थे जिनमे एक रेजीडेन्ट द्वारा तथा दूसरा राजा द्वारा मनोनीत होता था।[44] यह अदालत रेजीडेन्ट के नियन्त्रण मे उसी की अदालत मे लगती थी। रेजीडेन्ट लगान सम्बन्धी मामलो के लिए फोर्ट विलियम के नियन्त्रण मे था। लगान और कर सरकारी खजाने मे जमा होने लगा। यह व्यवस्था तब तक बनी रही जब तक कि गाजीपुर का

---

43 वही –

44 बोर्ड ऑफ रेवन्यू कारसपाण्डेन्स, सितम्बर १२, १७८८ पृष्ठ–१६१

अधिकाश बलिया का कुछ भाग और शाहबाद अलग–अलग नही किया गया।

मिर्जापुर जिले का अधिकांश भाग १७७५ तक अवध के नवाबो के नियत्रण मे रहा। इसके पूर्व उत्तरकालीन मुगलो के समय मे मिर्जापुर चौदह परगनो मे विभाजित था। मुगलकाल मे भू–राजस्व निर्धारित करते समय भूमि के उपजाऊपन, औसत मूल्य तथा पिछले वर्ष की उपज को ध्यान मे रखा जाता था।[45] अवध के नवाब के शासन मे भूमि के अधिकारो पर विशेष ध्यान नही दिया जाता था। उनका उद्देश्य केवल भूमिमालिको से अधिकधिक राजस्व वसूल करना था। अधिकार और कार्य की दृष्टि से आमिल का पद ब्रिटिश–कालीन कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की तरह का था। भू–राजस्व की व्यवस्था नियमो पर आधारित थी।[46]

मिर्जापुर १७७५ मे ईस्ट इडिया कम्पनी के नियत्रण मे आया किन्तु १७६४ तक यह भाग राजा बनारस की जमीदारी मे बना रहा। २७ अक्टूबर १७६४ मे राजा महीप नारायण सिह व ईस्ट इडिया कम्पनी के मध्य हुए समझौते के तहत बनारस पर पूरी तरह से कम्पनी का नियंत्रण हो गया।[47] बलवन्त सिह के समय मे अधिकाश आमिल उनके सगे सम्बन्धी ही थे।[48] १७८७ तक आमिलो ने कठोर नियत्रण न होने के कारण भूराजस्व सग्रह मे गडबडी की और भू–राजस्व सोलह प्रतिशत तक बढा दिया। राजस्व सग्रह मे व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डकन ने पट्टाधारी व्यवस्था

---

45 पी० सरन 'प्राविसियल गर्वन्मेन्ट ऑफ द मुगल्स पृष्ठ ३६१

46 मुफसिल, रेकार्डस, सिरीज–३, वाल्यूम–५

47 मिर्जापुर गजेटियर–पृष्ठ १५६

48 वही –

मे भी सुधार किया। आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से ११९६ फसली के तहत नया बदोबस्त करने की स्वीकृति गवर्नर जनरल की परिषद् से प्राप्त हुआ।[49]

एक वर्ष पश्चात जौनपुर भी एक स्वतन्त्र जिला बन गया किन्तु मिर्जापुर १८३२ तक बनारस के अन्तर्गत बना रहा।

समझौतों का प्रबन्ध

लगान वसूली एव कलेक्टरो के ऊपर नियन्त्रण रखने का अधिकार बोर्ड को था। बोर्ड मे एक प्रेसीडेन्सी और चार सदस्य होते थे। न्यायाधीश के फैसले पर पुनर्विचार हेतु अपील करने के लिए एक अदालत की भी व्यवस्था की गयी थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा न रखने वाले कलेक्टर को पद से हटा देने का पूरा अधिकार था।[50]

बोर्ड ने एक कोर्ट आफ वार्ड्स की स्थापना किया जिनका कार्य अल्पसख्यक राज्य पर नियन्त्रण रखना तथा उनके हिसाब किताब का निरीक्षण करना था। इसकी रिपोर्ट शासन को निर्धारित समय पर भेजनी पडती थी। शासन के माध्यम से कोर्ट आफ रेवेन्यू को लगान के माध्यम की दशा तथा की गयी कार्यवाही की सूचना भी देनी होती थी। किसानो और भूमिमालिकों को 'तकाबी' बाटने का भी इन्हे अधिकार था।[51] कलेक्टर

---

49 टामस ए०– लैड सिस्टम इन बनारस राज पृष्ठ १३६

50 फिफ्थ रिपोर्ट, प्रथम, पृष्ठ –३१

51 वही बगाल रेग्यूलेशन– प्रथम, पृष्ठ–२२६

को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उन सभी मामलो तथा निर्देशो पर ध्यान देना पडता था जिनका सम्बन्ध जनता से होता था।[52]

बोर्ड आफ रेवेन्यू के पथप्रदर्शक नियम

बोर्ड को निर्धारित नियमानुसार कार्य करना होता था। बोर्ड का कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के कार्यों का निरीक्षण करने तथा दोषी पाये जाने पर दण्डित करने का अधिकार था। अपराधी को कार्यालय मे अपराध का कारण आदि बताने के लिए बुलाया जाता था और अपराध सिद्ध होने पर अधिक से अधिक एक माह के वेतन के बराबर उनपर जुर्माना भी लगता था। कभी–कभी उन्हे निलम्बित भी कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार लूट, उत्पीडन आदि गम्भीर मामलो की पूरी जॉच होती थी। यदि शिकायत झूठी सिद्ध होती थी तो शिकायत करने वाले को दण्डित किया जाता था और उसे जेल भी होती थी। लगान सम्बन्धी शिकायत कलेक्टर के पास भेजी जाती थी। सम्बन्धित व्यक्ति की जाच होती थी। उन्हे माह के अन्त तक कलेक्टरो को माग, आय और बकाया का हिसाब देना पडता था। प्रतिवर्ष १८ जुलाई तक जिले के समझौते की आय का बकाया का विवरण सुप्रीम काउन्सिल को भेजना पडता था।

उन्हे व्यय के हिसाब का अलग से रजिस्टर रखना पडता था। अपराधियों से बकाया राशि की वापसी और विद्रोही जमीदारो के दमन पर हुये खर्च का ब्योरा भी रखना पडता था। बोर्ड के चालू नियमो को उसे अतिरक्त आदेश देकर कार्यान्वित भी करना होता था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के

---

52 वही पृष्ठ – २२७

सभी योरोपियन या भारतीय अधिकारियो के सभी मामलो मे प्रेसीडेट की आज्ञा का पालन करना पडता था। प्रेसीडेन्ट के सभी अधिकार प्रभारी रेजीडेन्ट को भी प्राप्त थे। प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थिति मे वरिष्ठ सदस्य उसका कार्य देखता था।[53] १७८८ मे बोर्ड ऑफ रेवन्यू मे दो अन्य सुधार हुये जिनका उद्देश्य भारतीय नियन्त्रण को खालिसा के शासन से हटाकर उसके स्थान पर कम्पनी के नौकरो को रखना था।[54]

प्राप्त शिकायती प्रार्थनापत्रो पर आवश्यक विचार के बाद प्रेसीडेन्ट के निरीक्षणार्थ भेजना पडना था। वे जमीदार, ताल्लुकेदार और भूस्वामियो से किसी प्रकार का उपहार नही ले सकते थे। उन्हे अपनी रिपोर्ट के लिए अग्रेजी या फारसी भाषा मे नियमित डायरी तैयार करनी पडती थी। किसी प्रकार के दावा या झगडा सम्बन्धी मामले को उचित अधिकारी को इन्हे भेजना भी पडता था। किसी रेवन्यू विभाग के योरोपियन या स्थानीय कर्मचारी के विरुद्ध प्रार्थनापत्र को गवर्नर जनरल–इन काउन्सिल के पास आदेशार्थ भेजना पडता था। ऐसे मामलो मे वह मुकदमे से सम्बन्धित गवाह को अदालत मे बुला सकता था और सम्बन्धित पत्रजात भी माग सकता था। वह गवाह की जाच करके रिपोर्ट विचारार्थ प्रेषित कर देता था।उसे अदालत के न्यायाधीशो या कलेक्टर के पास लिखित पूछताछ के प्रश्नो को भेजना पडता था। मुद्रणालय के अतिरिक्त अन्य शिकायतीपत्रो को वह नही स्वीकार कर सकता था। मुद्दयी का जवाब वकालतनामा के विना स्वीकार नही करता था। सभी आदेश और सम्मन हस्ताक्षर और मुहर से

---

53 बोर्ड ऑफ रेवन्यू करसपान्डेन्स, जून २७ १७८८ पृष्ठ–१६३–१७०

54 वही– मई २३, १७८८ पृष्ठ २१६–२३३

ही भेजे जाते थे। किसी मुकदमे मे गवाह की आवश्यकता होने पर वह कलेक्टर को आदेश देने हेतु पत्र लिखता था। गवाह को अदालत मे हाजिर होने का खर्च भी देना पडता था।

उसे मुद्दयी को अदालत मे हाजिर होने हेतु नोटिस निकालनी पडती थी और ऐसे नोटिसो को खालसा के मुख्य स्थानो पर भी लगा दिया जाता था। उसे सभी जमीदारी, तालुकेदारी चौधरी की सनद तैयार करके नजीर के रूप मे रजिस्टर मे दर्ज करना पडता था। उसे जमीदारी, चौधरी और अन्य लगान की भूमि की बिक्री भी करनी पडती थी। यदि उसे गवर्नर जनरल–इन–काउन्सिल या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश बिक्री के लिए मिल जाता था तो उसे वह रोक नही सकता था। रिपोर्ट तैयार करने वालो का पद अपने अधीनस्थ कर्मचारियो के ऊपर प्रभावकारी था।

कलेक्टर के कार्य

कलेक्टर का कार्य निर्धारित लगान नियत समय पर वसूल करने तक सीमित था। लगान न निर्धारित किये हुये भूमि का समझौता करना तथा आर्थिक सम्बन्धी अन्य कार्य भी उसे सौपा गया था।[55] १७९५ केनियम –५ अनुभाग–७ के अनुसार उनका कार्य नशीले पदार्थो एव उत्तेजक सामान पर कर लगाना, सरकार को लगान देने वाली भूमि का बटवारा करना, अपाहिज, सैनिको को भूमि देना, समय–समय पर अपना लेखा–जोखा महालेखाकर के आदेश से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को निर्धारित प्रपत्र पर भेजना, सरकारी लेनदेन के लिए अग्रेजी, फारसी या हिन्दुस्तानी भाषा मे डायरी

---

55 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स सिम्बर १६, १७६४ पृष्ठ–११६

रखना, सम्बन्धित अन्य कर्मचारियो से अपनी आज्ञा का पालन करवाना था।[56]

पूर्व अनुमति के बिना वह कोई बडा कार्य नही कर सकता था। सम्पूर्ण लेनदेन कलेक्टर के एक लिखित हस्ताक्षरित वारट के अन्तर्गत था। बिना किसी लिखित अधिकार पत्र के खजान्ची किसी को रुपया नही दे सकता था। खजाची और रेकार्डकीपर के अतिरिक्त अन्य सभी की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त था। किन्तु इन सभी कार्यो की सूचना बोर्ड ऑफ रेवन्यू को भेजनी पडती थी। कलेक्टर की मृत्यु या अन्य किसी कारण से उनकी अनुपस्थिति मे वरिष्ठ सहायक उसके कार्य को देखता था। किसी भी कलेक्टर, सहायक दीवान या भारतीय अधिकारी को भूमि रखने और भूमि लगान चुकाने की आज्ञा नही थी। वे नीलाम की भूमि को भी नही खरीद सकते थे।[57]

कोई भी कलेक्टर या उसका दीवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार सम्बन्धी लेनदेन नही कर सकता था। कलेक्टर के दीवान को किसी भी भूस्वामी, किसान या रैयत को ऋण देने की मनाही थी। इस नियम के विरुद्ध लिया गया ऋण किसी अदालत से नही वसूल किया जा सकता था। रिकार्ड और हिसाब किताब सम्बन्धी रखरखाव के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होता था।[58] उसे लगान वसूली के लिए सिपाही तथा 'तकाबी' बाटने के लिए अग्रिम धनराशि बोर्ड ऑफ रेवन्यू की स्वीकृति पर प्राप्त होता था। खजाने मे लगान जमा करने की रसीद पर अपना तथा राजा

56 बगाल रेग्यूलेशन, प्रथम पृष्ठ –२३१

57 वही पृष्ठ – २२५

58 वही पृष्ठ–२२६

का हस्ताक्षर काराना आवश्यक था। रेकार्ड रखने वालो को एक रजिस्टर मे प्रत्येक रसीद की सख्या लिखकर रखना पडता था और उनपर हस्ताक्षर करके प्रमाणित भी करना पडता था। रजिस्टर की एक प्रति प्रत्येक माह मे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्रेषित करना पडता था। कलेक्टर द्वारा प्रदत्त वेतन और भत्ते का माहवार रसीद रेकार्ड रूप मे जमा होता था जिसे रेकार्डकीपर प्रत्येक वर्ष बोर्ड ऑफ रेवन्यू को भेजता था।[59]

तहसीलदार के कार्य

तहसीलदार को राजस्व वसूलने का अधिकार था। भूमि मालिको से सरकार द्वारा निर्धारित लगान वसूल करना और कुछ सीमा तक कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे पुलिस का अधिकार प्राप्त था। अपने क्षेत्र मे वह सम्पूर्ण लगान के लिए जिम्मेदार था। उनको सग्रह किये गये सम्पूर्ण लगान का साढे ग्यारह प्रतिशत वेतन के रूप मे दिया जाता था।[60] इसमे पुलिस शासन का खर्च भी सम्मिलित था। तहसीलदार के अपने क्षेत्र हेतु पुलिस अधिकार को मजिस्ट्रेट बिना गवर्नर जनरल–इन–काउन्सिल की स्वीकृति के बदल नही सकता था।[61] यदि मजिस्ट्रेट किसी तहसीलदार को दुराचारी, अयोग्य या किसी प्रकार से दोषी पाता था तो कारण और तथ्य सहित अपनी रिपोर्ट गर्वनर जनरल–इन–काउन्सिल को भेजता था और फिर उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करता था। १७९५ के नियम १७ अनुभाग–७ के

---

59 वही–

60 बगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ ६५६ एव दस्तूर–उल–आलमगीरी पृष्ठ–११२ ए

61 वही पृष्ठ–२३६

अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हत्या, चोरी डकैती आदि के लिए दोषी पाता था किन्तु समय से मजिस्ट्रेट को सूचित नही कर पाता था तो सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार को इस सम्बन्ध मे कार्यवाही करने का अधिकार था। दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना चौबीस घन्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट को देनी पडती थी। अभियुक्त के उपस्थित होने पर मजिस्ट्रेट उस पर कार्यवाही प्रारम्भ करता था। चोरी आदि का सामान जिस व्यक्ति के पास निकलता था‡ उसे 'दस्तक' देने का अधिकार था। तहसीलदार को गवाह मुद्दयी आदि को निर्धारित समय पर उपस्थित होने की जमानत लेना पडता था। कुख्यात डाकू को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का उत्तरदायित्व तहसीलदार पर ही होता था। मजिस्ट्रेट उसकी जाच आदि का कार्य करता था।[62]

१७९५ के नियम—१७ अनुभाग—१३ के अन्तर्गत गोडइत, चौकीदार एव दसबन आदि कर्मचारी तहसीलदार के अधीन थे जिन्हे स्थानीय पुलिस का अधिकार प्राप्त था। तहसीलदार को प्रत्येक के नाम का एक रजिस्टर रखना पडता था।[63] मृत्यु या किसी अन्य कारण से इनका पद रिक्त होने पर किसी भूमि मालिक को रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता था। तहसीलदार को किसी डाकू या चोर को पकडने पर १०/— प्रति की दर से पुरस्कार प्राप्त होता था। चोरी का पता लगाने और चोर को पकडवाने तथा जेल भेजने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर चोरी मे गये सामान के मूल्य का १० प्रतिशत तहसीलदार को प्राप्त होता था। १७९५ की धारा—१७

---

62 वही—

63 वही पृष्ठ—२३६

अनुभाग–१८ के अन्तर्गत तहसीलदार बाजार, मेला तथा धार्मिक सभाओ के लिए आवश्यक, प्रबन्ध करता था। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता था।[64]

यदि तहसीलदार के अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार, उत्पीडन और लूट आदि के लिए दोषी पाया जाता था तो उसके विरुद्ध दीवानी अदालत मे तहसीलदार मुकदमा चला सकता था। १८०७ के नियम १४ अनुभाग–२ के अनुसार तहसीलदार पुलिस द्वारा कार्य कराने मे सक्षम था। वह पुलिस की आवश्यकतानुसार सहायता ले सकता था। स्थानीय अधिकरियो की मध्यस्थता से कार्य सरलता से सम्भव होता था।[65] तहसीलदार १००/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था जो जमीदार देता था। १८०२ मे इनका वेतन १००/– बढाकर १५०/– कर दिया गया।[66] प्रत्येक परगना मे दो कानूनगो होते थे जो तहसीलदार के अधीन कर्मचारी थे कलेक्टर की संस्तुति पर बाद मे उनकी सख्या बढाई गई।[67]

कानूनगो

तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी कानूनगो का पद लगान सम्बन्धी कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह सरकार और किसान के मध्य एक कडी का कार्य करता था। २६ अक्टूबर १७८७ मे यह पद सरकारी हो गया। उनकी सुरक्षा पर पर्याप्त राशि खर्च होती थी।[68] इससे पूर्व वे

---

64 वही–

65 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स (पत्र प्राप्त – १७६६–१८०८) पृष्ठ ५२–५३ एव बगाल रेग्यूलेशन प्रथम पृष्ठ ६५२–६५३

66 गाजीपुर करसपॉन्डेन्स, अक्टूबर २८, १८०२ जिल्द–१, पृष्ठ–५

67 बनारस करसपान्डेन्स, मई ६, १८०८, पृष्ठ १२५–१२७,

६8 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स अक्टूबर २६, १७८८ पृष्ठ–१६

आमिलो के आश्रित और सहायक होते थे। रैयत से लगान वसूलने वाला आमिल ही इन्हे पैसे देता था। किन्तु ३ अक्टूबर १७८८ को डकन को सरकार से यह आदेश प्राप्त हुआ कि कानूनगो को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाय। इनका पद पैतृक न होकर व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित था।[69] कानूनगो का सम्मान ही एक ऐसा आधार था जिसपर डकन का समझौता कार्य आधारित था।[70] कानूनगो खेतो और गावो के पट्टे देते थे और रेजीडेन्ट के पास प्रत्येक परगना के समझौते का हिसाब भेजते थे। मुफस्सिल का लगान गाव के पट्टे पर निर्धारित होता था।[71] जुलाई १७६४ मे वे कलेक्टर के सस्थान के एक अग बन गये।[72] १८०८ के नियम–४ अनुभाग–५ के अनुसार उन्हे सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होता था।

कानूनगो की सहायता करने के लिए दो व्यक्ति दिये जाते थे जिन्हे कलेक्टर चुनकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नियुक्ति हेतु भेजता था। यह पद पैतृक नही होता था। ये सहायक प्राय कानूनगो के परिवार के अपनी योग्यता, बौद्धिक कुशलता और अच्छे आचरण के कारण चुने जाते थे।[73]

१८०८ मे कानूनगो के कार्यो की व्याख्या इस प्रकार की गई– (१) उन्हे कोई जामा वासिल बाकी की प्रतिलिपिया रखनी पडती थी जिनका समझौता समाप्त हो चुका था। तहसीलदार द्वारा सग्रहित लगान की राशि

---

69 वही अक्टूबर ३, १७८८ पृष्ठ १४–१६

70 वही अप्रैल २६, १७८६ पृष्ठ –१८६–१८७

71 वही–जून १४, १७८६ पृष्ठ–३२४

72 वही – सितम्बर, १६, १७६४ पृष्ठ–१२७

73 बनारस करसपॉन्डेन्स मई ६, १८०८ पृष्ठ १२५–१२७

का हिसाब रखना पडता था। (२) लगान से पैतृक छूट वाली भूमि, बदली गई भूमि सम्पत्ति का हिसाब एक रजिस्टर मे रखना पडता था। बिक्री द्वारा भरोहर पट्टा करके उस पर बिना शुल्क लिए अपना हस्ताक्षर करना पडता था।

(३) प्रत्येक गाव के पटवारी की एक सूची तथा भूमि मालिको द्वारा किये गये पट्टो का हिसाब रखना पडता था। इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करना पडता था।

(४) परगना एव स्थानीय भूमि सम्पत्ति के स्थानीय सीमा की सूचना, प्रत्येक गाव का नाम, सख्या, पैदावार के अन्न, लगान की दर एव समस्त स्थानीय सूचनाए कलेक्टर के न्यायालय को भेजना पडता था।

(५) नियमानुसार सूचनाए एव हिसाब तैयार करना पडता था। यह नियम बोर्ड आफ रेवेन्यू और **बोर्ड ऑफ कमीश्नर्स** द्वारा निर्धारित होते थे।

(६) मालगुजार की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी के बारे मे वह सूचना देता था।[74]

नियमानुसार कार्य न करने पर कानूनगो को दण्ड का भागी होना पडता था।

74 बगाल रेग्यूलेशन्स, प्रथम, पृष्ठ ६६२–६६३, बनारस करपॉन्डेन्स मई ६, १८०५, पृष्ठ १२५–१२७

पटवारी

१७६५ के नियम–२७ अनुभाग–६ के अन्तर्गत पटवारी की नियुक्ति होती थी।[75] वे जमीदार के नौकर समझे जाते थे। भूमि सम्बन्धी सूचना देने का कार्य पटवारी करता था। बिक्री का आदेश कलेक्टर द्वारा होने पर वह सम्बन्धित पत्रजात कानूनगो को भेजता था। विभिन्न पत्रजातो का मिलान करता था और यदि इस मिलान की कोई त्रुटि परगनाधिकारी को पता चलती थी तो पटवारी दण्डित भी किया जाता था।

सभी भूमि मालिक और किसान अपनी रैयत का हिसाब किताब रखने के लिए पटवारी रखते थे। पटवारियो की एक सूची होती थी जो कलेक्टर की माग पर प्रस्तुत करना पडता था। पटवारियो को भूमि पैदावार के समस्त पत्रजात रखने पडते थे जिनकी माग होने पर सम्बन्धित गाव के नाम आदि के विवरण के साथ न्यायालय मे देना होता था। यदि विवरण मे किसी प्रकार का परिवर्तन, त्रुटि या जालसाजी का सकेत मिलता था तो पटवारी पर मुकदमा भी चलता था। उन्हे अपना हिसाब निरीक्षणार्थ कलेक्टर के पास भेजना पडता था।[76]

---

75 वीर पृष्ठ–४१५

76 बगाल रेग्यूलेशन्स, प्रथम, पृष्ठ–२५६–२६१

उपसंहार

अध्याय-६

उपसंहार

भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश की वैभवशाली सस्कृति जग प्रसिद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद अपने प्राचीन गौरव और गरिमा के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखते है। इसी प्रदेश का अंग बनारस अस्सी और वरुणा नदियो के निकट गगा के किनारे स्थित ऐतिहासिक वैभव से युक्त आज भी अपनी समृद्धशाली सस्कृति का प्रतीक है। बनारस नगर के निकट जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर जिले अठारहवी शताब्दी मे बनारस मण्डल के महत्वपूर्ण अग रहे हैं। इन सभी नगरों की अपनी विशिष्ट सभ्यता और सस्कृति रही है।

अनेक विदेशी आक्रमणकारियो ने बनारस मण्डल के वैभव को नष्ट करने का प्रयास किया। यही नही बादशाह औरगजेब ने तो यहॉ के मदिरो, धार्मिक स्थलो को ध्वस्त करने के बाद इस पवित्र नगर का नाम ही बदल डाला। किन्तु उसके द्वारा दिया गया नाम 'मुसलमानो का शहर मात्र उसके उत्तराधिकारियो द्वारा चलाये गये सिक्को तक ही सिमित रह गया।

मुगल शासन के पतन के बाद १७१६ में फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई जिससे बनारस का उत्तरदायित्व क्रमश मुहम्मद शाह, मुर्तजा खॉ, सहादत खॉ, और रुस्तमअली के हाथो से गुजरता हुआ बनारस के भूमिहार ब्राह्मण मनसाराम तक पहॅचा। मनसाराम को बनारस के सत्तारूढ परिवार का सस्थापक कहा जा सकता है। उसकी मृत्यु के बाद

उसका पुत्र बलवत सिह दिल्ली के सम्राट से राजा की उपाधि प्राप्त कर राजसिहासन पर बैठा। बलवत सिह के बाद उसकी पुत्री के पुत्र महीपनारायण और अवैध पुत्र चेतसिह मे गद्दी को लेकर विवाद उठ खडा हुआ। महीपनारायण अवयस्क था। चेतसिह ने रिश्वत आदि देकर साढे बाईस लाख वार्षिक राजस्व पर बनारस का राजसिहासन प्राप्त कर लिया। यह सब वारेन हैस्टिग्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की आपसी बात चीत से निश्चित किया गया। किन्तु नवाब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आसफउद्दौला ने बनारस प्रान्त अग्रेजो को दे दिया जिसे बडी ही कठिनाई से अग्रेज रेजीडेन्ट के आधीन रह कर चेतसिह ने पुन प्राप्त किया।

राजा चेतसिह द्वारा गर्वनर जनरल के आन्तरिक झगडे मे फ्रासिस का साथदेने के कारण हैस्टिग्स उससे अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। इस कारण चेतसिंह अपनी निष्ठा और सेवा भाव के होते हुए भी है हैस्टिग्स की सद्भावना नही प्राप्त कर सका। हैस्टिग्स उसे परेशान और अपमानित करने के लिए दृढ प्रतिज्ञ था।

चेतसिह सरल व्यक्तित्व का स्वतन्त्रताप्रिय व्यक्ति था। किन्तु उसने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने मे कमी नही किया।। वह राजस्व की रकम निरन्तर जमा करता रहा। हैस्टिग्स द्वारा नित्य नई माग और राजस्व की दिन प्रतिदिन बढती रकम चेतसिह के लिए कठिनाई का कारण बनती गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसने हैस्टिग्स की माग पूराकरने मे असमर्थता जतायी। वास्तव मे हैस्टिग्स चाहता भी यही था।

हैस्टिग्स द्वारा २००० घुडसवारो की माग को चेतसिह द्वारा न पूर्ण कर पाना बहुत बडा अपराध निर्धारित किया गया। इसके लिए दण्ड देने हैस्टिंग्स स्वय बनारस पहुँचा। चेतसिह बन्दी बना लिया गया किन्तु उसकी सेना ने बडी बहादुरी और उत्साह से अग्रेजी सेनाको पराजित किया। चेतसिह भाग निकला किन्तु सेनाके इस विद्रोह का अग्रेजो ने शीघ्र ही दमन कर दिया। चेतसिह को महादजी सिन्धिया की शरण लेनी पडी। हैस्टिग्स का चेतसिह के प्रति जो व्यवहार था उससे यह स्पष्ट होता है कि वह उसके स्वतत्रता-प्रिय होने का प्रबल विरोधी था। उसे अपमानित करने के लिए और उसकी शक्ति क्षीण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि उससे तब तक धन की माग की जाय जब तक कि वह उसका विरोध न करे। हैस्टिग्स की योजना सफल हुई।

यद्यपि हैस्टिग्स इस तथ्य से भी परिचित था कि बाह्य सुरक्षा और समय पर सहायत के लिए बनारस राज्य का विशेष महत्व है। इसी कारण वह बनारस के राजा और कम्पनी के बीच स्थिर मैत्री सम्बन्ध का पक्षपाती था। किन्तु वह इतना अधिक स्वार्थी और चचल मनोवृत्ति का व्यक्ति था कि अपनी बात पर अधिक समय तक टिक नही पाता था। चेतसिह के प्रति वह बदले के भाव से ग्रसित था।

बनारस में कानून व्यवस्था मे कमी, मराठो से गुप्त वार्ता, बढते अपराध, सैनिक विद्रोह आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनके लिए हैस्टिग्स का यह विचार था कि चेतसिह की इच्छा से यह सब होता रहा है। उसकी निष्ठा सदिग्ध बतायी गयी जब कि समस्त तथ्यो का अवलोकन करने से यह प्रकट होता हैकि प्रारम्भ मे चेतसिह हैस्टिग्स के प्रति निष्ठावान और

सहृदय था किन्तु वारेन हैस्टिग्स के कपटपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण वह विद्रोही बन गया।

असीमित धनराशि की माग न पूर्ण करना चेतसिह की स्वेच्छा से अधिक इस कारण भी हुआ क्योकि राजकीय कोष धीरे–धीरे खाली होता जा रहा था। राजा आर्थिक सकट मे था। हैस्टिग्स सन्धि द्वारा निर्धारित रकम प्राप्त करने पर भी सन्तुष्ट नही था। यह उसकी कटुता और चेतसिह को अपमानित करने की स्पष्ट साजिश थी। इन सबसे अलग जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था,‡ वह था भारत मे एक छत्र राज्य की स्थापना जिसके लिए अग्रेज शासक कुछ भी कर सकने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस सन्दर्भ की इस तथ्य से पुष्टि होती है कि चेतसिह के बाद महीपनारायण को उत्तराधिकार तो सौपा गया किन्तु न्याय प्रशासन और राजस्व का अधिकार १७६४ मे अग्रेजो ने अपने हाथ मे ले लिया। १७६५ मे बनारस का राज्य प्रशासन बगाल की भाति हो गया। इस प्रकार क्रमश ब्रिटिश शासन द्वारा बनारस के निकट के जनपद भी ले लेने का प्रयास होने लगा। १८०० मे सर्वप्रथम जौनपुर, तत्पश्चात गाजीपुर और फिर मिर्जापुर भी सम्मिलित हो गया।बनारस मडल मे और प्रत्येक जनपद मे प्रशासनिक व्यवस्था कर ली गई।

मध्यकालीन समाज मे व्याप्त जटिल परिस्थितिया,आर्थिक अस्थिरता तथा औरगजेब की अनुदार नीतिया भारत मे मुगलशासन के पतन का कारण थीं। जिन उद्योग धन्धो और व्यवसाय को मुगलकाल मे उन्नति के शिखर पर पहुँचाया गया था उन्हे ही ईस्ट इडिया कम्पनी ने अपने व्यापार का माध्यम बनाया। प्रचलित पूर्वी उत्तर प्रदेश मे उद्योग धन्धे जैसे नील,

अफीम, शोरा, नमक, रेह का उत्पादन तथा धातु निर्मित वस्तुओ एव सूती रेशमी वस्त्रो का निर्माण कार्य उन्नति की दशा मे था।

नील की खेती भारत मे प्रचीन काल से ही होती रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे गाजीपुर क्षेत्र मे नील का वृहद पैमाने पर उत्पादन और व्यापार होता था। इससे होने वाले लाभ का आकर्षण इतना अधिक था कि कम्पनी के कर्मचारी जैसे गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स ने स्वय नील की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। इस हस्तक्षेप से स्थानीय उत्पादको और अग्रेज कर्मचारियो के मध्य तनाव की स्थिति भी व्याप्त हुई जिसका निराकरण डकन द्वारा करने का प्रयास किया गया। सभी पहलुओ का अध्ययन करने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि नील का उत्पादन साधारण जनता के हितार्थ नही था किन्तु इग्लैण्ड के लिए निश्चित रूप रूप से यह आर्थिक लाभ का एक स्रोत था।

अफीम उद्योग पर बनारस मण्डल का आधिपत्य था। १८वी० शताब्दी के मध्य अफीम उद्योग को लेकर भारतीय और योरोपीय कारखानो मे प्रतिस्पर्धा की भावना व्याप्त हो गई जिससे इसका मूल्य १००/– रु० से १५०/–रु० प्रति पेटी हो गया/१७७३ मे हैस्डिग्स ने इस उद्योग पर पूर्णत सरकारी आधिपत्य स्थापित कर दिया। अग्रेजी सरकार अफीम का अधिक से अधिक लाभ स्वय लेना चाहती थी। उसकी नीतिया मे बराबर परिवर्तन होता रहा। कभी ठेके द्वारा तो कभी प्रतिनिधि द्वारा अफीम का उद्योग कराया जाता रहा। इसकी वृद्धि के लिए तथा तस्करी रोकने के लिए अनेक नियम बनाये गये किन्तु व्यापार मे गिरावट आ गयी। बाद मे एजेन्सी नीति लागू की गई। अफीम की गुणवत्ता मे सुधार किया गया और

अनियमितता बरतने पर कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया। अफीम के उत्पादन को सीमित करने के लिए प्रतिवर्ष १५०० मन की सीमा निर्धारित की गई।

१८वी० शताब्दी मे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुगरा, गरवारा, रारी, सिगरामऊ जफराबाद और गोपालपुर मे तथा जौनपुर और बनारस मे नमक बनाने का कार्य होता था। सरकार की नीति के अनुसार जौनपुर मे साल्ट महल बनाया गया और नमक जैसे छोटे उद्योग पर टैक्सा लगाया गया। इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल के चवसा केवली ग्राम तथा गाजीपुर जिले के खेतीपुर ग्राम मे शोरा का उत्पादन होता था जिसका मुख्य प्रयोग बारूद बनाने मे किया जाता था। १८वी शताब्दी मे योरप के युद्धो मे इसकी माग बढ जाने से इसका आयात बनारस से भी होने लगा।

सम्पूर्ण बनारस नगर कारखानो से सुसज्जित रेशम वस्त्र उद्योग का समृद्ध केन्द्र था। मूल्यवान रेशमी वस्त्र, उच्च कोटि के सूती वस्त्र, सोने चॉदी के हौदे, पालकी, कुर्सी, आभूषण, सोना–चॉदी के तार आदि का निर्माण और व्यापार उन्नतिशील दशा मे थे। आय के इस वृहद स्रोत का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ब्रिटिश सरकार स्थानीय राजस्व से प्राप्त धन से सम्पूर्ण माल क्रय कर लेती थी। और स्वय उसका व्यापार करती थी। भारतीय उद्योग धन्धो के शोषण का यह एक अग्रेजी नीति या तरीका बन गया था।

पीतल व धातु से निर्मित वस्तुए, केवडा जल, इत्र, गुलाब जल, सुगन्धित तेल का उत्पादन क्रमश बनारस, गाजीपुर, और जौनपुर मे होता था। खोजवा लकडी के बने खिलौनो का प्रमुख केन्द्र था। वहॉ खिलौने का निर्माण एव व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त ईट उत्पादन तथा पान और तत् सम्बन्धी सामग्री का व्यापार भी उच्च कोटि के रूप मे जाना जाता था।

१८वी शताब्दी का पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और आत्मनिर्भर था किन्तु ब्रिटिश नीति के अन्तर्गत दिन प्रतिदिन स्थिति गिरती गई। व्यापार और उद्योग का भरपूर शोषण हुआ। इग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के कारण यहा का सम्पूर्ण कच्चा माल जबरन कम से कम मूल्य मे क्रय करके ईग्लैण्ड भेज दिया जाता था। धीरे–धीरे उद्योगधन्धे बन्द होने लगे। मशीनरीकरण और औद्योगिक क्रान्ति के कारण भारतीय परिवेश के साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश मे भी परिवर्तन आया। जिनके पास पूॅजी थी उन्होने अपनी पूॅजी उद्योग स्थापित करने मे लगायी। कारखानो मे मजदूरो के श्रम की आवश्यकता बढी। समाज मे एक धनी वर्ग जिसमे बडे व्यापारी उद्योग पति थे तथा दूसरा श्रमिक वर्ग जिसमे गरीब मजदूर था स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग जिन्हे मध्यम वर्ग कहा जाता था का जन्म हुआ। गरीब और अमीर के बीच का अन्तर बढता गया। मध्यम वर्ग मात्र शोषण का शिकार था। किन्तु धनी जमीदार, उद्योग पति और साहूकार अग्रेजी के प्रति निष्ठवान बने रहे। अग्रेजी आर्थिक शोषण के फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागो की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आर्थिक विपन्नता का शिकार बनता गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कर एव चुगी व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अदूरदर्शिता और असमानता पर आधारित व्यवस्था अनेक परिवर्तन और प्रयोग के बावजूद भी दोषपूर्ण ही बनी रही। इसका मुख्य कारण भेद भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ था। मुगल काल से चली आ रही दोषपूर्ण व्यवस्था ब्रिटिश शासन काल मे अव्यवस्थित और जर्जर हो गयी। ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानो पर गंज की स्थापना करके सौदागरो को व्यापारिक और सुरक्षात्मक सुविधा देने का दावा किया। किन्तु उन पर इतना अधिक प्रशासनिक नियत्रण लागू कर दिया कि प्रदत्त सुविधाये व्यर्थ सिद्ध हुई। चूने के व्यापारको स्वतत्र घोषित कर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना और पुन प्रतिबन्धित कर देना आर्थिक शोषण का उदाहरण है। रेह को हानिकारक बताकर बन्द कर दिया गया।

लकडी, पत्थर, कॉच और सोने के लिए पहले महल बनाये गये और उन पर तरह–तरह के कर अरोपित किये गये। इन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐकाधिकार था किन्तु डकन की सिफारिश पर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए १८वी शताब्दी मे यह एक बहुत बडी क्षति थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस मडल विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा है। इसी से जुडा हुआ मिर्जापुर अवध, तिब्बत, नेपाल, बगाल, से अपना व्यापारिक सम्बन्ध बनाये हुये था। स्वाभाविक रूप से यहॉ चुगी का प्रबध होना आवश्यक था। ब्रिटिश शासन ने इस प्रबंध को माल की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना जारी रखा। चुगी का निर्धारण और उसकी

वसूली न तो वैध थी औन न विश्वसनीय। सौगन्ध, अनुमान और प्रचलित मूल्य के आधार पर चुगी लगाना ब्रिटिश शासन की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। १७७३ मे वारेनहैस्टिग्स ने यद्यपि कुछ वस्तुओ को कर मुक्त कर दिया किन्तु १७८१के बाद व्यापारी इस छोटे लाभ से भी वचित रह गये। प्रदेश के प्रत्येक भाग मे चुगी घर खुल जाने से व्यापारी असन्तुष्ट एव परेशान थे। सरकार ने समय समय पर अनेक नियम और कानून बनाये किन्तु इनके पालन मे जिस तरह से अनियमितता और शोषण की नीति अन्तर्निहित थी उससे व्यापार मे भारी गिरावट आयी। माल के माप का कोई वैज्ञानिक आधार न होना भी दुर्भाग्यपूर्ण था। तौलने की फीस, दुकान टैक्स, चूरा चौकियो द्वारा हर छोटी बडी वस्तुओ पर टैक्स देना व्यापारियो के लिए असुविधा का कारण था। यद्यपि देश के आन्तरिक भाग मे कर की दर कम थी किन्तु माल के इच्छित स्थान तक पहुँचाने मे जो राजस्व भार पडता था वह असहनीय था। व्यापारियेा मे सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एव निवेदन करने की चेष्टा की किन्तु इसके बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने किसी प्रकार का सुधार नही किया। यदि कुछ तथाकथित सुधार हुए भी तो वे ठोस नही थे। परिणाम यह हुआ कि माल महगा होता गया और विक्रय घटता गया। व्यापारियो ने तंग आकर व्यापार बन्द कर दिया। निश्चिय ही यह ब्रिटिश शासन की एक ऐसी साजिश थी जो भारत वर्ष के साथ–साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने मे सहायक थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस प्रान्त एक क्षेत्रीय प्रशासनिक मुख्यालय था जहॉ इस क्षेत्र के बैक, व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा, नियत्रित किये जाते थे।

वैश्य, अग्रवाल, खत्री, गोसाई, आदि बनारस के बैकरो मे अपना विशिष्ट स्थान एव आधिपत्य रखते थे। किन्तु इन सुविधाओ से पूजी पति एव उद्योगपति ही लाभान्वित होते थे। किसी अन्य समुदाय के लाभान्वित होने के कोई दृष्टान्त नही आये है।

राजस्व का सृजन देश की वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रख कर ही होना चाहिए। यह सत्य है कि 'कर' राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत है किन्तु इसका सुनियोजित, विवेकपूर्ण, जन हितार्थ एव स्थिर आर्थिक प्रणाली के अनुरूप होना भी सर्वप्रमुख है। इन मौलिक नियमो के विपरीत स्वार्थ पर आधारित राजस्व व्यवस्था किसी भी प्रशासन को तुरन्त लाभ तो दे सकती है किन्तु उसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से विरोधात्मक होगा। जब कोई विरोध मुखर होता है तब उसका परिणाम सत्ता को परिवर्तित कर देने तक हो सकता है जैसा कि भारत के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश मे भी हुआ।

जहॉतक भू–राजस्व व्यवस्था मे श्रेय का प्रश्न हैतो वह अकबर को है जिसके प्रयासों के फलस्वरूप मुगलकालीन भू–राजस्व व्यवसथा सगठित एवं सुव्यवस्थित हुई। इसी स्थापित नियम मे कुछ सामान्य एव आवश्यक परिवर्तन करने के उपरान्त प्रचलित रूप मे सब ने इसे स्वीकार किया किन्तु वास्तविकता यह थी कि उपयोगी, सगठित, प्रशसनीय होने के बाद भी मुगल काल की इस व्यवस्था मे कई दोष थे। प्रचलन यह था कि भूमि के विभाजन तथा उपज की तालिका के अनुसार अर्थात् दोनों का औसत निकाल कर मालगुजारी वसूल की जाती थी। वे किसान जिनके पास प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में से किसी एक प्रकार की ही

जमीन थी। किन्तु राजस्व निर्धारण एव वसूली का क्रम सब के साथ एक ही था। इसके अलावा लगान उपज के ६/२ से अधिक था। गैर स्वीकृत कर वसूल होते थे। शिकायत और दडित होने के उपरान्त भी देश की विशालता और यातायात के साधन के अभाव मे दूरवर्ती प्रदेशो मे इन नियमो का कठोरता से पालन नही हो पाता था। पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, सभी किसानो को त्रस्त करते और अधिक से अधिक वसूलते थे किन्तु उतना जमा न करते अर्थात लगान की चोरी कर्मचारियेा के स्तर से थी। किन्तु समस्त व्यवस्था पर नियत्रण रखना कभी सम्भव नही हो पाया अत मुगल काल मे भी इसकी उम्मीद करना अस्वाभाविक था।

टोडरमल की रैयतवारी व्यवस्था मुगल शासन के सभी शासको ने यथावत चलाया किन्तु औरगजेब के शासन काल के आते आते यह व्यवस्था बिगडने लगी। इसका मुख्य कारण सम्बन्धित अधिकारियो मे व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान का अभाव था। अब राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदार नियुक्त हुए जिन्हे जमीदार कहा गया। १८वी शताब्दी मे दीवानी का अधिकार ब्रिटिश को प्राप्त होते ही पूरा देश बडे–बडे राज्यो मे विभक्त हो गया। इन राज्यो पर जमीदारो का आधिपत्य स्थापित हो गया और कहीं–कही इनकी स्थिति राजा की भाति थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे जमिदारो की तीन श्रेणिया थी (स्वायत्त, मध्यस्थ, प्राथमिक) थी। ये सभी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान होते थे। जमीदार राज्य की आय का बडा माध्यम था और वह विदेशी आर्थिक शोषण की प्रक्रिया मे सोझेदारी भी कर रहा था। यद्यपि किसानोसे इनके सम्बन्ध घनिष्ट होते थे किन्तु राजस्व वसूली में वे क्रूर भी हो जाया करते थे। सरकारी आदेशानुसार

राजस्व की दर साढे नौ प्रतिशत से बढा कर १६ प्रतिशत कर दिये जाने से जमीदार पर दबाव बढ गया। सरकारी कर्मचारी राजस्व वसूली मे जमीदरो के साथ जिस प्रकार कठोरता का व्यवहार कर रहे थे उसी के फलस्वरूप तरह–तरह की विसगतिया सामने आयी। मेहदी अली खॉ द्वारा आत्म हत्या का प्रयास इस सदर्भ मे महत्वपूर्ण उदाहरण है। यद्यपि डकन ने राजस्व व्यवस्था ठीक करने के लिए अनेक उपाय किये किन्तु उसके परिणाम ब्रिटिश सत्ता के लिए उचित नही थे। निश्चित राजस्व की धनराशि न मिल पाने के कारण राज्य मे कर्मचारियेा की सख्या कम कर दी गई। विभिन्न भत्तो मे कठौती करना तरह–तरह के टैक्स लगा देना आमदनी बढाने का माध्यम तो था किन्तु इन सब के बदले ब्रिटिश सरकार जनता का अपने प्रति विश्वास नही खोना चाहती थी। इन्ही सब पहलुओ पर विचारोपरान्त बोर्ड ने देश की सुख सुविधा के परिपेक्ष्य मे स्थायी समझौते पर बल दिया। १७६५ मे डकन ने स्थायी समझौते के प्रश्न पर विचार करने के लिए बनारस के कमच्छा नामक मुहल्ले मे राजा और उनके सहयोगियो की एक मिटिग बुलाई। राजा पहले तो इस समझौते को मानने के पक्ष मे नही था। किन्तु अन्ततोगत्वा उसे मानना पडा। पूर्वी उत्तर प्रदेश मे बनारस मंडल के उन जिलो के साथ दस वर्षीय समझौता किया गया जहाँ पॉच वर्षीय पट्टे नही थे। ईमानदारी पर बल दिया गया, प्रचलित प्रमाणिक बीघा प्रणाली लागू की गई और न्यायालय के माध्यम से विवादों को निपटाने का प्रयास किया गया।

राजस्व वसूली के लिए ११८७ फसली के नियम को मान्य किया गया। यात्रियो की सुरक्षा का दायित्व जमीदारो को सौपा गया। डकन ने

उचित लगान निर्धारण हेतु ग्रामीण एव परगना स्तर पर सूची तैयार करायी जिसमे गाव का नाम, जमीदार का नाम, नदियो की सख्या, उद्योग धधे के ब्यौरे आदि तैयार कराये। उपरोक्त व्यवस्था पूर्ण होने पर चार वर्षीय पट्टे देने के आदेश हुये। अन्य मागो को प्रतिबधित किया गया। बनारस के पूरे प्रान्त मे ऐसा ही समझौता हुआ। १७८६–६० मे बकाया राशि जो ८५०००/– रु० थी वसूल हुई। डकन ने समय समाप्त होने वाले पट्टो को छोड दिया, अवैधानिक मागो को रोका, कर्मचारियो के लिए दड विधान की व्यवस्था बनायी, प्रमाणिक तलबा चिट्ठी वितरित कराया। सग्रह की हुई अतिरिक्त धन राशि का प्रयोग हिन्दू कालेज के विकास पुल, सडक आदि मे लगाई। बोर्ड भूमि मालिक एव लगान मे एकरूपता का पक्षधर था। पट्टेदारो को मैनेजर रखने के निर्देश दिये गये। अधिकार सम्पन्न लोगो के साथ समझौते करने का निश्चिय किया गया। बोर्ड ने कलेक्टरो को न्यायिक कार्य से मुक्त रखा एव स्थानीय आमिलो को कलेक्टर की संज्ञा देकर दीवानी के अधिकार दिये। कानूनगो को रजिस्ट्रार का पद दिया एव हिसाब किताब का कार्य पटवारियो के दायित्व मे सौपा गया। डकन कुछ मामलो मे बोर्ड के विचारो से सहमत नही था जैसे राजा का हित, कलेक्टरों के अधिकार, आदि। बोर्ड ने १७६५ मे नियम को स्थायित्व प्रदान किया। ११८७ फसली के अनुरूप राजस्व निर्धारित किया गया। बनारस का समझौता बगाल से भिन्न था। यद्यपि सुधार मे उदार दृष्टिकोण अपनाये गये थे, किन्तु फिर भी कमी रह ही गयी थी। क्योकि नम्बरदार, जमिदार, योग्य अनुभवर्ग्री नही थे। डकन ने अनेक बार पैमाइश करायी किन्तु हर प्रयत्न अव्यवहारिक सिद्ध हुआ। १७६१ के डकन के रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कठिनाइयो के कारण विवाद उत्पन्न

होता है एव अदायगी मे बाधा आती है। अव्यवस्थाओके मध्य १७६० से १७६४ के सभी पट्टो को स्वीकार किया गया। स्थायी समझौता अनेक प्रयासो के उपरान्त भी सफल नही हो पा रहा था। यद्यपि जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन का सहयोगी था किन्तु लार्ड कार्नवालिस की स्वार्थी नीति समझौते के दोषो को उजागर कर दे रहा था। कर्मचारियो की सख्या घटाई गई, सम्बद्ध अपराधी पाये गये लोगो को दडित किया गया तथा दस वर्षीय समझौता लागू किया गया। बकाया लगान नीलामी द्वारा वसूल किया जाता था। प्रत्येक जिले की पृथक प्रशसनिक सत्ता स्थापित की गई। समझौते का प्रबध नियत्रित करने के दृष्टिकोण से बोर्ड ने कलेक्टरो के ऊपर एक प्रेसीडेन्ट एव चार सदस्य नियुक्त किये। यह अदालत के मामलो को पुन सुनती थी तथा एक कोर्ट आफ वार्ड्स की स्थापना की गई। दोनो के अधिकार विभाजित किये गये। बोर्ड अपने अधीनस्थ अधिकारियो पर नियत्रण रखता था। कलेक्टरो के माग, आय, बकाया, का प्रति वर्ष १८ जुलाई तक ब्यौरा भेजना पडता था। सम्पूर्ण आय, माग, बकाया, रजिस्टर पर लिपिबद्ध किया जाता था। अग्रेजी और फारसी भाषा मे नियमित डायरी भरी जाती थी। जमीदार, ताल्लुकेदार, पर प्रतिबध लगाया गया कि वह भू–स्वामियो से उपहार नही ले सकते थे। न्यायालय के कार्य को एकरूपता के सूत्र मे बाधने के लिए लिखित बयान, मौखिक बयान, गवाहों को स्वय उपस्थित कराने के प्राविधान बनाये गये। कलेक्टर को निर्देश थे कि वह अपने कार्य का सचालन १७६५ के नियम–५ अनुभाग –७ के अनुसार ही करे। इसी प्रकार तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि को भी निर्देश दिये गये कि अपने अधिकार और सीमा के अन्तर्गत ही अपने कार्य का सचालन करे।

परवर्ती मुगल काल से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस प्रान्तके राजस्व सकलन का दायित्व जमीदारो को प्राप्त हो गया था। म्युटनी बस्ता मे उपलब्ध उद्धरण से स्पष्ट हैकि अधिकाश जमीदार राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान तथा अन्य जाति के थे। इसके अतिरिक्त बहुत से कुर्मी एव अभिजात्य कुल के जमीदार थे जिन्हे परम्परागत रूप से राजा की उपाधि मिली थी, उदाहरण स्वरूप–राजा शिव गुलाम दूबे (जौनपुर) राजा इरादत जहान (मुबारकपुर) राज बेनी माधव सिह (कन्तिथ) राजा बेनी बहादुर सिह (अठरौली)। इन्हे राजस्व सकलनके व्यापक अधिकार थे तथा इनकी प्रतिष्ठा उच्च थी। क्रमशः इनके अधिकार समाप्त हो रहे थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध बनारस प्रान्त का राजस्व बन्दोबस्त अनेकानेक गभीर दोषो से युक्त था जिसके परिणाम स्वरूप जमीदारियो मे पारस्परिक वैमनस्य एव सरकार को दी जाने वाली बकाया राशि की मात्रा बढती ही गई। बनारस प्रान्त की अधिकाश जमिदारियो मे अनेक व्यक्तियो का हिस्सा था और बन्दोबस्त के समय (इनके) दो या दो अधिक तीन प्रतिनिधि स्वेच्छा से चुन लिये गये एव उनके साथ राजस्व देय का निर्धारण कर पट्टे प्रदान किये गये। इन व्यक्तियो, जिनके प्रतिनिधि के रूप मे यह चुने गये थे। की इच्छाओ पर ध्यान न देते हुए तथा स्वेच्छाचारी चुनाव व्यवस्था द्वारा नियुक्त यह पट्टेदार ही जमिदारियो के प्रबध के निमित्त स्वामियो के रूप मे पजीकृत किये गये। इसमे कोई हॉनि तो नही थी किन्तु जहॉ प्रबध दोष-पूर्ण था वहॉ बकाया राजस्व प्राप्ति के लिए किये गये नीलाम विक्रयो से सम्पत्ति के उन हिस्सेदारो जिनकी प्रबंध में कोई भूमिका नही थी, के अधिकार 'निर्दयतापूर्वक' समाप्त कर दिये गये। इस प्रबध से अधिकाश जमीदारो मे असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई क्योकि अपनी ही जमीदारियो मे वे स्वय

को शक्ति हीन समझने लगे। कालान्तर मे मालगुजारी की किश्तो की यथा समय अदायगी न होने की परिस्थिति मे जमीदारियो की भूमि के नीलाम की व्यवस्था ने इस असन्तोष को और तीव्र रूप प्रदान किया। दीर्घकाल से चले आ रहे जमीदार परिवार इस प्रबध के अन्तर्गत अपनी पैतृक जमीदारियो के एक बडे भाग से वचित हुये तथा कुछ जमीदार तो पूर्णत अपनी जमीदारियो से हाथ धो बैठे। इस प्रकार जमीदारो के अधिकार एव उनकी सम्पदा अधिकाश सीमा तक नष्ट हो गई। जमीदारियो के दो वर्ग हो गये एक वर्ग था भूमि एव सम्पत्ति से वचित जमीदार एव दूसरा वर्ग था (निलाम के माध्यम से प्राप्त जमीन का स्वामी या जमीदार)। दोनो ही एक दूसरे के परस्पर बैरी थे। इस प्रकार न केवल नवनिर्मित जमीदार वर्ग पुरातन जमीदार के बैरी थे अपितु पुरातन जमीदार ब्रिटिश सत्ता के कठोर विरोधी थे। किन्तु जनता का एक बडा वर्ग इन पुरातन जमिदार से भावनात्मक रूप से जुडा था क्योकि उन्ही के साथ लम्बे समय से कार्य कर रहा था। नवनिर्मित जमीदार वर्ग के साथ न तो किसान वर्ग ओर जनता का स्नेह जुड सका। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रतिद्वन्दिता ने न केवल परस्पर विरोधी समुदाय को ही जन्म दिया अपितु इससे भू राजस्व व्यवस्था भी अधिकाश रूप मे प्रभावित हुई।

परिशिष्ट

ऐपेन्डिक्स-बी० (अ)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र

अट्ठारवीं शताब्दी में

व्यापारिक केन्द्र	आयात	निर्यात	टिप्पणी
(१) बनारस	मुख्य रूप से तेल उत्पादित करने वाले बीज, चीनी	सूती कपडे, नमक एव अन्य सामग्री	मुहम्मदाबाद के नाम से विख्यात था १८वी शताब्दी मे
(२) राम नगर बनारस जनपद	अनाज, चाबुक, गेट, स्टूल, कुर्सी	————————	राजा बनारस का निवास स्थान राजा बलवन्त सिह द्वारा स्थापित
(३) मिर्जापुर	पत्थर, वारनिश बनाने वाले चूरे, घी, कालीन ब्रास, लोहे के वर्तन, तेल के बीज, मसाला, पान, कच्चे रेशम, एव बन मे उत्पन्न होने वाली सामग्री,	वाले चूरे, लोहा, ब्रास, कापर, नमक, सूती वस्त्र के टुकडे,	मुख्य ट्रेडिग केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का १८ वी० शताब्दी मे
(४) चुनार (मिर्जापुर जनपद)	वर्तन, पत्थर, पामशुगर,	————————	मिलेट्री स्टेशन आफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का (ई०आई० कम्पनी) १८ वी० शताब्दी मे
(५) गाजीपुर	चीनी, अफीम जानवरो के खाल, गुलाबजल इत्र, अनाज,	सूती कपडे, अच्छे कपडे, नमक मसाला, धातु	तैयार अफीम चीन के व्यापारिक केन्द्र के लिए
(६) सैदपुर (गाजीपुर जनपद)	सूती वस्त्र, तेल के बीज, तम्बाखू, जानवरो के खाल, सब्जी,	————————	दक्षिण भाग की तहसील (गाजीपुर जनपद)
(७) जमानिया (गाजीपुर जनपद)	चीनी एव चावल	————————	स्थापित हुआ १५६० मे अली कुली खान द्वारा
(८) बलिया	तेल सम्बन्धित बीज, घी	चावल, मसाला, नमक, धातु,	प्रसिद्ध ददरी का मेला यहॉ वर्ष मे एक बार लगता है।

(६) मनियार (बलिया जनपद)	चीनी, तेल उत्पादक बीज, सूती कपडा आयात होता था बगाल को	अनाज, मुख्य रूप से निर्यात होता है गोरखपुर बस्ती एव नेपाल	———————
(१०) रसडा (बलिया जनपद)	चीनी, कारवोनेट आफ सोडा	सूती वस्त्र, मसाला, लोहा,	शहर का मुख्य व्यापारिक केन्द्र
(११) सहतवार (बलिया जनपद)	कच्चा माल एव चीनी	सूत, तम्बाखू, नमक, इगलिश पीस सामग्री	अग्रेजी पीस गुड्स के प्रमुख वितरक केन्द्र
(१२) शिकन्दरपुर (बलिया जनपद)	गुलाब इत्र एव अन्य प्रकार के इत्र बगाल को जाते थे।	———————	स्थापित हुआ था सिकन्दर लोदी के शासन काल मे
(१३) जौनपुर	इत्र, चीनी, अनाज,	———————	———————
(१४) मुगराबादशाह पुर (जौनपुर जनपद)	चीनी	सूत इलाहाबाद से	सुल्तान इब्रहाहिमशाह द्वारा स्थापित हुआ था, जो जौनपुर का सुल्तान था।
(१५) शाहगज (जौनपुर जनपद)	अनाज	सूत,	बडा अनाज का गोदाम था जो नबाव सुजाउद्दौला द्वारा स्थापित था।
(१६) जफराबाद (जौनपुर जनपद)	कागज	———————	प्रसिद्ध क्षेत्र था कागज उत्पादन का १८वी० शताब्दी मे

१— स्रोत— यह टेबुल तैयार किया गया है उस आधार पर जो वर्णित है एव दिया हुआ है इम्पीरियल गजेटियर मे भारत के (प्रोविसियल सिरीज) जिल्द (दो) (कलकत्ता १६०८)

ऐपेन्डिक्स- (एफ) (ब)

विभिन्न फसली वर्षो के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग बनारस जनपद में

परगना एव तहसील	१७७५	१८४०	१८८२
निर्धारित नौ परगनो से सृजित चन्दौली तहसील	२,६४,८६८	२,८२,८५५	२,८०,६६६
निर्धारित एक परगने से सृजित भदोही तहसील	१,७६,६५६	————	————
निर्धारित ग्यारह परगनो से सृजित बनारस (सदर) तहसील	६,१२,५६२	६,३४,५५४	६,१५,५३४
सम्पूर्ण राजस्व योग	१०,८७,११६	६,१७,४०६	८,६६,२००

एफ०डब्लू० फारेस्ट० – फाइनल रिपोर्ट आफ दी सर्वे एण्ड रीविज आफ रेकार्ड

ऐपेन्डिक्स- (एफ) (स)

विभिन्न फसली वर्षो के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग मिर्जापुर जनपद में

परगना एव तहसील	१८४२–४७ R. A. P.	१८८५ R. A. P.
निर्धारित आठ परगनो से सृजित मिर्जापुर तहसील	३,१७,६३८–०–०	१,६६,६२६–६–०
निर्धारित सात परगनो से सृजित चुनार तहसील	२,८७,५६१–६–२	२,७२,४८८–१२–१
निर्धारित चार परगनो से सृजित दृग्धी समेत राबर्ट्सगज	६३,६०४ – ० – ०	———————— —
सम्पूर्ण राजस्व योग	६,६८,८०३–६–२	४,३६,११५—२–१

जी० एल० – फाइल रिपोर्ट ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट १८८७ एव डी० एल० बी० ब्राचमैन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर १६११ (सस्करण)

ऐपेन्डिक्स- (जी) (द)

विभिन्न फसली वर्षो के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग जौनपुर जनपद में

परगना एवं तहसील	१७८६	१७६३	१८४१	१८८१
निर्धारित पाँच परगनो से सृजित केराकत तहसील	१,३३,३५१	१ ३४ १८६	१ ३६ ६७८	१,८०,०६७
निर्धारित चार परगनो से सृजित खुटहन तहसील	१,४७,४३५	१,४८,१५०	२,२८,०७२	२,२५,८२३
निर्धारित तीन परगनो से सृजित मछली शहर तहसील	२,६३,८६३	२,७४,१०२	२,८२,३४६	२,८२,३६४
निर्धारित तीन परगनो से सृजित मडियाहू तहसील	३,१६,८१८	३,२६,६११	३,२५,३३७	३,२२,३८०
निर्धारित छ परगनो से सृजित जौनपुर तहसील	२,६२,३६८	२,६५,६०६	२,७७,२३०	२,३६,१०२
सम्पूर्ण राजस्व योग	११,५६,८६५	११,८१,६५८	१२,५२,६६३	१२,४६,७६६

चेस्टर·– रिपोर्ट ऑफ दी रिवीजन ऑफ रेकार्ड सेटिल्मेण्ट औपरेशन इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर १८७७–१८८६ एव एच० आर नेविल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ जौनपुर (१६०८ सस्करण)

ऐपेन्डिक्स- (एच०) (य)

विभिन्न फसली वर्षो के अनुसार की गई भू-राजस्व मॉग गाजीपुर जनपद में

परगना एवं तहसील	१७८८—८६	१७६४	१८४०	१८८०
निर्धारित तीन परगनो से सृजित गाजीपुर तहसील	२,३३,६८६	२,५६,८३१	२,६८,८६२	२,७३,७४४
निर्धारित तीन परगनों से सृजित मुहमदाबाद तहसील	२,२७,०६६	२,३६,४१७	२,५८,६५३	२,४५,१३६
निर्धारित दो परगनो से सृजित जमानिया तहसील	२,३०,६८२	२,३३,३२५	२,३५,०८०	२,४२,७८१
निर्धारित चार परगनो से सृजित सैदपुर तहसील	७८,३५४	७६,०६७	२,७३,११८	२,७१,०३३
सम्पूर्ण राजस्व योग	७,७०,१२४	८,०८,६४०	१०,३५,७१३	१०,३२,६६७

डब्लू इरविन – रिपोर्ट एण्ड सेटिलमेण्ड ऑपरेशन ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (१८६५—१६८०)

विशिष्ट शब्दावली की सूची

विशिष्ट शब्दावली सूची

अबवाब– निर्धारित भू–राजस्व के साथ कृषको पर लगाये जाने वाले विविध कर

अमला– सेवको का समूह

अमीन–स्थानीय स्तर पर जॉच पडताल करने हेतु नियुक्त राजस्व अधिकारी

असली मौजा– मूल ग्राम जिसका आकार बडा हो

आमिल– राजस्व सग्राहक, राजस्व ठीकेदार,

अषाढ–वर्ष का दसवा महीना

आसामी–खेत जोतने वाला कृषक

अदालत–न्यायिक कोर्ट

अमानत दफ्तर– मुस्लिम काल का एक कार्यालय जिसमे अधीक्षक होता था, सिविल सूट के लिए

आमिलनामा– आमिल के लिए वारन्ट अथवा लिखित आदेश

इजारा– कर उगाहने की एक पद्धति

इकरारनामा–सामान्य स्वीकृति पत्र

इस्तमरारी– स्थाई अवधि

उपायन—भेट

कट्ठा— भूमि पैमाइश की एक इकाई

करघई— बुनकरो पर लगने वाला टैक्स

काछी— कृषको की एक जाति

काजी—न्याय अधिकारी

कानूनगो—भू—अभिलेख रखने वाला

कारिन्दा—सेवक प्रतिनिधि

काश्ताकार—दखलकारी अधिकार रखने वाला कृषक

किलादार—किले का गवर्नर

कोर्ट आफ वार्डस—मृतक लोगो के सम्पत्ति के सदर्भित उत्तराधिकार की अदालत

किश्त— राजस्व भुगतान का अंश

कोस—भूमि पैमाइश इकाई

खानाशुमारी—गृह कर

खाम—सरकार द्वारा कृषको से भू—राजस्व की सीधे व्यवस्था

खिलवत—सम्मान सूचक वस्त्र

खुदकाश्त रैयत–वे कृषक जो स्वय अपनी भूमि पर खेती करते हो स्थाइ कृषक

खून बहा वित्त–मृत्यु के पश्चात् प्राप्त वित्त (जीविका हेतु)

गजर–बाजार कर, हाट कर,

गुमास्ता–जमिदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी जो किराया वसूल करे।

घर दुआरी–गृह कर

चक– विभाजित भूमि का भाग

चकलादार–दीवानी एव फौजदारी अधिकार सम्पन्न चकला का प्रशासक

चेला–घेरलू सेवक

चौधरी–गॉव अथवा पेशे का मुखिया, कही जमिदार का भी सूचक है।

चौधरी कलवारान–कलवार चौधरी

छटाक–तौल का वाट १/१६ सेर के बराबर

छपर बन्द रैयत–गाव मे निवास करने वाला कृषक

जमा–सरकारी राजस्व

जलकर–जल मे उत्पन्न होने वाले वनस्पतियो एव जीवो पर लगने वाला कर

जागीर– वह भूमि जो सेवाओ के करने के उपरान्त प्राप्त हुई हो अथवा जीवन यापन के लिए दी गई हो।

जिलादार– जिले का राजस्व अधिकारी जो आमिल द्वारा भी नियुक्त किये जाते हो।

जेष्ठ–बडा–वर्ष नवा महीना

झरी–अनाज पर लगने वाला कर

टकी– जमिदार को मिलने वाला मालिकाना

डोम–भारत की सब से निम्न जाति

डोम कहार–क्षत्रियो की एक जाति

तकावी–अग्रिम राशि जो कृषको को पशु एव बीज के लिए दिये जाते थे।

तप्पा– कई गावो के समूह की ईकाई

ताल्लुका–आधीनस्थ राज्य, राजस्व प्रशासन की दृष्टि से एक जमीदार अथवा जमीदारो के एक परिवार के आधिपत्य मे रहने वाले अनेक गावो की ईकाई भू–राजस्व की दृष्टि से परगने का एक ईकाई

तलबाना–आधीनस्थ अधिकारी को देय प्रतिदिन की तनखाह

तसखीस–सशोधित कर निर्धारण

ताल्लुकदार–ताल्लुके का धारक अथवा राजस्व सग्राहक

ताहुद–पट्टा, राजस्व सम्बन्धी अनुबन्ध

थोदार–विभाजित जमीदारी के अनुभाग का स्वामी

दरमाह– प्रतिमाह की दर से

दस्तूर–उल–अमल–सामान्य नियम या व्यवहारिक नियम

दस्तूरी–प्रथागत मजदूरी

दइयक–स्वामित्व के अधिकार के कारण जमीदार को दिया जाने वाला धन जो १० प्रतिशत की दर से हो।

दखिली मौजा– उजडा गाव पूर्णरूपेण अथवा आश्रित पुरवा

दीवान–राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी

दो विस्वी–जमिदार को दो विस्वा पर दिया जाने वाला धन राशि

नजराना–कृषको द्वारा जमिदार को दिया जाने वाला समय–समय पर भेट या उपहार

नाजिम–सूबे का गवर्नर

नाजिर–दरबार का अधिकारी जो जॉच पडताल का अधिकार रखता हो

नानकार–स्वामित्व अधिकार के कारण जमिदारो को दिया जाने वाला धन जो सरकारी राजस्व हेतु अनुबधित होने की दशा मे मिलता हो।

नायब–सहायक

निजजोत–जमीदारों द्वारा स्वय खेती की जाने वाली भूमि

पट्टा–राजस्व भुगतान सम्बन्धी अनुबध

पट्टादार–राजस्व भुगतान सम्बन्धी अनुबध का धारक

पट्टीदार–विभाजित जमीदारी के एक अनुभाग का स्वामी

परगना–सरकार अथवा जिले का राजस्व प्रशासन सम्बन्धी एक इकाई

परवाना– लिखित आदेश उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ के लिए

पाही काश्त कृषक–वे कृषक जो जमिदारो के बाहर के गावो से आते थे।

पुरजोत–भूमि कर जो निवास योग्य भूमि पर लिया जाता हो।

पेशकश–जमिदारो द्वारा सरकार को दी जाने वाली भेट या उपहार

फसलीसन–फसल के अनुसार तय किया गया वर्ष

फौजदार–मजिस्ट्रेट के समान का पुलिस अधिकारी

बख्शी–सेना की भर्ती या वेतन देने वाला अधिकारी

बनकर–बाग, बगीचे, फल, फूल पर लगने वाला टैक्स

बनरखा–बनरक्षक

बासिल बाकी–बकाया कलेक्शन

बबुआई– जमिदार के छोटे लडके को जीवन यापन हेतु प्राप्त होने वाला भू–भाग सम्बन्धी अधिकार

विर्त्त–जीविका हेतु प्रदान किया जाने वाला भूमि अनुदान

विर्तिया–विर्त्त के रूप में भूमि अनुदान प्राप्त करने वाला

विस्वा–बीघे का १/२० भाग

बीघा–३१३६ वर्गगज भूमि के बराबर के भू–भाग

बेगार लेना– नि शुल्क कार्य कराना

भर–आदिम जाति

भययाचारा–जमिदार परिवार के सदस्यो द्वारा सयुक्त रूप से विशिष्ट अधिकार एव अनुलाभ रखना

मडवानी शादी–विवाह कर

मन–तौल की इकाई ४० सेर के बराबर

मत्स्य कर–मछली मारने पर लगने वाला कर

भरवट विर्त–सघर्ष मे मरने वाले के परिवार को जमिदार की ओर से दिये जाने वाले वित्त

महतो–मुखिया

महाल–राजस्व प्रशासन की दृष्टिस भूमि सम्बन्धी ईकाई परगना के समकक्ष

माफी– राजस्व मुक्त

मालगुजार—राजस्व दाता, जमिदार का द्योतक

मालवाजिब—पैमाइश के आधार परदिया जाने वाला भू—राजस्व

मालिकाना—भूमि सम्बन्धी अधिकार के कारण सरकारी राजस्व हेतु अनुबन्धित न होने की दशा मे जमीदार को दिया जाने वाला धन

मुकद्‌दम—गाव का मुखिया

मुजारा—वे किसान जो अन्य साधनो से कृषि कार्य करते थे।

मुफ्सिल कचहरी—आन्तरिक भागो मे स्थित कार्यालय

मुसहर—एक आदिम जाति।

मुहाफ्फिजखाना—अभिलेखागार

मोचबिन्दी विर्त्त—जमीदारी की सीमाओ की रक्षा हेतु दिया जाने वाला ऋण

मौजा—गाव

मौरूसी—बशानुगत

रसूम—ए—जमीदारी—अनाज या धन नगद रूप मे जमिदार को मिलने वाला नानकार

राजगी—प्रमुख जमिदारो द्वारा एकत्रित किये जाने वाले विविध कर

राहदारी—गमन कर केवल सडको से सबधित कर

रियाया—प्रजा

रिसालादार–अश्वारोहियो की टुकडी का प्रमुख अधिकारी

रेजीडेन्ट–ईस्ट इडिया कम्पनी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि

रैयत–कृषक

रैयती–कृषको से सम्बन्धित

वकील–अधिकार सम्पम्पन्न प्रतिनिधि

वासिल बाकी–एकत्रित राजस्व का बकाया राजस्व

सजावल–राजस्व एकत्रित करने हेतु नियुक्त अधिकारी

सदर कचहरी– प्रमुख कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय

सदावर्त– भोजन दान, लगर

सनद–दस्तावेज

सपथ–राहदारी

सरकार–प्रशासनिक ईकाई

सरबराकार–प्रबधक

सरिश्तादार–प्रधान लिपिक–कानूनगो की पदवी

सीर–जामिदार स्वय की खेती की जाने वाली भूमि

सूबा–प्रान्त, मुगल साम्राज्य की सब से बडी इकाई

सेर जमीदारी–भू–राजस्व के अतिरिक्त जमीदारी मे लगने वाले विविध कर

हुक्क–ए–जमिदारी–नानकार या मालिकाना के अतिरिक्त जमीदार के अन्य अनुलाभ

हरी बेगारी– जमीदार द्वारा बेगार के रूप मे कृषको के हल बैल की परम्परा के अनुसार निजी लाभ लेना

लट्ठा–माप करने वाला राड एक बीघा बराबर २० लट्ठे के

लम्बरदार– जो सरकारी देय के लिए नियुक्त किया गया हो।

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

मूल अंग्रेजी रेकार्ड (अप्रकाशित)

(अ) बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स

रेकार्ड्स आफ दी बनारस डिवीजन

(१) पोलिटिकल लेटर्स इशूड बाई दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल (१७९५–१८१०)

(२) मिस्लेनियस लेटर्स रिसीव्ड बाई दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल (१७९५–१८१०)

(३) ओरिजनल करसपान्डेन्स ऑफ दी रेजिडेन्ट (१७७६–१७९५)

(ब) बनारस करसपान्डेन्स (बनारस कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) रेवेन्यू करसपान्डेन्स लेटर्स इशूड फ्राम (१७९९–१८१०)

(२) लेटर रिसीव्ड फ्राम १७९९ टू १८१०

जुडीशियल करसपान्डेन्स

(१) लेटर रिसीव्ड फ्राम १७९६ टू १८१०

(२) लेटर इशूड एण्ड रिसीव्ड फ्राम १८००–१८१०

(स) मिर्जापुर करसपान्डेन्स (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) लेटर इशूड फ्राम दी गवर्नमेन्ट टू दी मजिस्ट्रेट (१७६५–१८१०)

(२) लेटर इशूड फ्राम निजामत अदालत एण्ड कोर्ट आफ सर्किट टू दी मजिस्ट्रेट, (१७६५–१८११)

(३) कापीज आफ लेटर्स रिलेटिग टू मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट टू दी कलेक्टर आफ बनारस (१७६५–१८१०)

(४) लेटर इशूड वाई दी मजिस्ट्रेट, (१८०३–१८१०)

(५) सरकुलर आर्डर्स इशूड वाई दी निजामत अदालत (१७६५–१८२७)

(द) गाजीपुर करसपान्डेन्स (गाजीपुर कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) करसपान्डेन्स विद कलेक्टर आफ बनारस रिलेटिग टू गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (१८०२–१८२०)

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

(१) बगाल सीक्रेट कन्सल्टेशन (१७६४–१७७५)

(२) बगाल सेलेक्टेड कमेटीज प्रोसीडिग्स (१७६५–१७७५)

(३) बगाल पोलेटिकल कनसल्टेशन (१७६५–१७७५)

(४) होम पब्लिक कनसल्टेशन (१७६५–१८०१)

(५) सेप्रेट रेवेन्यू लेटर्स फ्राम एण्ड टू दी कोर्ट (१७६६–१७६६)

(६) फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन (१८५०–१८५६)

(७) सीक्रेट सेलेक्ट कमेटी प्रोसीडिग (१७६५–१७७५)

(८) फारेन पोलेटिकल कन्सल्टेशन (१८५४–१८५६)

बोर्ड आफ रेवेन्यू रिकार्ड्स

(१) प्रोसीडिग्स आफ दी बोर्ड आफ रेवेन्यू एट फोर्ट विलियम (१८०३–१८०७)

(२) करसपान्डेन्स रिगार्डिंग डोमिनियन्स आफ राजा आफ बनारस (१८२८–१८४६)

सचिवालय रेकार्ड

(१) आगरा नरेटिव फारेन डिपार्टमेन्ट

(२) टेलीग्राम सेन्ट टू एण्ड रिसीव्ड बाई ई ए रीड

मूल अंग्रेजी रेकार्ड्स (प्रकाशित)

(१) कलेन्डर आफ इडियन स्टेट पेपर्स (सीक्रेट सिरीज) १७७४–१७७५

(२) डाडवेल, एच०– वारेन हैस्टिग्स लेटर्स टू जान मेकफर्सन लन्दन १९२७

(३) फर्मिन्गार, डब्लू ० के०– दी फिफ्थ रिपोर्ट फ्राम दी सेलेक्टेड कमेटीज आफ हाउस आफ कामन्स आन दी अफेयर्स आफ दी ईस्ट इन्डिया कम्पनी १८१२ तीन जिल्द मे (कलकत्ता १९१७–१९१८)

(४) फारेस्ट, जी० डब्लू– लेटर्स डिस्पैचेज एण्ड अदर स्टेट पेपर्स (१७७२–१७८५) तीन जिल्द मे १८९२

(५) फारेस्ट, जी० डब्लू– सेलेक्शन फ्राम दी स्टेट पेपर्स आफ दी गवर्नर जनरल आफ इन्डिया, वारेन हैस्टिंग्स दो जिल्द मे आक्सफोर्ड १९१०

(६) ग्रिजर, सेडने, सी०–दी लेटर्स आफ वारेन हैस्टिंग्स टू हिज वाइफ (लन्दन १९०५)

(७) हैस्टिंग्स, डब्लू० ए० –नरेटिव आफ इन्सरेक्सन व्हिच हैपेन्ड इन दी जमिन्दारी आफ बनारस (रुढकी १७८२)

(८) मेम्वायर्स रिलेटेड टू दी स्टेट आफ इन्डिया (लन्दन १७८६)

(९) हैस्टिंग्स जी० डब्लू–ऐ विन्डिकेशन आफ वारेन हैस्टिंग्स, आक्सफोर्ड–१९१९

(१०) रिपोर्टस (१–IX) फ्राम दी सेलेक्ट कमेटी एप्वाइन्टेड टू टेक इनटू कनसिडरेशन दी स्टेट आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन बगाल

(११) यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर्स वजट स्पीच फार (1951-1952)

(१२) गवर्नमेन्ट आफ इडिया टैक्सेशन्स इन्क्वाइरी कमेटी रिपोर्ट (१९५४) बिहार, उडीसा, (१७८२–१७८३)

(१३) रिपोर्ट्स फ्राम दी कमेटी आफ दी हाउसआफ कामन्स जिल्द (५) ईस्ट (१७८१–१७८२) १८०४

(१४) मिनट्स आफ ऐवीडेन्स टेकेन बिफोर दी सेलेक्ट कमेटी आन दी अफेयर्स आफ दी ईस्ट इन्डिया कम्पनी (पार्लिमेन्टरी पेपर्स) १८५५, नम्बर ४४५–१)

(१५) सेलेक्शन फ्राम रेवेन्यू रेकार्ड आफ दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज (१८१८–१८२०) कलकत्ता १८६६

(१६) ए० कैटेलाग आफ स्टेट पेपर्स एन० डब्लू० पी० जुडीशियल सिरीज इलाहाबाद–१६५६

(१७) सेलेक्शन फ्राम इगलिश रेकार्ड्स–बनारस एफेयर्स (१७७६–१८५८) दो जिल्द मे इलाहाबाद १६५४–५६

(१८) सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्ड्स, दो जिल्द मे वाई– सेक्सपीयर, ए० (बनारस १८७३)

(१६) शेक्सपीयर्स, एच०–ऐन ऐब्स्ट्रेक्ट आफ रेग्युलेशन इनऐक्टेड फ्राम दी ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ पुलिस एण्ड क्रीमिनल जस्टिस इन दी प्राविन्स आफ बगाल, बिहार एण्ड उडीसा, कलकत्ता– १८२४

(२०) शार्प, एच०– सेलेक्शन फ्राम ऐजुकेशनल रेकार्ड्स पार्ट (१) १७८१–१८६६ कलकत्ता १६२०

(२१) ऐचकिसन, सी०यू०– दी ट्रीटीज इन्गेजमेन्ट एण्ड सनद जिल्द (२) कलकत्ता १६०६

(२२) ट्राटर जे० एल– वारेन हैस्टिग्स 'ए बायोग्राफी'

(२३) बौन्ड, ई०ए०—स्पीचेज आफ दी मैनेजर्स एण्ड कौसल्स इन दी ट्रायल आफ वारेन हैस्टिंग्स चार जिल्द मे लन्दन (१८५६—६१)

(२४) हिस्ट्री आफ ट्रायल आफ वारेन हैस्टिंग्स (१७८६—६५) लन्दन १७६६

(२५) मिनट्स आफ ऐविडेन्स टेकेन बिफोर ए कमेटी आफ दी होल हाउस आफ काम्स लन्दन १७८७

(२६) डेवीज सी० जी० — दी बनारस डायरी (ऐडिटेड) लन्दन १६४८

(२७) डेवीज, जे० एफ०— वजीर अली खॉ आर दी मेराकर आफ बनारस (ऐ चैप्टर न इन्डियन हिस्ट्री) बनारस १६३८

(२८) इरविन, डब्लू— रिपोर्ट आन सर्वे एण्ड रीवीजन आफ रिकार्ड्स बनारस डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद १८३६

(२६) ओल्डम्, डब्लू—हिस्टारिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल मेम्वयर्स आफ दी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (दो जिल्द मे) इलाहाबाद १८७०

(३०) डगलस डेवर— ऐ हैन्ड बुक टू दी प्रीम्प्यूटनी रेकार्ड

(३१) कलेण्डर आफ पर्शियन करसपाण्डेन्स

गजेटियर्स

(१) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (बनारस) १६०६ नेवेल एच० आर०

(२) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (गाजीपुर) १९०९ नेवेल एच० आर०

(३) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (मिर्जापुर) १९११ नेवेल एच० आर०

(४) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (जौनपुर) १९०८ नेवेल एच० आर०

(५) फिशर, एफ०एच०एव हेवेट, जे० पी०, गजेटियर आफ एन० डब्लू० पी० (बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर) जिल्द XIV इलाहाबाद १८८४

(६) इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया जिल्द XII

जर्नल एण्ड रिपोर्ट्स (अंग्रेजी)

(१) जर्नल आफ ऐशीयाटिक सोसाइटी आफ बगाल जिल्द IXII पार्ट (१) १८९३ पृष्ट ५५–५६ "हिस्ट्री आफ द ईस्ट इन्डिया कम्पनीज क्वायनेज, वाई–एस० थर्सटन

(२) ऐशियाटिक रिसर्चेज जिल्द (५) दी ऐकाउन्ट आफ दी डिस्कवरी आफ टू टर्न्स इन दी विसिन्टी आफ बनारस, वाई जे० डकन

(३) जर्नल आफ गगा नाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट नम्बर १९४३ 'टू सस्कृत मेमोरेन्डा आफ १७८७' वाई एस० एन० सेन

(४) जर्नल आफ इन्डियन हिस्ट्री जिल्द (३) पार्ट (१) मार्च १९२६, वारेन हैस्टिंग्स एण्ड हिज ऐक्युजर्स बाई पी० ई० राबर्ट

(५) प्रोसीडिगआफ दी इण्डियन हिस्टारिकल रेकार्डस कमीशन जिल्द XXX पार्ट (१) हैदराबाद सेशन १९५४. ' चेतसिह एण्ड हैस्टिग्स, बाई हसन अस्करी

(६) प्रोसीडिग आफ दी इन्डियन हिस्ट्री काग्रेस सत्ताइसवा सेशन इलाहाबाद १९६५, "दी वकील्स इन दी अर्ली ब्रिटिश जुडीशियरी आफ बगाल बाई पी०एन० बेनर्जी

(७) प्रोसीडिग आफ दी इडियन हिस्ट्री रिकार्ड्स कमीशन जिल्द XIV १९३७ 'सम साइड लाइट्स आन दी हिस्ट्री आफ बनारस' बाई के० आर० कानूनगो

(८) चटर्जी, एच०सी०–नोट्स आन दी इन्डस्ट्रीज इन यू०पी० इलाहाबाद–१९१८

(९) डैम्पियर, जी० आर०–ए मोनोग्राफ आन दी ब्रास एण्ड कापर वर्क्स इन दी एन०डब्लू पी० एण्ड अवध, इलाहाबाद, १८९४

(१०) गनी, सी० डब्लू–मोनोग्राफ आन दी मेन्यूफेक्चर आफ वायर एण्ड टिनसेल इन दी यू०पी० इलाहाबाद–१९१०

(११) रिपोर्ट आफ दी रायल कमीशन आफ ओपियम, १८९४–१८९५

(१२) रिपोर्ट आन दी रिवीजन आफ रेकार्ड्स एण्ड सेटिलमेन्ट औपरेशन इन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट १८८६

(१३) रिपोट आन दी कम्पलीशन ऑफ दी रिवीजन ऑफ रेकार्ड्स एण्ड सेटिलमेण्ट ऑपरेशन इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद १८८७

(१४) बर्नाड एस० कोन०— पोलेटिकल सिस्टम इन ऐट्टीन्थ सेन्चुरी इन इडिया (जर्नल आफ अमेरिकन सोसाइटी जिल्द ८२ अक (३)

शोध ग्रन्थ (अप्रकाशित)

(१) एस०एन० सिन्हा—'सूबा आफ इलाहाबाद अण्डर दी ग्रेट मुगल्स'

(२) एम० एम० खान—'ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज आफ इडिया' (१७००—१७५०)

(३) सैयद नजमुल रजा रिजवी ' स्टडी आफ जमिदार्स आफ इस्टर्न यू०पी० इन एट्टीन सेन्चुरी'

(४) मदन गोपाल श्रीवास्तव ' आस्पेक्ट आफ अर्बन सोसाइटी आफ इस्टर्न यू० पी० इन एट्टीन्थ सेन्चुरी

(५) नीरा दरबारी—नार्दर्न इडिया अण्डर औरगजेब सोशल एण्ड एकोनामिकल कण्डीशन।

परशियन स्रोत

(१) हदीकद-उल-अकलिम

मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी द्वारा लिखित जो सचिव था कैप्टन जोनाथन स्काट का साथ ही परशियन सचिंव था वारेन हैस्टिंग्स का, उसने लेखन का यह कार्य उनके व्यक्तिगत निवेदन पर पूर्ण किया। १७८०—८१ तक के

लिए यह पुस्तक उपयेागी है। उपरोक्त पुस्तक सादत खॉ, सफदरजग, चेतसिह, के सदर्भ मे व्याख्या करती है।

(२) तहजीह-उल-गफलिन

इसके मूल लेखक लन्दोनी है जो रेवेन्यू अधिकारी थे आसफुद्दौला के समय मे। यह १२११ मे कलकत्ते से प्रकाशित हुई जिसका अनुवाद १८८५ मे डब्लू० होये० द्वारा हुआ। यह आसफुद्दौला के समय का इतिहास है।

(३) यादगारी-बहादुरी

बहादुर सिह भटनागर द्वारा लिखित १८४२ मे अपने तरह का विशिष्ट कार्य है जो मेम्वायर एव गजेटियर की तरह का है। यह देश के भौगोलिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामग्रियो से युक्त है और साथ ही परशियन कवियो के जीवन की व्याख्या भी प्रस्तुत करता है।

(४) तोफाय-ताज अथवा बलवन्तनामा

खैर उद्दीन मोहम्मद द्वारा १७८० मे रचित यह विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करता है। उपरोक्त पुस्तक बनारस के शासको के सदर्भ मे व्याख्या करता है। ११६६ से १७८०, तक के अर्थात मनसाराम से प्रारम्भ होकर यह सादत खान, सफदरजग, सुजाउद्दौला, एव वारेन हैस्टिग्स तक के विषय में प्रकाश डालता है। दूसरी तरफ मनसाराम, बलवन्त सिह, चेतसिह के सदर्भ मे भी विचार प्रस्तुत करता है। इसका अनुवाद १८७५ मे फ्रेडिक कार्वेन द्वारा हुआ।

(५) जौनपुर-नामा

खैर उद्दीन द्वारा लिखित १७६६ मे यह जौनपुर के इतिहास से सम्बन्धित है। यह वारेन हैस्टिंग्स पर भी यथेष्ट प्रकाश डालती है जो बाद मे पोवायशन द्वारा अनुवादित हुआ।

उर्दू स्रोत

(१) तवारी खे–ईश्वरी (इलाहाबाद म्यूजियम) सैयद अमीर अली द्वारा लिखी गई है। उपरोक्त पुस्तक बनारस के शासक परिवार के राजनैतिक इतिहास का एक रूप है जो मनसाराम से प्रारम्भ होकर ईश्वरी नारायण सिह तक का है। यह पुस्तक १८५० मे लिखी गई।

(२) दीक्षित–एस० मजहर–तारीखे बनारस (दो जिल्द मे बनारस १९१६)

संस्कृत अभिलेख अप्रकाशित

(१) दीक्षित शकर–चीतो बिलास–काशीराज विद्यामन्दिर ट्रस्ट वाराणसी मे सुरक्षित (हस्तलिपि)

(२) बलभद्र–चेतसिह विलास–काशीराज विद्यामन्दिर ट्रस्ट वाराणसी मे सुरक्षित (हस्तलिपि)

हिन्दी स्रोत

(१) सतीश चन्द्र– उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास

(२) नोमान अहमद सिद्दीकी—मुगलकालीन भू—राजस्व प्रशासन (१७००—१७५०)

(३) मोरलैण्ड—मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था

(४) हरीशकर श्रीवास्तव—मुगल प्रशासन

(५) सम्पूर्णानन्द—चेतसिह और काशी का विद्रोह

(६) सुन्दर लाल—भारत मे अग्रेजी राज्य

(७) शेफाली चटर्जी—शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास

(८) ए०एल० श्रीवास्तव अवध के दो नवाब

(९) ए०एन० सिह— इतिहास की दृष्टि मे गाजीपुर

हिन्दी अभिलेख (अप्रकाशित)

चेत चन्द्रिका —गोकुल नाथ बदीजन

उपरोक्त १८०१ मे लिखित सामान्य वशावली है बनारस राज की खित्तू मिश्रा से लेकर राजा चेतसिह तक की।

समाचार पत्र जर्नल एवं रिपोर्ट हिन्दी में

(१) हस प्रकाशन ' हस काशी अक, अक्टूबर, नवम्बर, १९३३

(२) काशी नागरी प्रचारणी सभा 'अक—३,४,—पत्रिका १९३३

(३) कल्याण पत्रिका

(४) 'भारत' समपचार पत्र

(५) 'आज' समाचार पत्र

सहायक ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ सूची

अरनाल्ड, एडविन–दी मारक्विस आफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन आफ ब्रिटिश इन्डिया भाग २ (लन्दन १८६५)

अल्तेकर ए० एस०– हिस्ट्री आफ बनारस (बनारस १६३७)

अशरफ, के०एम०–लाइफ एण्ड कडीशन आफ दि पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान (१२००–१५००) कलकत्ता (१६३५)

अगनाइड्स एन०पी०–मुहम्मडन थ्योरीज आफ फाइनेन्स (न्यूयार्क १६१६)
आकलैण्ड, रेव (टी०ए०) – पापुलर ऐकाउन्ट आफ मैनर्स एण्ड कस्टम्स इन इडिया (१८४७)

अल्तेकर, ए० एस० एण्ड मजूमदार आर०सी०–एन्यू हिस्ट्री आफ इडियन पीपुल्स जिल्द (६) लाहौर–१६४६

आर्चर, डब्लू०–इडिया एण्ड दी फ्यूचर–१६१७

अस्कोली, एफ० डी०–अर्ली रेवेन्यू हिस्ट्री आफ बगाल एण्ड फिफ्थ रिपोर्ट (आक्सफोर्ड) १६१७

अस्पिनाल, ए०– कार्नवालिस इन बंगाल (मेन्चेस्टर १६२३)

एरिक स्टोक्स–दी इगलिश यूटिलिटेरियन्स एण्ड इडिया (आक्सफोर्ड १६५६)

एन्स्टी वीरा–दी इकोनामिक डेवेलपमेन्ट आफ इडिया (लन्दन १६३६)

ऐडवर्ड डब्लू–पर्सनल ऐडवेन्चर्स डयूरिंग दी इडिया

वाकिल सी०एन०– गान्धीयन एकनामिक थाट

विश्वेशरैया– ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दी स्टडी आफ इडियन ऐकोनामिक्स

बेबरीज हेनरी– ए कम्प्रहेसिव हिस्ट्री आफ इन्डिया (दिल्ली १७७४)

ब्राउन पर्सी–इडियन आर्किटैक्चर (इस्लामिक पीरियड) तारापुर वाला (१६६४)

ब्लोच मैन एच०– आईने अकबरी का अनुवाद जिल्द (१) द्वितीय सस्करण (१६६५)

बेनर्जी ए०सी०–कास्टीट्यूशनल डाक्यूमेट जिल्द (१) द्वितीय सस्करण (१६६५)

बेनर्जी ऐ०सी०–कास्टीट्यूशनल डाक्यूमेट जिल्द (१) १६४८

भटनागर जी०डी०–अवध अण्डर वाजिद अली शाह (बनारस १६६८)

वाट जी०–डिस्कवरी आफ इकोनामिक प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया जिल्द (४) कलकत्ता १८६०

भार्गव एम० एल० –हिस्ट्री आफ मार्डन इण्डिया (१६७०)

बुकनान–ऐ जर्नी फ्राम मद्रास थ्रू मैसूर केनरा एण्ड मालाबार/बेडेन पावेल बी० एच०–लैण्ड सिस्टम आफ ब्रिटिश इण्डिया, जिल्द (३)

(आक्सफोर्ड १८६२)

बासू, बी०डी०—ऐजुकेशन इन इण्डिया अण्डर दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी (कलकत्ता)

बर्नियर, फ्रान्सिस—ट्रेवेल्स इन मुगल इम्पायर (१६५५—६८) A.D. १८६१

बोमन बरहम बी०के०—ऐजुकेशनल कनट्रोवर्सीज इन इडिया बम्बई (१६४३)

ब्रिज, जान—हिस्ट्री आफ राइज आफ मोहम्मडन पावर इन इन्डिया टिल दी इयर १६१२ एo डीo (कलकत्ता १६०८)

भारतीय, विद्याभवन—हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुल्स जिल्द १—४ (बम्बई १६६०—६५)

चन्द्र सुधीर— डिपेन्डेन्स एण्ड डिसइल्यूजमेन्ट (मानस पब्लिकेशन) (१६७५)

चेटर्जी एच० सी०—नोट्स आन इन्डस्ट्रीज इन यू०पी०

चन्द्र, विपिन— दी राइज एण्ड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिज्म इन इण्डिया (लन्दन १६३६)

सी० राइक्स— नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इण्डिया

चौधरी के० के०— स्टडीज इन दी हिस्ट्री आफ बगाल सूबा

(१७४०—१७७०) कलकत्ता १६३६

चोपडा पी०एन०— लाइफ एण्ड लेटर्स अण्डर दी मुगल्स (दिल्ली १६७६)/

डो० ऐलेक्जेण्डर—दी हिस्ट्री आफ इण्डिया जिल्द (२) लन्दन (१७६८)

डेवीज जे०एफ० वजीर अली खॉ ऑन दी मेसेकर इन बनारस (ए चैप्टर इन इण्डियन हिस्ट्री) बनारस १६३८

डे० यू०एन० एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत इलाहाबाद (१६५६)

दत्त आर० पी०—'इडिया टुडे' बम्बई (१६४६)

दत्त—रमेश—एकोनामिक हिस्ट्री आफ इडिया अण्डर दी अर्ली ब्रिटिश रूल (संस्करण—५) लन्दन

डेवर डगलस—ए हैन्डबुक टू दी इग्लिश प्री म्यूटनी रेकार्ड (इलाहाबाद १६१६)

डब्लू, क्रूक—दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इडिया देयर हिस्ट्री ऐथोलॉजी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

डे० वी०—तबकाते अकबरी (अग्रेजी अनुवाद) जिल्द (१) ऐशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता (१६७३)

डी० पन्थ— दि कामर्शियल पालिसी आफ मुगल्स

डा० एलेक्जेण्डर—हिस्ट्री आफ हिन्दुस्तान (जिल्द ३,२,) लन्दन (१८०३)

डे० यू०एन०—दि गर्वनमेन्ट आफ दी सल्तनत दिल्ली १६७२

डे० नन्द लाल— दि जियोग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐन्शेन्ट एण्ड मेडिवल इडिया दिल्ली (१६७१)

दत्ता, के० के०—सर्वे आफ इन्डीयाज सोशल लाइफ एण्ड ऐकोनामिक कडीशन इन दी ऐट्टीन्थ सेन्चुरी (१७०७–१८१३) कलकत्ता १९६१

डब्लू वर्ड– व्यू आफ हिस्ट्री लिट्रेचर एण्ड रिलीजन आफ हिन्दूज

डेविस, ए० एम०– वारेन हैस्टिग्स, मेकर आफ ब्रिटिश इण्डिया लदन १९०२

डुप्लेन– ऐसेन्सियल आयल (पी० आफ० दी का०)

डेविस, सी०सी०—वोरन हैस्टिग्स एण्ड अवध लन्दन १९३५

डाडवेल, एच० एच०– दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इन्डिया (जिल्द ५) (कैम्ब्रिज १९२२)

डैमपियर जी०बी०—ऐमोनोग्राफ आन ब्रास एण्ड कापर वायर एन०डब्लू० पी०

इलियट एण्ड डाउसन—हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई दी हिस्टोरियन्स जिल्द (८) लन्दन (१८६७)

ई० बुड—दी रिवोल्ट इन हिन्दूस्तान

इरैस्किन, ई०—मेम्वयार्स आफ बाबर—लन्दन (१९२६)

इ० थर्सटन—हिस्ट्री आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी क्वायनेज

इरविन एच०सी०—दी गार्डेन्स आफ इन्डिया (१८८०)

फारुकी जहीरुद्दीन—औरगजेब एण्ड हिज टाइम

फार्बर, जेम्स– ओरियन्टल मेम्वायर्स जिल्द (२) लन्दन (१८१३)

फारेस्ट, जी० डब्लू०— लाइफ आफ लार्ड क्लाइव जिल्द (२) १९१८

फारेस्ट, जी० डब्लू—सेलेक्शन फ्राम स्टेट पेपर्स आफ गवर्नर जनरल आफ इण्डिया, वारेन हैस्टिंग्स, जिल्द (२,५) आक्सफोर्ड (१९१०)

फास्टर, जी०— जर्नी फ्राम बगाल टू इग्लैण्ड जिल्द (१)

फर्बर, होल्डेन—दी प्राइवेट रिकार्ड आन इण्डियन गर्वनर जनरलशिप

फिन्डले एस०—साइस आफ पब्लिक फाइनेन्स

फिज— अर्ली ट्रेवेल्स

फ्यूहरर ए० एव स्मिथ ई० डब्लू०—दि शर्की आर्किटेक्चर आफ जौनपुर (कलकत्ता १८८९)

जाफर एस०एम०—ऐजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया दिल्ली (१९७३)

गिन्च— अर्ली ट्रेवेल्स

ग्लिग, जी० आर०—मेम्वायर्स आफ लाइफ आफ वारेन हैस्टिंग्स जिल्द (३) लन्दन १८४१

घोषाल, जी० आर०—ऐकोनामिक ट्रान्जिशन इन दी बगाल प्रेसीडेन्सी (१७९३—१८३३) पटना

हजेला टी०एन— आर्थिक विचारो का इतिहास

हेमिल्टन, सी० जे० दी ट्रेड रिलेशन बिटवीन इग्लैण्ड एण्ड इडिया (१६००—१८९६) कलकत्ता १९१९

हेवेल, ई० बी०– बनारस–दी सेक्रेट सिटी, द्वितीय सस्करण लदन

हेबर, ई० आर०– ए नरेटिव आफ जर्नी थ्रू दी अपर प्राविन्सेज आफ इडिया फ्राम कलकत्ता टू बाम्बे २ (जिल्द) लन्दन १८४६

हेबर आर–हिस्ट्री आफ प्राविन्स आफ बनारस, देहरादून १८३२

हबीब, आई०–ऐग्रीगेरियन सिस्टम इन मुगल इडिया दिल्ली १९६३

हसन, आई–दी सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ मुगल इम्पायर

हन्टर, डब्लू०डब्लू०–इडियन मुसलमान्स– १९४५

हेनरी एडवर्ड फेन–फाइव इयर्स इन इडिया

होरीवाला, बी० आर०–स्टडीज इन इन्डोमुस्लिम हिस्ट्री, सप्लीमेन्ट जिल्द (२) पूना १९५७

हबीब, एम० एव निजामी के० ए०– कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इडिया जिल्द (५) दिल्ली १९७०

इलियट एव डाउसन–भारत का इतिहास जिल्द (२) १९६८

इरविन, डब्लू–लेटर मुगल्स, जिल्द (२) कलकत्ता

खैरुद्दीन, मोहम्मद–हिस्ट्री आफ जौनपुर (अनुवाद पाउसन) कलकत्ता १८७८

खैरुद्दीन मोहम्मद 'तोकाय ताज' (बलवन्त नामा)

के, जे० डब्लू–ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी लन्दन १८५३

कीथ, ए० बी०– ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी लन्दन १८५३

कीथ, ए० बी०–स्पीचेज एण्ड डाक्यूमेन्ट्स आन इण्डियन पालिसी, लन्दन (जिल्द २) १६२२

कुरैशी आई० एच०– ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सुल्तान्स आफ देहली

क्रिक पैट्रिक–एकाउन्ट आफ नेपाल

लीवारनर, डब्लू–लाइफ आफ मारक्विस आफ डलहौजी भाग (२) लन्दन (१६०४)

लॉ, एन०एन०–प्रमोशन आफ लरनिग इन इडिया बाई अर्ली यूरोपियन सेटलर्स, लन्दन (१६१५)

ली० वार्नर, डब्लू–प्रोटक्टेड प्रिन्सेज आफ इण्डिया (लन्दन १८७८)

लेनपूल, स्टेनली, मेडिवल इन्डिया अडर मुहम्मडन रूल दिल्ली १६६३

लाल, के० एस०–स्टडीज इन मेडिवल इडियन हिस्ट्री दिल्ली–१६६६

लाडलो, जौन० मालकम्–ब्रिटिश इन्डिया इट्स रेस एण्ड इट्स हिस्ट्री जिल्द (२) कैम्ब्रिज–१८५८.

म्यूथिएट, जे० आर०– स्माइलिग बनारस (मद्रास १६११)

मिश्रा बी० बी०– दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इडिया कम्पनी (१७७३–१८३४) बम्बई (१६५८)

मैलकम् ले०जे०– स्केच आफ दी पोलीटिकल हिस्ट्री आफ इन्डिया

मजुमदार, आर०सी०–दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इडियन पिपुल भाग १ बम्बई (१९६३)

मोरलैण्ड, डब्लू० एच०–दी एग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इन्डिया (इलाहाबद, १९२९)

मनूची ट्रेवेल्स'–खड (२)

मार्टिन आर० एम०– दी हिस्ट्री आफ दी इडियन इम्पायर भाग (२) लन्दन

मिश्रा बी० आर०–लैण्ड रेवेन्यू पॉलिसी इन यूनाइटेड प्राविन्स अण्डर दी ब्रिटिश रूल (बनारस १९४२)

मार्शमैन, जे०सी०–दी हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग २ (सीरमपुर १८६७)

मित्रा किशोरी चन्द्र–गवर्नमेट आफ पीपुल–कलकत्ता १८५८

मुखर्जी आर० के०–फाउन्डेशन आफ इन्डियन इकॉनामी

मखकौल्म, जे०एल०–स्केच आफ दी पोलिटिकल हिस्ट्री आफ इन्डिया

मैक्फर्सन, डब्लू सी०– सोल्डरिंग इन इडिया (१७०४–१७८७) लन्दन १९२८

मैलसन, जी०बी०–लाइफ आफ वारेन हैस्टिग्स लन्दन १८४४

मिल, जेम्स०–दी हिस्ट्रीआफ ब्रिटिश इंडिया जिल्द (५) १८५८

मोरलैण्ड, डब्लू० एच०—दी रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ यू०पी० (कलकत्ता १६११)

मुखर्जी, आर० के०—लैण्ड प्राब्लम इन इन्डिया (लन्दन १६३३)

मिश्रा, के० पी०—ट्रान्जिशन इन बनारस

मैकाले टी० बी०—एसे आन वारेन हैस्टिंग्स

नारायन, वी०ए०—जोनाथन डकन एण्ड बनारस—कलकत्ता १६५६

नियरिंग स्काट—दी ट्रेजडी आफ इम्पायर—कलकत्ता १६५६

निजामी, के०ए०— स्टडीज इन मेडिवल इडियन हिस्ट्री एड कल्चर (इलाहाबाद—१६६६)

ओल्डम डब्लू—मेम्वायर्स आफ गाजीपुर (इलाहाबाद १८७०)

ओल्डम डब्लू—टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड ऑक्सन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दी प्राविन्स आफ बनारस (इलाहाबाद) (१८७३)

प्रिन्सेप, जे०— बनारस इलस्ट्रेशन इन ए सीरीज आफ ड्राइंग्स (कलकत्ता १८३०)

पुरी, वी०ए०—दी हिस्ट्री आफ गुजरात एण्ड प्रतिहाराज' (बम्बई १६५७)

प्रयाग दयाल—कैटेलाग आफ क्वायनेज आफ किंग्स आफ अवध

प्रसाद एस०एन०—पैरामाउन्टसी अण्डर डलहौजी (संस्करण १६६४)

पी० मुन्डी– मुन्डी ट्रेवेल्स

प्रसाद, ईश्वरी–हिस्ट्री आफ माडर्न इडिया (इलाहाबाद १९५१)

प्रेल्डेन, टी०सी०–सेटिलमेन्ट आफ एन० डब्लू० पी० (इलाहाबाद)

कुरैशी, आई० एच०– एडमिनिट्रेशन आफ सुल्तान्स आफ देलही (दिल्ली १९७१)

राबर्ट्स, पी० ई०–हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडिया अन्डर दी कम्पनी एण्ड दी क्राउन (आक्सोर्ड–१९३८)

रैमजेबूथम, आर०बी०–स्टडी इन दी लैण्ड रेवेन्यू हिस्ट्री आफ बगाल (आक्सफोर्ड–१९२६)

रिकार्ड्स, आर०–हिस्ट्री आफ इडिया, जिल्द (२) लन्दन १९२६

रशीद ए०–सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इडिया कलकत्ता १९६९

राइक्स, चार्ल्स–नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इडिया (लन्दन १८५२)

रेनल, जे०–मेम्वायर्स आफ हिन्दुस्तान, लन्दन १७८८

शर्मा, एस० आर०–दी क्रेसेन्ट इन इडिया (हिन्दी रुपान्तर आगरा १९७१)

सिंह, विजय बहादुर–ऐकोनामिक हिस्ट्र आफ इडिया (बम्बई १९६५)

स्पीयर, पर्साइवल– मार्डन इडियन हिस्ट्री (१९६१)

सरकार, जदुनाथ—मुगल शासन पद्धति (आगरा १९६४)

शर्मा, एस०आर०—भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास

शेक्सपीयर, ऐ०—सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्डस— १८७३

स्टोक्स, ई०— दी इगलिश यूटेलीटेरियन एण्ड इडिया

सिन्हा, एन०के०— दी ऐकोनामिक हिस्ट्री आफ बगाल फ्राम प्लासी टू परमानेन्ट सैटिलमेन्ट जिल्द (१) १९५६

सरकार जे० एन —इण्डस्ट्रीज इन मुगल इडिया

सरन पी०—प्राविन्शियल गवर्नमेट आफ दी मुगल्स

सरकार, जदुनाथ— औरगजेब एन्ड हिज टाइम्स

सिन्हा, जे०सी०— ऐकोनामिक ऐनल्स आफ बगाल (लन्दन १९२७)

सेशाद्री, पी०—बनारस (१९२५)

सरकार, जे० एन०— हिस्ट्री आफ औरंगजेब जिल्द (३) कलकत्ता १९४६

सेटन, कर, डब्लू एस०—दी मारक्वीस आफ कार्नवालिस एण्ड कनसालीडेशन आफ ब्रिटिश रूल आक्सफोर्ड—१९१४

सेरिंग, एम०ऐ०—सेक्रेड सिटी आफ हिन्दूज— लन्दन १८६८

स्माइलिग, जे० आर०— बनारस (मद्रास १९११)

श्रीवास्तव, ए०एल०—दी फर्स्ट टू नवाब्स आफ अवध (आगरा—१९४२)

शाह के० टी०—ऐकनामिक स्ट्रक्चर आफ फ्री इन्डिया

सदर, लैण्ड डी०—दी रेग्युलेशन आफ बगाल कोड (जिल्द—१) कलकत्ता १८६२

एस० नूरुल हसन— जमीदार्स अण्डर दी मुगल्स

सदरलैण्ड, डी०—ऐपेन्डिक्स टू दी कोड आफ बगाल रेग्युलेशन जिल्द (१) कलकत्ता (१८६४)

ट्राटर, जे० एल०—वारेन हैस्टिग्स— ए बायोग्राफी (आक्सफोर्ड) १८७८

तारा चन्द— इन्फ्लूयेन्स आफ इस्लाम आन इडियन कल्चर (इलाहाबाद १६७६)

ट्रेवर्नियर—ट्रेवेल्स

त्रिपाठी, राम प्रसाद – सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन, इलाहाबाद

थॉर्नटन, ई०— दी हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडियन इम्पायर जिल्द (२) लन्दन (१८४२)

टामस ए०—लैण्ड सिस्टम इन बनारस राज

ट्रेवेलियन, सी० ई०— आन दी ऐजुकेशन आफ दी पीपुल्स आफ इण्डिया (कलकत्ता १८३८)

वाट, जी०—डिस्कवरी आफ ऐकोनामिक प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया जिल्द (४) कलकत्ता १८६०

वेलेन्टिया, सी० वी० —वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स टू इडिया जिल्द १ लन्दन—१८११

वार्ड, डब्लू—व्यू आफ दी हिस्ट्री, लिट्रेचर एण्ड रिलिजन आफ दी हिन्दूज जिल्द (२) लन्दन (१८१७)

वीलर, जे० टी०—अर्ली रेकार्ड आफ ब्रिटिश इन्डिया कलकत्ता १८७६

विल्सन, हारेस हेमैन,— ए ग्लासरी आफ जुडिशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्स, लन्दन १८५५

विन्टर निट्ज, एम०—दी हिस्ट्री आफ इन्डियन लिट्रेचर, कलकत्ता १६५६